मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 17] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 23 अप्रैल 2010—वैशाख 3, शक 1932

भाग ४

विषय-सूची

(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक.
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम.
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अन्तिम नियम.

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)

संसद् के अधिनियम

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 16 दिसम्बर 2008

क्र. 6813क-इक्कीस-अ-वि.स.-2008.—भारत के राष्ट्रपति के प्राधिकार से भारत का राजपत्र असाधारण, दिनांक 20 फरवरी 2008 भाग 2- अनुभाग 1 क, खण्ड XLIV सं. 1 में प्रकाशित निम्नलिखित अधिनियम :—

9. प्रतिभूति संविदा (विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2007
(2007 का अधिनियम संख्यांक 27);

10. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 2007
(2007 का अधिनियम संख्यांक 29);

11. भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक विधियां) संशोधन अधिनियम, 2007
(2007 का अधिनियम संख्यांक 30);

12. संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2007
(2007 का अधिनियम संख्यांक 31);

13. भारतीय स्टेट बैंक (संशोधन) अधिनियम, 2007
(2007 का अधिनियम संख्यांक 32);

14. अंतर्देशीय जलयान (संशोधन) अधिनियम, 2007
(2007 का अधिनियम संख्यांक 35);

15. शिक्षु (संशोधन) अधिनियम, 2007
(2007 का अधिनियम संख्यांक 36);

16. सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2007;
(2007 का अधिनियम संख्यांक 38);

17. प्रतिस्पर्धा (संशोधन) अधिनियम, 2007
(2007 का अधिनियम संख्यांक 39);

18. वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) अधिनियम, 2007
(2007 का अधिनियम संख्यांक 40);

के हिन्दी अनुवाद जो राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन उनके हिन्दी में प्राधिकृत पाठ समझे जायेंगे, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्द्वारा पुनः प्रकाशित किए जाते हैं.

एस. के. पांचखेड़े, अतिरिक्त सचिव.

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, 20 फरवरी 2008/1 फाल्गुन, 1929 (शक)

(9) दि सिक्योरिटीज कान्ट्रेक्ट्स (रेग्यूलेशन) अमेंडमेंट ऐक्ट, 2007; (10) दि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी ऐक्ट, 2007; (11) दि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (सब्सिडिअरी बैंक्स लॉज) अमेंडमेंट एक्ट, 2007; (12) दि कांस्टिट्यूशन (शेड्यूल्ड कास्ट्स) आर्डर (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2007; (13) दि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2007; (14) दि इनलैंड.वैसल्स (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2007; (15) दि अप्रैन्टिसिज (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2007; (16) दि सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स (प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टिजमेंट एंड रेग्यूलेशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, प्रोडक्शन, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन) (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2007; (17) दि कम्पिटीशन अमेंडमेंट ऐक्ट, 2007; और (18) दि मर्चेंट शिपिंग (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2007; के निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद राष्ट्रपति के प्राधिकार से प्रकाशित किए जाते हैं और ये राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन उनके हिन्दी में प्राधिकृत पाठ समझे जाएंगे:—

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(LEGISLATIVE DEPARTMENT)

New Delhi, February 20, 2008/Phalguna 1, 1929 (Saka)

The translation in Hindi of the following namely:—(9) The Securities Contracts (Regulation) Amendment Act, 2007; (10) The National Institutes of Technology Act, 2007; (11) The State Bank of India (Subsidiary Banks Laws) Amendment Act, 2007; (12) The Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Act, 2007; (13) The State Bank of India (Amendment) Act, 2007; (14) The Inland Vessels (Amendment) Act, 2007; (15) The Apprentices (Amendment) Act, 2007; (16) The Cigarettes and Other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Amendment Act, 2007; (17) The Competition (Amendment) Act, 2007; and (18) The Merchant Shipping (Amendment) Act, 2007; are hereby published under the authority of the President and shall be deemed to be the authoritative texts thereof in Hindi under clause (a) of sub-section (1) of Section 5 of the Official Languages Act, 1963 (19 of 1963) :—

प्रतिभूति संविदा (विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2007

(2007 का अधिनियम संख्यांक 27)

[28 मई, 2007]

प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956
का और संशोधन
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के अठावनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम प्रतिभूति संविदा (विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2007 है। संक्षिप्त नाम।

1956 का 42 2. प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) धारा 2 के खंड (ज) में, उपखंड (iघ) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:— धारा 2 का संशोधन।

"(iङ) ऐसे किसी निर्गमनकर्ता द्वारा, जो विशेष प्रयोजन वाला सुभिन्न अस्तित्व है, जिसके पास ऐसे अस्तित्व को समनुदेशित बंधक ऋण सहित कोई ऋण या प्राप्य राशियां हैं, और जो बंधक ऋण सहित, यथास्थिति, ऐसे ऋण या प्राप्य राशियों में ऐसे विनिधानकर्ता के फायदाप्रद हित को अभिस्वीकार करता है, किसी विनिधानकर्ता को जारी किया गया कोई प्रमाणपत्र या लिखत है (चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो);"।

3. मूल अधिनियम की धारा 17 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:— नई धारा 17क का अंत:स्थापन।

"17क. (1) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, धारा 2 के खंड (ज) के उपखंड (iङ) में निर्दिष्ट प्रकृति की कोई प्रतिभूतियां तब तक जनता को प्रस्थापित नहीं की जाएंगी या किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं की जाएंगी जब तक कि निर्गमनकर्ता ऐसी पात्रता के मानदंड को पूरा नहीं कर देता और ऐसी अन्य अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर देता जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं। धारा 2 के खंड (ज) के उपखंड (iङ) में निर्दिष्ट प्रतिभूतियों का जनता को निर्गमन और उनका सूचीबद्ध किया जाना।

(2) धारा 2 के खंड (ज) के उपखंड (iङ) में निर्दिष्ट प्रत्येक ऐसा निर्गमनकर्ता जो जनता को उसमें निर्दिष्ट प्रमाणपत्रों या लिखतों की प्रस्थापना करने का आशय रखता है, जनता

को प्रस्थापना दस्तावेज जारी करने से पूर्व एक या अधिक मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों को ऐसे स्टॉक एक्सचेंज में या ऐसे प्रत्येक स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किए जाने वाले ऐसे प्रमाणपत्रों या लिखतों के लिए अनुज्ञा हेतु आवेदन करेगा।

(3) जहां सूचीबद्ध किए जाने के लिए उपधारा (2) के अधीन आवेदित अनुज्ञा मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों या उनमें से किसी के द्वारा नहीं दी गई है या देने से इंकार कर दिया गया है वहां निर्गमनकर्ता तुरंत आवेदकों से प्रस्थापना दस्तावेज के अनुसरण में प्राप्त सभी धन का, यदि कोई हों, प्रतिसंदाय करेगा और यदि ऐसा कोई धन निर्गमनकर्ता के उस धन का प्रतिसंदाय करने के लिए दायी होने के पश्चात् आठ दिन के भीतर प्रतिसंदत्त नहीं किया जाता है, तो निर्गमनकर्ता और उसका, यथास्थिति, प्रत्येक निदेशक या न्यासी, जो व्यतिक्रमी है, आठ दिन की समाप्ति को ही, संयुक्त रूप से और पृथक् रूप से उस धन का पंद्रह प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज सहित प्रतिसंदाय करने के दायी होंगे।

स्पष्टीकरण—किसी अन्य दिन के पश्चात् आठवें दिन की गणना करने में ऐसे किसी भी मध्यवर्ती दिन की, जो परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अधीन सार्वजनिक अवकाश दिन है, अवहेलना की जाएगी और यदि आठवां दिन ही (इस प्रकार गणना करने पर) ऐसा सार्वजनिक अवकाश दिन है, तो उक्त प्रयोजनों के लिए उसके पश्चात् पहला दिन जो अवकाश दिन नहीं है रखा जाएगा। 1881 का 26

(4) मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में किसी पब्लिक कंपनी की प्रतिभूतियों के सूचीबद्ध किए जाने से संबंधित इस अधिनियम के सभी उपबंध, यथा आवश्यक परिवर्तन सहित, धारा 2 के खंड (ज) के उपखंड (iङ) में निर्दिष्ट प्रकृति की प्रतिभूतियों को ऐसे निर्गमनकर्ता द्वारा, जो विशेष प्रयोजन वाला सुभिन्न अस्तित्व है, सूचीबद्ध कराने के लिए लागू होंगे।''।

धारा 23 का संशोधन। 4. मूल अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (1) के खंड (ग) में, ''धारा 17'' शब्द और अंकों के स्थान पर, ''धारा 17 या धारा 17क'' शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

धारा 31 का संशोधन। 5. मूल अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

''(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:—

(क) वह रीति जिसमें किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज की साधारण शेयर पूंजी का, कम-से-कम इक्यावन प्रतिशत ऐसे शेयरधारकों से भिन्न, जिनके पास उस धारा की उपधारा (8) के अधीन व्यापार अधिकार हैं, जनता द्वारा धारा 4ख की उपधारा (7) के अधीन आदेश के प्रकाशन की तारीख से बारह मास के भीतर धारित किया जाता है;

(ख) धारा 17क के अधीन पात्रता का मानदंड और अन्य अपेक्षाएं।''।

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 2007

(2007 का अधिनियम संख्यांक 29)

[5 जून, 2007]

कुछ प्रौद्योगिकी संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान घोषित करने और इंजीनियरी, प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, शिक्षा, विज्ञान और कला की शाखाओं में शिक्षण और अनुसंधान करने तथा ऐसी शाखाओं में विद्या की अभिवृद्धि और ज्ञान का प्रसार करने और ऐसे संस्थानों से संबंधित कुछ विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के अठावनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो,—

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 2007 है। संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी।

कतिपय संस्थाओं की राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं के रूप में घोषणा।

2. अनुसूची में वर्णित संस्थाओं के उद्देश्य ऐसे हैं, जो उन्हें राष्ट्रीय महत्व की संस्थाएं बनाते हैं, अत: यह घोषित किया जाता है कि प्रत्येक ऐसी संस्था, राष्ट्रीय महत्व की संस्था है।

परिभाषाएं।

3. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "बोर्ड" से, किसी संस्थान के संबंध में, उसका शासक बोर्ड अभिप्रेत है;

(ख) "अध्यक्ष" से, बोर्ड का अध्यक्ष, अभिप्रेत है;

(ग) "तत्समान संस्थान" से, अनुसूची के स्तंभ (2) में वर्णित किसी सोसाइटी के संबंध में, अनुसूची के स्तंभ (3) में यथा विनिर्दिष्ट कोई संस्थान अभिप्रेत है;

(घ) "परिषद्" से, धारा 30 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित परिषद् अभिप्रेत है;

(ङ) "उपनिदेशक" से, किसी संस्थान के संबंध में, उसका उपनिदेशक अभिप्रेत है;

(च) "निदेशक" से, किसी संस्थान के संबंध में, उसका निदेशक अभिप्रेत है;

(छ) "संस्थान" से, अनुसूची के स्तंभ (2) में वर्णित संस्थाओं में से कोई अभिप्रेत है;

(ज) "अधिसूचना" से, राजपत्र में प्रकाशित कोई अधिसूचना अभिप्रेत है;

(झ) "विहित" से, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ञ) "कुलसचिव" से, किसी संस्थान के संबंध में, उसका कुलसचिव अभिप्रेत है;

(ट) "अनुसूची" से, इस अधिनियम से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है;

(ठ) "सिनेट" से, किसी संस्थान के संबंध में उसकी सिनेट अभिप्रेत है;

(ड) "सोसाइटी" से, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत और अनुसूची के स्तंभ (2) में वर्णित सोसाइटियों में से कोई अभिप्रेत है; 1860 का 21

(ढ) किसी संस्थान के संबंध में "परिनियम" और "अध्यादेश" से, उस संस्थान के इस अधिनियम के अधीन बनाए गए परिनियम और अध्यादेश अभिप्रेत हैं।

अध्याय 2

संस्थान

संस्थानों का निगमन।

4. (1) अनुसूची के स्तंभ (3) में वर्णित संस्थानों में से प्रत्येक शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा वाला निगमित निकाय होगा और वह उक्त नाम से वाद लाएगा और उस पर वाद लाया जाएगा।

(2) उक्त संस्थानों में से प्रत्येक को गठित करने वाले निगमित निकाय में एक अध्यक्ष, एक निदेशक और संस्थान के उस समय के बोर्ड के अन्य सदस्य होंगे।

संस्थानों के निगमन का प्रभाव।

5. इस अधिनियम के प्रारंभ से ही,—

(क) इस अधिनियम से भिन्न किसी विधि में या किसी संविदा या किसी अन्य लिखत में किसी सोसाइटी के प्रति निर्देश के बारे में यह समझा जाएगा कि वह तत्समान संस्थान के प्रति निर्देश है;

(ख) सोसाइटी की या उसके स्वामित्व में की सभी संपत्ति, चाहे स्थावर हो या जंगम, तत्समान संस्थान में निहित होगी;

(ग) सोसाइटी के सभी अधिकार और दायित्व तत्समान संस्थान को अंतरित हो जाएंगे और वे उसके अधिकार और दायित्व होंगे;

(घ) ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले सोसाइटी द्वारा नियोजित प्रत्येक व्यक्ति अपना पद या सेवा तत्समान संस्थान में उसी सेवावृत्ति के अनुसार, उसी पारिश्रमिक पर और उन्हीं शर्तों और निबंधनों पर और पेंशन, छुट्टी, उपदान, भविष्य निधि और अन्य मामलों के बारे में उन्हीं अधिकारों और विशेषाधिकारों पर धारण करेगा जैसा कि वह उस दशा में धारण करता जिसमें यह अधिनियम पारित नहीं किया जाता और तब तक

इसी प्रकार धारण करता रहेगा जब तक उसका नियोजन समाप्त नहीं कर दिया जाता है या जब तक उसकी सेवा की अवधि, पारिश्रमिक और निबंधन और शर्तें परिनियमों द्वारा सम्यक् रूप से परिवर्तित नहीं कर दी जाती हैं:

परंतु यदि इस प्रकार किया गया परिवर्तन ऐसे कर्मचारी को स्वीकार्य नहीं है तो उसका नियोजन संस्थान द्वारा कर्मचारी के साथ की गई संविदा के निबंधनों के अनुसार समाप्त किया जा सकेगा या, यदि उसमें इस निमित्त कोई उपबंध नहीं किया गया है तो, स्थायी कर्मचारियों के संबंध में तीन मास के पारिश्रमिक के बराबर और अन्य कर्मचारियों के संबंध में एक मास के पारिश्रमिक के बराबर प्रतिकर का उसको संदाय करके संस्थान द्वारा समाप्त किया जा सकेगा।

संस्थानों की शक्तियां।

6. (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक संस्थान निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग और निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करेगा, अर्थात्:—

(क) इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी, प्रबंध, शिक्षा, विज्ञान और कला की ऐसी शाखाओं में, जो संस्थान ठीक समझे, शिक्षण और अनुसंधान की और ऐसी शाखाओं में विद्या की अभिवृद्धि और ज्ञान के प्रसार की व्यवस्था करना;

(ख) परीक्षाएं लेना और उपाधियां, डिप्लोमा और अन्य विद्या संबंधी विशिष्ट उपाधियां या पदवियां प्रदान करना;

(ग) सम्मानिक उपाधियां या अन्य विशिष्ट उपाधियां प्रदान करना;

(घ) फीस और अन्य प्रभार नियत करना, उनकी मांग करना और प्राप्त करना;

(ङ) छात्रों के आवास के लिए छात्र निवास और छात्रावासों की स्थापना करना, उनका अनुरक्षण और प्रबंध करना;

(च) संस्थान के छात्रों के आवास का पर्यवेक्षण और नियंत्रण और उनके अनुशासन का विनियमन और उनके स्वास्थ्य, सामान्य कल्याण और सांस्कृतिक तथा सामूहिक जीवन के विकास की व्यवस्था करना;

(छ) संस्थान के छात्रों के लिए राष्ट्रीय कैडेट कोर की यूनिटों के अनुरक्षण के लिए व्यवस्था करना;

(ज) अध्यापन और अन्य पदों की, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थापना करना और निदेशक और उपनिदेशक के पद को छोड़कर उन पदों पर नियुक्तियां करना;

(झ) परिनियम और अध्यादेश बनाना और उनका परिवर्तन, उपांतरण और विखंडन करना;

(ञ) संस्थान की या उसमें निहित किसी संपत्ति का, ऐसी रीति से व्यवहार करना, जो संस्थान अपने उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए ठीक समझे;

(ट) सरकार से दान, अनुदान, संदान या उपकृति प्राप्त करना और, यथास्थिति, वसीयतकर्ताओं, संदानकर्ताओं या अंतरकों से स्थावर या जंगम संपत्ति की वसीयत, संदान और अंतरण प्राप्त करना;

(ठ) विश्व के किसी भी भाग के ऐसे शैक्षणिक या अन्य संस्थाओं से, जिनके उद्देश्य संस्थानों के उद्देश्यों से पूर्णतः या भागतः समान हैं, शिक्षकों और विद्वानों के आदान-प्रदान द्वारा और साधारणतः ऐसी रीति से सहयोग करना, जो उनके समान उद्देश्यों के लिए सहायक हों;

(ड) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, छात्र-सहायता वृत्तियां, पुरस्कार और मैडल संस्थित करना और प्रदान करना;

(ढ) संस्थान से संबंधित क्षेत्रों या विद्या शाखाओं में परामर्श देना; और

(ण) ऐसी अन्य सभी बातें करना, जो संस्थान के सभी या किन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक, आनुषंगिक या सहायक हों।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, कोई संस्थान केंद्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना किसी स्थावर संपत्ति का, किसी रीति से, व्ययन नहीं करेगा।

संस्थानों का सभी मूलवंश, पंथ और वर्गों के लिए खुला होना।

7. (1) प्रत्येक संस्थान स्त्रियों और पुरुषों के लिए खुला होगा, चाहे वे किसी भी मूलवंश, पंथ, जाति या वर्ग के हों और सदस्यों, छात्रों, शिक्षकों या कर्मकारों को प्रवेश या उनकी नियुक्ति करने में या किसी भी अन्य बात के संबंध में धार्मिक विश्वास या मान्यता का कोई मानदंड या शर्त अधिरोपित नहीं की जाएगी।

(2) कोई संस्थान किसी संपत्ति की ऐसी वसीयत, संदान या अंतरण स्वीकार नहीं करेगा, जिसमें परिषद् की राय में इस धारा के भाव और उद्देश्य के विरुद्ध शर्तें या बाध्यताएं अंतर्ग्रस्त हैं।

संस्थान में शिक्षा।

8. प्रत्येक संस्थान में सभी शिक्षण-कार्य, संस्थान द्वारा या उसके नाम से इस निमित्त बनाए गए परिनियमों और अध्यादेशों के अनुसार किया जाएगा।

कुलाध्यक्ष।

9. (1) भारत का राष्ट्रपति, प्रत्येक संस्थान का कुलाध्यक्ष होगा।

(2) कुलाध्यक्ष, किसी संस्थान के कार्य और प्रगति का पुनर्विलोकन करने के लिए और उसके कार्यकलापों की जांच करने के लिए और उन पर रिपोर्ट ऐसी रीति से देने के लिए, जैसा कुलाध्यक्ष निदेश दे, एक या अधिक व्यक्तियों को नियुक्त कर सकेगा।

(3) ऐसी रिपोर्ट की प्राप्ति पर, कुलाध्यक्ष ऐसी कार्यवाही कर सकेगा और ऐसे निदेश जारी कर सकेगा, जो वह रिपोर्ट में चर्चित किन्हीं विषयों के संबंध में आवश्यक समझे और संस्थान युक्तियुक्त समय के भीतर उन निदेशों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होगा।

संस्थानों के प्राधिकारी।

10. संस्थान के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे, अर्थात्:—

(क) शासक बोर्ड;

(ख) सिनेट; और

(ग) ऐसे अन्य प्राधिकारी, जो परिनियमों द्वारा संस्थान के प्राधिकारी घोषित किए जाएं।

शासक बोर्ड।

11. प्रत्येक संस्थान के बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:—

(क) अध्यक्ष, जो कुलाध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा;

(ख) निदेशक, पदेन;

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा उन व्यक्तियों में से, जो तकनीकी शिक्षा और वित्त से संबंधित हैं, दो व्यक्ति, जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव की पंक्ति से नीचे के न हों, नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे;

(घ) उस राज्य की सरकार द्वारा, जिसमें वह संस्थान स्थित है, उन व्यक्तियों में से, जो उस सरकार की राय में ख्यातिप्राप्त प्रौद्योगिकीविद्, या उद्योगपति हैं, दो व्यक्ति, नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे;

(ङ) शिक्षा, इंजीनियरी या विज्ञान का विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले दो व्यक्ति, जिनमें से कम से कम एक महिला होगी, परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे; और

(च) संस्थान का एक आचार्य और एक सहायक आचार्य या एक प्राध्यापक सिनेट द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे।

बोर्ड के सदस्यों की पदावधि, रिक्तियां और उन्हें संदेय भत्ते।

12. इस धारा में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय,—

(क) बोर्ड के अध्यक्ष या अन्य सदस्यों की पदावधि, उनके नामनिर्देशन की तारीख से तीन वर्ष होगी;

(ख) पदेन सदस्य की पदावधि तब तक होगी जब तक वह उस पद को धारण किए रहता है, जिसके आधार पर वह सदस्य है;

(ग) धारा 11 के खंड (च) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्य की पदावधि उसके नामांकन की तारीख से दो वर्ष होगी;

(घ) किसी आकस्मिक रिक्ति को धारा 11 के उपबंधों के अनुसार भरा जाएगा;

(ङ) किसी आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए नामनिर्दिष्ट सदस्य की पदावधि, उस सदस्य की पदावधि के शेष भाग तक होगी, जिसके स्थान पर उसे नामनिर्दिष्ट किया गया है;

(च) बोर्ड के सदस्य, संस्थान से ऐसे भत्ते लेने के, यदि कोई हों, हकदार होंगे जो परिनियमों में उपबंधित किए जाएं, किंतु धारा 11 के खंड (ख) और (च) में निर्दिष्ट सदस्यों से भिन्न कोई सदस्य इस खंड के कारण किसी वेतन का हकदार नहीं होगा।

बोर्ड की शक्तियां और कृत्य।

13. (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक संस्थान का बोर्ड संस्थान के कार्यकलापों के साधारण अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होगा और संस्थान की उन सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा, जिनका इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों द्वारा अन्यथा उपबंध नहीं किया गया है और उसको सिनेट के कार्यों का पुनर्विलोकन करने की शक्ति होगी।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रत्येक संस्थान का बोर्ड,—

(क) संस्थान के प्रशासन और कार्यकरण से संबंधित नीति के प्रश्नों का विनिश्चय करेगा;

(ख) संस्थान में पाठ्यक्रम संस्थित करेगा;

(ग) परिनियम बनाएगा;

(घ) संस्थान में शैक्षणिक और अन्य पद संस्थित करेगा और उन पर व्यक्तियों की नियुक्ति करेगा;

(ङ) अध्यादेशों पर विचार करेगा और उपांतरण करेगा या उन्हें रद्द करेगा;

(च) संस्थान की वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक लेखाओं और आगामी वित्तीय वर्ष के बजट प्राक्कलनों पर विचार करेगा और ऐसे संकल्प पारित करेगा, जो वह ठीक समझे, और उन्हें अपनी विकास योजनाओं के विवरण सहित, परिषद् को प्रस्तुत करेगा;

(छ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा उसको प्रदत्त किए जाएं या उस पर अधिरोपित किए जाएं।

(3) बोर्ड को ऐसी समितियां नियुक्त करने की शक्ति होगी, जो वह इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों के प्रयोग और अपने कर्तव्यों के पालन के लिए आवश्यक समझे।

सिनेट।

14. प्रत्येक संस्थान के सिनेट में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात्:—

(क) निदेशक, पदेन, जो सिनेट का अध्यक्ष होगा;

(ख) उपनिदेशक, पदेन;

(ग) संस्थान में शिक्षा देने के प्रयोजन के लिए संस्थान द्वारा नियुक्त या उस रूप में मान्यताप्राप्त आचार्य;

(घ) ऐसे तीन व्यक्ति, जिनमें से एक स्त्री होगी, जो संस्थान के कर्मचारी न हों, और जिन्हें निदेशक के परामर्श से अध्यक्ष द्वारा, विज्ञान, इंजीनियरी और मानविकी के क्षेत्रों में से प्रत्येक क्षेत्र के लिए ख्यातिप्राप्त शिक्षाविदों में से नामनिर्दिष्ट किया जाएगा; और

(ङ) कर्मचारिवृंद में से अन्य ऐसे सदस्य, जिन्हें परिनियमों में अधिकथित किया जाए।

सिनेट के कृत्य।

15. इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी संस्थान की सिनेट, संस्थान में शिक्षण, शिक्षा और परीक्षा के स्तरों का नियंत्रण और साधारण विनियमन करेगी और उनको बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगी और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगी, जो परिनियमों द्वारा उसे प्रदत्त या अधिरोपित किए जाएं।

बोर्ड का अध्यक्ष।

16. (1) अध्यक्ष सामान्यतया बोर्ड के अधिवेशनों की और संस्थान के दीक्षांत समारोहों की अध्यक्षता करेगा।

(2) अध्यक्ष का यह कर्तव्य होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि बोर्ड द्वारा किए गए विनिश्चयों का क्रियान्वयन हो रहा है।

(3) अध्यक्ष ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा, जो इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा उसे सौंपे जाएं।

निदेशक और उपनिदेशक।

17. (1) कुलाध्यक्ष द्वारा, किसी संस्थान के निदेशक और उपनिदेशक की नियुक्ति, उसके द्वारा गठित चयन समिति की सिफारिशों पर और सेवा के ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, ऐसी रीति से की जाएगी, जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाए।

(2) निदेशक, संस्थान का मुख्य शैक्षणिक और कार्यपालक अधिकारी होगा और संस्थान के उचित प्रशासन के लिए तथा शिक्षा प्रदान करने और उसमें अनुशासन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगा।

(3) निदेशक, बोर्ड को वार्षिक रिपोर्ट और लेखा प्रस्तुत करेगा।

(4) निदेशक ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा, जो इस अधिनियम या परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा उसे सौंपे जाएं।

(5) प्रत्येक संस्थान का उपनिदेशक ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा, जो इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा या निदेशक द्वारा उसको सौंपे जाएं।

कुलसचिव।

18. (1) प्रत्येक संस्थान का कुलसचिव ऐसे निबंधनों और शर्तों पर नियुक्त किया जाएगा, जो परिनियमों द्वारा अधिकथित की जाएं और वह संस्थान के अभिलेखों, उसकी सामान्य मुद्रा, निधियों और ऐसी अन्य संपत्ति का अभिरक्षक होगा, जो बोर्ड उसके भारसाधन में सौंपे।

(2) कुलसचिव, बोर्ड, सिनेट और ऐसी समितियों के, सचिव के रूप में कार्य करेगा, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएं।

(3) कुलसचिव अपने कृत्यों के उचित निर्वहन के लिए निदेशक के प्रति उत्तरदायी होगा।

(4) कुलसचिव ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा, जो उसे इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा या निदेशक द्वारा सौंपे जाएं।

अन्य प्राधिकारी और अधिकारी।

19. ऊपर वर्णित प्राधिकारियों और अधिकारियों से भिन्न प्राधिकारियों और अधिकारियों की शक्तियां और कर्तव्य परिनियमों द्वारा अवधारित किए जाएंगे।

केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान।

20. संस्थान को इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन में समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए, केन्द्रीय सरकार, संसद् द्वारा, इस निमित्त विधि द्वारा सम्यक् विनियोजन किए जाने के पश्चात् प्रत्येक संस्थान को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ऐसी धनराशि का ऐसी रीति से संदाय करेगा जो वह ठीक समझे।

संस्थान की निधि।

21. (1) प्रत्येक संस्थान एक निधि बनाए रखेगा, जिसमें निम्नलिखित धन जमा किए जाएंगे:–

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए सभी धन;

(ख) संस्थान द्वारा प्राप्त सभी फीस और अन्य प्रभार;

(ग) संस्थान द्वारा अनुदान, दान, संदान, उपकृति, वसीयत या अंतरण के रूप में प्राप्त सभी धन; और

(घ) संस्थान द्वारा किसी अन्य रीति या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त सभी धन।

(2) किसी भी संस्थान की निधि में जमा किए गए सभी धन ऐसे बैंकों में जमा किए जाएंगे या ऐसी रीति से विनिहित किए जाएंगे जो संस्थान, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से, विनिश्चित करे।

(3) प्रत्येक संस्थान की निधि का उपयोग संस्थान के व्यय की पूर्ति के लिए किया जाएगा जिसके अंतर्गत इस अधिनियम के अधीन संस्थान की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के निर्वहन में उपगत व्यय भी हैं।

लेखा और संपरीक्षा।

22. (1) प्रत्येक संस्थान, लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और लेखाओं का एक वार्षिक विवरण, जिसके अंतर्गत तुलन-पत्र भी है, ऐसे प्ररूप में तैयार करेगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श से अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

(2) प्रत्येक संस्थान के लेखाओं की संपरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जाएगी और ऐसी संपरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा उपगत कोई व्यय संस्थान द्वारा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को संदेय होगा।

(3) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के और संस्थान के लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के, ऐसी संपरीक्षा के संबंध में वे ही अधिकार, विशेषाधिकार और प्राधिकार होंगे जो नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में होते हैं और विशिष्टतया उसे बहियों, लेखाओं, संबंधित वाउचरों तथा अन्य दस्तावेजों और कागजपत्र को पेश किए जाने की मांग करने और संस्थान के कार्यालयों का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(4) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक या इस निमित्त उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रत्येक संस्थान के यथाप्रमाणित लेखे तद्विषयक संपरीक्षा रिपोर्ट सहित केन्द्रीय सरकार को प्रतिवर्ष भेजे जाएंगे और वह सरकार उन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी।

पेंशन और भविष्य निधि।

23. प्रत्येक संस्थान अपने कर्मचारियों के फायदे के लिए ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएं, ऐसी भविष्य या पेंशन निधि स्थापित करेगा या ऐसी बीमा स्कीम का उपबंध करेगा, जो वह ठीक समझे।

नियुक्तियां।

24. प्रत्येक संस्थान के कर्मचारिवृंद की सभी नियुक्तियां, निदेशक और उपनिदेशक की नियुक्तियों के सिवाय, परिनियमों में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार,—

(क) यदि नियुक्ति शैक्षणिक कर्मचारिवृंद में प्राध्यापक या उसके ऊपर के पद पर की जाती है या यदि नियुक्ति अशैक्षणिक कर्मचारिवृंद में किसी ऐसे काडर में की जाती है जिसका अधिकतम वेतनमान दस हजार पांच सौ रुपए से अधिक है, तो बोर्ड द्वारा;

(ख) किसी अन्य दशा में निदेशक द्वारा,

की जाएंगी।

परिनियम।

25. इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, परिनियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:—

(क) सम्मानिक उपाधियों का प्रदान किया जाना;

(ख) शिक्षण विभागों का बनाया जाना;

(ग) संस्थानों में पाठ्यक्रमों के लिए प्रभार्य फीस और संस्थान की उपाधियों और डिप्लोमाओं की परीक्षाओं में प्रवेश के लिए प्रभार्य फीस;

(घ) अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, छात्र-सहायता वृत्तियों, पदक और पुरस्कारों का संस्थित किया जाना;

(ङ) संस्थान के अधिकारियों की पदावधि और उनकी नियुक्ति की पद्धति ;

(च) संस्थान के शिक्षकों की अर्हताएं;

(छ) संस्थान के शिक्षकों और अन्य कर्मचारिवृंद का वर्गीकरण, नियुक्ति की पद्धति और उनकी सेवा के निबंधनों और शर्तों का अवधारण;

(ज) संस्थान के अधिकारियों, शिक्षकों और अन्य कर्मचारिवृंद के फायदे के लिए पेंशन, बीमा और भविष्य निधियों की स्थापना;

(झ) संस्थान के प्राधिकरणों का गठन, उनकी शक्तियां और कर्तव्य;

(ञ) छात्र-निवास और छात्रावासों की स्थापना और उनका अनुरक्षण;

(ट) संस्थान के छात्रों के आवास की शर्तें और छात्र-निवासों तथा छात्रावासों में निवास के लिए फीस और अन्य प्रभारों का उद्ग्रहण;

(ठ) बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय भत्ते;

(ड) बोर्ड के आदेशों और विनिश्चयों का अधिप्रमाणन; और

(ढ) बोर्ड, सिनेट या किसी समिति के अधिवेशन, ऐसे अधिवेशनों में गणपूर्ति और उनके कामकाज के संचालन में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया।

परिनियम किस प्रकार बनाए जाएंगे।

26. (1) प्रत्येक संस्थान के प्रथम परिनियम कुलाध्यक्ष के पूर्वानुमोदन से केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए जाएंगे और उनकी एक प्रति संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष यथाशक्य शीघ्र रखी जाएगी।

(2) बोर्ड, समय-समय पर नया या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगा या इस धारा में इसके पश्चात् उपबंधित रीति से परिनियमों को संशोधित या निरसित कर सकेगा।

(3) प्रत्येक नए परिनियम के लिए या परिनियमों में परिवर्धन या किसी परिनियम के किसी संशोधन या निरसन के लिए कुलाध्यक्ष का पूर्वानुमोदन अपेक्षित होगा। कुलाध्यक्ष उसके लिए अनुमति दे सकता है या अनुमति रोक सकता है या उसे बोर्ड को विचारण के लिए भेज सकता है।

(4) कोई नया परिनियम या विद्यमान परिनियम को संशोधित या निरसित करने वाला परिनियम तब तक विधिमान्य नहीं होगा जब तक कुलाध्यक्ष उसके लिए अनुमति नहीं दे देता है।

अध्यादेश।

27. इस अधिनियम और परिनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक संस्थान के अध्यादेशों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किए जा सकेंगे, अर्थात्:—

(क) संस्थान में छात्रों का प्रवेश;

(ख) संस्थान की सभी उपाधियों और डिप्लोमाओं के लिए अधिकथित किए जाने वाले पाठ्यक्रम;

(ग) वे शर्तें जिनके अधीन छात्रों को उपाधि तथा डिप्लोमा के पाठ्यक्रमों में और संस्थान की परीक्षाओं में प्रवेश दिया जाएगा और वे उपाधियों तथा डिप्लोमाओं के लिए पात्र होंगे;

(घ) अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, छात्र-सहायता वृत्तियों, पदक और पुरस्कार प्रदान करने की शर्तें;

(ङ) परीक्षा निकायों, परीक्षकों और अनुसीमकों की नियुक्ति करने की शर्तें और ढंग तथा उनके कर्तव्य;

(च) परीक्षाओं का संचालन;

(छ) संस्थान के छात्रों के बीच अनुशासन बनाए रखना; और

(ज) कोई अन्य विषय जो इस अधिनियम या परिनियमों के अधीन अध्यादेशों द्वारा उपबंधित किए जाने हैं या किए जा सकते हैं।

अध्यादेश किस प्रकार बनाए जाएंगे।

28. (1) इस धारा में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय अध्यादेश सिनेट द्वारा बनाए जाएंगे।

(2) सिनेट द्वारा बनाए गए सभी अध्यादेश उस तारीख से प्रभावी होंगे जो वह निर्दिष्ट करे किन्तु इस प्रकार बनाया गया प्रत्येक अध्यादेश बोर्ड को, यथाशक्य शीघ्र, प्रस्तुत किया जाएगा और बोर्ड अपने आगामी अधिवेशन में उस पर विचार करेगा।

(3) बोर्ड को ऐसा कोई अध्यादेश संकल्प द्वारा उपांतरित या रद्द करने की शक्ति होगी और संकल्प की तारीख से ऐसा अध्यादेश, यथास्थिति, तदनुसार उपांतरित या रद्द हो जाएगा।

माध्यस्थम् अधिकरण।

29. (1) किसी संस्थान और उसके किसी कर्मचारी के बीच संविदा से उद्भूत होने वाला कोई विवाद, संपृक्त कर्मचारी के अनुरोध पर या संस्थान की प्रेरणा पर, माध्यस्थम् अधिकरण को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसमें संस्थान द्वारा नियुक्त एक सदस्य, कर्मचारी द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य और कुलाध्यक्ष द्वारा नियुक्त एक अधिनिर्णायक होगा।

(2) अधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा और किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।

(3) उपधारा (1) द्वारा माध्यस्थम् अधिकरण को निर्देश किए जाने के लिए अपेक्षित किसी मामले की बाबत किसी न्यायालय में कोई वाद या कार्यवाही नहीं होगी।

(4) माध्यस्थम् अधिकरण को अपनी प्रक्रिया विनियमित करने की शक्ति होगी।

(5) माध्यस्थम् से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी विधि की कोई बात इस धारा के अधीन माध्यस्थमों को लागू नहीं होगी।

अध्याय 3

परिषद्

30. (1) ऐसी तारीख से, जो केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, अनुसूची के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट सभी संस्थानों के लिए एक केन्द्रीय निकाय स्थापित किया जाएगा जिसे परिषद् कहा जाएगा। परिषद् की स्थापना।

(2) परिषद् निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात्:—

(क) केन्द्रीय सरकार में तकनीकी शिक्षा पर प्रशासनिक नियंत्रण रखने वाले मंत्रालय या विभाग का, भारसाधक मंत्री, पदेन, अध्यक्ष;

(ख) केन्द्रीय सरकार में तकनीकी शिक्षा पर प्रशासनिक नियंत्रण रखने वाले मंत्रालय या विभाग का, भारसाधक, भारत सरकार का सचिव, पदेन, उपाध्यक्ष;

(ग) प्रत्येक बोर्ड का अध्यक्ष, पदेन;

(घ) प्रत्येक संस्थान का निदेशक, पदेन;

(ङ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष, पदेन;

(च) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् का महानिदेशक, पदेन;

(छ) केन्द्रीय सरकार के ऐसे मंत्रालयों या विभागों का जो जैव प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, सूचना प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष से संबंधित है, प्रतिनिधित्व करने वाले, भारत सरकार के चार सचिव, पदेन;

(ज) अध्यक्ष, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, पदेन;

(झ) कुलाध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किए गए कम से कम तीन या अधिक से अधिक पांच व्यक्ति, जिनमें से कम से कम एक महिला होगी जो शिक्षा, उद्योग, विज्ञान या प्रौद्योगिकी का विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्ति होंगे;

(ञ) तीन संसद् सदस्य, जिनमें से दो लोक सभा से और एक राज्य सभा से चुना जाएगा:

परंतु परिषद् के सदस्य का पद, संसद् के किसी सदन का सदस्य चुने जाने या होने से इसके धारक को निरर्हित नहीं करेगा;

(ट) उस सरकार के जहां संस्थान अवस्थित है, तकनीकी शिक्षा से संबंधित मंत्रालय या विभागों के राज्य सरकार के दो सचिव, पदेन;

(ठ) मानव संसाधन विकास मंत्रालय या केन्द्रीय सरकार के विभाग से संबंधित वित्त सलाहकार, पदेन;

(ड) केन्द्रीय सरकार के ऐसे मंत्रालय या विभाग का जो तकनीकी शिक्षा पर प्रशासनिक नियंत्रण रखता है, भारत सरकार के संयुक्त सचिव से अन्यून की पंक्ति का एक अधिकारी, पदेन, सदस्य सचिव।

31. (1) किसी सदस्य की पदावधि, अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष होगी: परिषद् के सदस्यों की पदावधि, रिक्तियां और उन्हें संदेय भत्ते।

परंतु पदेन सदस्य की पदावधि तब तक रहेगी जब तक वह उस पद को धारण करता है जिसके आधार पर वह सदस्य है।

(2) धारा 30 की उपधारा (2) के खंड (ञ) के अधीन निर्वाचित सदस्य की पदावधि, उसके उस सदन का, जिसने उसे निर्वाचित किया था, सदस्य न रहने पर, तत्काल समाप्त हो जाएगी।

(3) किसी आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए किसी नामनिर्दिष्ट या निर्वाचित सदस्य की पदावधि उस सदस्य की पदावधि के शेष भाग तक होगी जिसके स्थान पर वह नियुक्त किया गया है।

(4) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, पदावरोही सदस्य केन्द्रीय सरकार द्वारा, अन्यथा निदेश न दिए जाने की दशा में तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक कोई अन्य व्यक्ति उसके स्थान पर सदस्य के रूप में नियुक्त नहीं कर दिया जाता है।

(5) पदेन सदस्यों से भिन्न, परिषद् के सदस्यों को ऐसे यात्रा और अन्य भत्ते संदत्त किए जाएंगे जो विहित किए जाएं।

परिषद् के कृत्य।

32. (1) परिषद् का यह साधारण कर्तव्य होगा कि वह सभी संस्थानों के क्रियाकलापों का समन्वय करे।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, परिषद् निम्नलिखित कृत्य करेगी, अर्थात्:—

(क) पाठ्यक्रमों की अवधि, संस्थानों द्वारा प्रदान की जाने वाली उपाधियों और अन्य विद्या संबंधी विशिष्ट उपाधियों, प्रवेश स्तर और अन्य शैक्षिक विषयों से संबंधित बातों पर सलाह देना;

(ख) कर्मचारियों के काडर, उनकी भर्ती के ढंग और सेवा की शर्तें, छात्रवृत्तियां देने और फीस माफ करने, फीस के उद्ग्रहण और समान हित के अन्य मामलों के बारे में नीति अधिकथित करना;

(ग) प्रत्येक संस्थान की विकास योजनाओं की जांच करना और उनमें से ऐसी योजनाओं का अनुमोदन करना जो आवश्यक समझी जाएं और ऐसी अनुमोदित योजनाओं के वित्तीय परिणामों को भी मोटे तौर से उपदर्शित करना;

(घ) कुलाध्यक्ष को, इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा किए जाने वाले किसी कृत्य के संबंध में, उस दशा, में सलाह देना जिसमें ऐसी अपेक्षा की जाए; और

(ङ) ऐसे अन्य कृत्यों को करना जो इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसको सौंपे जाएं।

परिषद् का अध्यक्ष।

33. (1) परिषद् का अध्यक्ष परिषद् की बैठक की सामान्यतया अध्यक्षता करेगा:

परंतु उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष परिषद् की बैठक की अध्यक्षता करेगा।

(2) परिषद् के अध्यक्ष का यह कर्तव्य होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि परिषद् द्वारा किए गए विनिश्चय क्रियान्वित किए गए हैं।

(3) अध्यक्ष ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो उसे इस अधिनियम द्वारा सौंपे गए हैं।

(4) परिषद्, प्रत्येक वर्ष में एक बार अपनी बैठक करेगी और अपनी बैठक में ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगी जो विहित की जाए।

इस अध्याय के विषयों के बारे में नियम बनाने की शक्ति।

34. (1) केन्द्रीय सरकार, इस अध्याय के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:—

(क) धारा 31 की उपधारा (5) के अधीन परिषद् के सदस्यों को संदेय यात्रा और अन्य भत्ते; और

(ख) धारा 33 की उपधारा (4) के अधीन परिषद् की बैठक में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया।

(3) इस अध्याय के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अध्याय 4
प्रकीर्ण

35. इस अधिनियम या परिनियमों के अधीन गठित परिषद् या किसी संस्थान या बोर्ड या सिनेट या किसी अन्य निकाय का कोई कार्य निम्नलिखित कारणों से अविधिमान्य नहीं होगा:— रिक्तियों आदि के कारण कार्यों और कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना।

(क) उसमें कोई रिक्ति या उसके गठन में कोई त्रुटि है; या

(ख) उसके सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के निर्वाचन, नामनिर्देशन या नियुक्ति में कोई त्रुटि है; या

(ग) उसकी प्रक्रिया में कोई ऐसी अनियमितता है जो मामले के गुणागुण को प्रभावित नहीं करती है।

36. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसा उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो और जो कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो: कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।

परन्तु ऐसा कोई आदेश उस तारीख से, जिसको यह अधिनियम, राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करता है, दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

37. इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी— संक्रमणकालीन उपबंध।

(क) इस अधिनियम के प्रारंभ के ठीक पहले प्रत्येक संस्थान के शासक बोर्ड के रूप में कार्य करने वाला शासक बोर्ड उसी रूप में तब तक कार्य करता रहेगा जब तक इस अधिनियम के अधीन उस संस्थान के लिए कोई नया बोर्ड गठित नहीं कर दिया जाता है, किन्तु इस अधिनियम के अधीन नए बोर्ड के गठन पर बोर्ड के ऐसे सदस्य, जो ऐसे गठन के पहले पद धारण कर रहे हों, पद धारण नहीं करेंगे;

(ख) इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व, प्रत्येक संस्थान के संबंध में गठित प्रत्येक सिनेट को, इस अधिनियम के अधीन गठित सिनेट तब तक समझा जाएगा जब तक कि उस संस्थान के लिए इस अधिनियम के अधीन नई सिनेट गठित नहीं की जाती है, किन्तु ऐसे गठन से पहले पद धारण करने वाले सिनेट के सदस्य पद धारण नहीं करेंगे।

अनुसूची

[धारा 3 (छ), (ड) और धारा 4(1) देखिए]

इस अधिनियम में सम्मिलित किए गए केन्द्रीय संस्थानों की सूची

क्रम सं०	सोसाइटी	तत्समान संस्थान
(1)	(2)	(3)
1.	मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद सोसाइटी	मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद।
2.	मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल सोसाइटी	मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल।
3.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कालीकट सोसाइटी	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कालीकट।
4.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दुर्गापुर सोसाइटी	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दुर्गापुर।
5.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हमीरपुर सोसाइटी	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हमीरपुर।
6.	मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जयपुर सोसाइटी	मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जयपुर।
7.	डा० बी० आर० अंबेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जालंधर सोसाइटी	डा० बी० आर० अंबेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जालंधर।
8.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जमशेदपुर सोसाइटी	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जमशेदपुर।
9.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरुक्षेत्र सोसाइटी	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरुक्षेत्र।
10.	विश्वेस्वैरया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नागपुर सोसाइटी	विश्वेस्वैरया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नागपुर।
11.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना सोसाइटी	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना।
12.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राउरकेला सोसाइटी	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राउरकेला।
13.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सिलचर सोसाइटी	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सिलचर।
14.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, श्रीनगर सोसाइटी	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, श्रीनगर।
15.	सरदार वल्लभभाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सूरत सोसाइटी	सरदार वल्लभभाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सूरत।
16.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कर्नाटक, सूरथकल सोसाइटी	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कर्नाटक, सूरथकल।
17.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुचिरापल्ली सोसाइटी	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुचिरापल्ली।
18.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वारंगल सोसाइटी	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वारंगल।
19.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रायपुर सोसाइटी	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रायपुर।
20.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अगरतला सोसाइटी	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अगरतला।

भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक विधियां) संशोधन अधिनियम, 2007

(2007 का अधिनियम संख्यांक 30)

[18 जून, 2007]

सौराष्ट्र का स्टेट बैंक अधिनियम, 1950, हैदराबाद का स्टेट बैंक अधिनियम, 1956 और भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 का और संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के अठावनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक विधियां) संशोधन अधिनियम, 2007 है। संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

परंतु इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे किसी उपबंध में, इस अधिनियम के प्रारंभ होने के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रति निर्देश है ।

अध्याय 2

सौराष्ट्र का स्टेट बैंक अधिनियम, 1950 का संशोधन

धारा 5 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

2. सौराष्ट्र का स्टेट बैंक अधिनियम, 1950 की (जिसे इसमें इसके पश्चात् इस अध्याय में सौराष्ट्र का स्टेट बैंक अधिनियम कहा गया है) धारा 5 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:— 1950 का 10

प्राधिकृत पूंजी।

"5. (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सौराष्ट्र बैंक की प्राधिकृत पूंजी पांच अरब रुपए होगी।

(2) सौराष्ट्र बैंक की प्राधिकृत पूंजी, एक–एक सौ रुपए के या ऐसे अंकित मूल्य के, जो सौराष्ट्र बैंक स्टेट बैंक के अनुमोदन से विनिश्चित करे, शेयरों में विभाजित की जाएगी।

(3) सौराष्ट्र बैंक, भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 63 के अधीन बनाए गए विनियमों द्वारा यथाविनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार, ऐसे अंकित मूल्य के, जो सौराष्ट्र बैंक, स्टेट बैंक के अनुमोदन से विनिश्चित करे, समतुल्य मूल्य के शेयर प्रमाणपत्र जारी कर सकेगा और सौराष्ट्र बैंक का प्रत्येक शेयरधारक ऐसे अंकित मूल्य के समतुल्य मूल्य के शेयर प्रमाणपत्र प्राप्त करने का हकदार होगा। 1959 का 38

(4) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, स्टेट बैंक, रिजर्व बैंक के अनुमोदन से, सौराष्ट्र बैंक को अपनी प्राधिकृत पूंजी बढ़ाने या घटाने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा।" ।

धारा 6 का संशोधन।

3. सौराष्ट्र का स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 6 में,—

(क) उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(1क) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, सौराष्ट्र बैंक की पुरोधृत पूंजी ऐसी रकम के रूप में होगी, जो स्टेट बैंक, रिजर्व बैंक के अनुमोदन से, नियत करे और धारा 5 की उपधारा (2) के अनुसार ऐसे अंकित मूल्य के पूर्णतः समादत्त शेयर में विभाजित होगी।";

(ख) उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:—

"(3) सौराष्ट्र बैंक, समय-समय पर, स्टेट बैंक और रिजर्व बैंक के अनुमोदन से, भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 63 के अधीन बनाए गए विनियमों द्वारा यथा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार अपनी पुरोधृत पूंजी को, चाहे लोक निर्गमन द्वारा या अधिमानी आबंटन या निजी स्थापन द्वारा, साधारण शेयर या अधिमानी शेयर जारी करके बढ़ा सकेगा। 1959 का 38

(3क) सौराष्ट्र बैंक की पुरोधृत पूंजी, साधारण शेयरों या साधारण और अधिमानी शेयरों में होगी:

परन्तु अधिमानी शेयरों का जारी किया जाना, रिजर्व बैंक द्वारा अधिमानी शेयरों के वर्ग, ऐसे अधिमानी शेयरों के (चाहे शाश्वत् हों या अमोचनीय या मोचनीय) प्रत्येक वर्ग के जारी शेयरों की सीमा और उन निबंधनों और शर्तों को विनिर्दिष्ट करते हुए, जिनके अधीन रहते हुए प्रत्येक वर्ग के शेयर जारी किए जा सकेंगे, विरचित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार होगा।

(3ख) सौराष्ट्र बैंक, स्टेट बैंक और रिजर्व बैंक के अनुमोदन से, समय-समय पर, विद्यमान साधारण शेयरधारकों को बोनस शेयर जारी करके अपनी पुरोधृत पूंजी को ऐसी रीति से, बढ़ा सकेगा, जो स्टेट बैंक, रिजर्व बैंक के अनुमोदन से निदेशित करे।

(3ग) सौराष्ट्र बैंक की पुरोधृत पूंजी में कोई वृद्धि या कमी ऐसी रीति में नहीं की जाएगी कि स्टेट बैंक किसी भी समय सौराष्ट्र बैंक के साधारण शेयरों वाली पुरोधृत पूंजी के इक्यावन प्रतिशत से कम धारण करे।

1959 का 38 (3घ) सौराष्ट्र बैंक पुरोधृत पूंजी में वृद्धि के संबंध में जारी किए गए शेयरों के संबंध में किस्तों में धन स्वीकार कर सकेगा, उसके लिए मांग कर सकेगा और असमादत्त शेयरों का समपहरण कर सकेगा और भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 63 के अधीन बनाए गए विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट रीति में उन्हें पुनः जारी कर सकेगा।"।

अध्याय 3

हैदराबाद का स्टेट बैंक अधिनियम, 1956 का संशोधन

1956 का 79 4. हैदराबाद का स्टेट बैंक अधिनियम, 1956 (जिसे इसमें इसके पश्चात् इस अध्याय में हैदराबाद का स्टेट बैंक अधिनियम कहा गया है) की धारा 9 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:— धारा 9 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

"9. (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, हैदराबाद बैंक की प्राधिकृत पूंजी पांच अरब रुपए होगी। प्राधिकृत पूंजी ।

(2) हैदराबाद बैंक की प्राधिकृत पूंजी, एक–एक सौ रुपए के या ऐसे अंकित मूल्य के, जो हैदराबाद बैंक, स्टेट बैंक के अनुमोदन से, विनिश्चित करे, शेयरों में विभाजित होगी।

1959 का 38 (3) हैदराबाद बैंक, भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 63 के अधीन बनाए गए विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार, ऐसे अंकित मूल्य के, जो हैदराबाद बैंक, स्टेट बैंक के अनुमोदन से, विनिश्चित करे, समतुल्य मूल्य के शेयर प्रमाणपत्र जारी कर सकेगा और हैदराबाद बैंक का प्रत्येक शेयर धारक ऐसे अंकित मूल्य के समतुल्य मूल्य के शेयर प्रमाणपत्र प्राप्त करने का हकदार होगा।

(4) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, स्टेट बैंक, रिजर्व बैंक के अनुमोदन से हैदराबाद बैंक को अपनी प्राधिकृत पूंजी बढ़ाने या घटाने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा।"।

5. हैदराबाद का स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 10 में,— धारा 10 का संशोधन।

(क) उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(1क) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, हैदराबाद बैंक की पुरोधृत पूंजी ऐसी रकम के रूप में होगी, जो, स्टेट बैंक रिजर्व बैंक के अनुमोदन से नियत करे और धारा 9 की उपधारा (2) के अनुसार ऐसे अंकित मूल्य के पूर्णतः समादत्त शेयरों में विभाजित होगी।";

(ख) उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:—

1959 का 38 "(3) हैदराबाद बैंक, समय-समय पर, स्टेट बैंक और रिजर्व बैंक के अनुमोदन से, भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 63 के अधीन बनाए गए विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार अपनी पुरोधृत पूंजी को, चाहे लोक निर्गमन द्वारा या अधिमानी आबंटन या निजी स्थापन द्वारा, साधारण शेयर या अधिमानी शेयर जारी करके बढ़ा सकेगा।

(3क) हैदराबाद बैंक की पुरोधृत पूंजी साधारण शेयरों या साधारण और अधिमानी शेयरों में होगी:

परन्तु अधिमानी शेयरों का जारी किया जाना, रिजर्व बैंक द्वारा अधिमानी शेयरों के वर्ग, ऐसे अधिमानी शेयरों के (चाहे शाश्वत हों या अमोचनीय या मोचनीय) प्रत्येक वर्ग के जारी शेयरों की सीमा और उन निबन्धनों और शर्तों को विनिर्दिष्ट करते हुए, जिनके अधीन प्रत्येक वर्ग के अधिमानी शेयर जारी किए जा सकेंगे, बनाए गए मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार होगा।

(3ख) हैदराबाद बैंक, स्टेट बैंक और रिजर्व बैंक के अनुमोदन से, समय-समय पर, विद्यमान साधारण शेयरधारकों को बोनस शेयर जारी करके अपनी पुरोधृत पूंजी को ऐसी रीति से बढ़ा सकेगा, जो स्टेट बैंक रिजर्व बैंक के अनुमोदन से निदेशित करे।

(3ग) हैदराबाद बैंक की पुरोधृत पूंजी में कोई वृद्धि या कमी ऐसी रीति में नहीं की जाएगी कि स्टेट बैंक किसी भी समय हैदराबाद बैंक के साधारण शेयरों वाली पुरोधृत पूंजी के इक्यावन प्रतिशत से कम धारण करे।

(3घ) हैदराबाद बैंक पुरोधृत पूंजी में वृद्धि के संबंध में जारी किए गए शेयरों के संबंध में किस्तों में धन स्वीकार कर सकेगा, उसके लिए मांग कर सकेगा और असमादत्त शेयरों का समपहरण कर सकेगा और भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 63 के अधीन बनाए गए विनियमों द्वारा 1959 का 38
यथा विनिर्दिष्ट रीति में उन्हें पुनः जारी कर सकेगा।"।

अध्याय 4

भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 का संशोधन

धारा 6 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

6. भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 [जिसे इसमें इसके पश्चात् 1959 का 38
इस अध्याय में भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम कहा गया है] की धारा 6 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

नए बैंक की प्राधिकृत पूंजी।

"6. (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक नए बैंक की प्राधिकृत पूंजी पांच अरब रुपए होगी।

(2) प्रत्येक नए बैंक की प्राधिकृत पूंजी, एक-एक सौ रुपए के या ऐसे अंकित मूल्य के जो नया बैंक, स्टेट बैंक के अनुमोदन से विनिश्चित करे, शेयरों में विभाजित की जाएगी।

(3) प्रत्येक नया बैंक, विहित प्रक्रिया के अनुसार ऐसे अंकित मूल्य के, जो नया बैंक, स्टेट बैंक के अनुमोदन से विनिश्चित करे, समतुल्य मूल्य के शेयर प्रमाणपत्र जारी कर सकेगा और नए बैंक का प्रत्येक शेयरधारक ऐसे अंकित मूल्य के समतुल्य मूल्य के शेयर प्रमाणपत्र प्राप्त करने का हकदार होगा।

(4) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, स्टेट बैंक, रिजर्व बैंक के अनुमोदन से, नए बैंक को अपनी प्राधिकृत पूंजी बढ़ाने या घटाने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा।"।

धारा 7 का संशोधन।

7. भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम की धारा 7 में,—

(क) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(1क) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, नए बैंक की पुरोधृत पूंजी ऐसी रकम के रूप में होगी, जो स्टेट बैंक, रिजर्व बैंक के अनुमोदन से, नियत करे और धारा 6 की उपधारा (2) के अनुसार ऐसे अंकित मूल्य के पूर्णतः समादत्त शेयरों में विभाजित होगी।";

(ख) उपधारा (4) और उपधारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:—

"(4) नया बैंक, समय-समय पर स्टेट बैंक और रिजर्व बैंक के अनुमोदन से, ऐसी प्रक्रिया के अनुसार, जो विहित की जाए, अपनी पुरोधृत पूंजी को, चाहे लोक निर्गमन द्वारा या अधिमानी आबंटन या निजी स्थापन द्वारा साधारण शेयर या अधिमानी शेयर जारी करके बढ़ा सकेगा।

(5) किसी नए बैंक की पुरोधृत पूंजी, साधारण शेयरों या साधारण और अधिमानी शेयरों में होगी:

परन्तु अधिमानी शयरों का जारी किया जाना, रिजर्व बैंक द्वारा अधिमानी शेयरों के वर्ग, ऐसे अधिमानी शेयरों के (चाहे शाश्वत् हों या अमोचनीय या मोचनीय) प्रत्येक वर्ग के जारी शेयरों की सीमा और उन निबंधनों और शर्तों को विनिर्दिष्ट करते हुए, जिनके अधीन रहते हुए प्रत्येक वर्ग के शेयर जारी किए जा सकेंगे, विरचित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार होगा।

(6) नया बैंक, स्टेट बैंक और रिजर्व बैंक के अनुमोदन से, समय-समय पर, विद्यमान साधारण शेयरधारक को बोनस शेयर जारी करके अपनी पुरोधृत पूंजी को ऐसी रीति से बढ़ा सकेगा, जो स्टेट बैंक, रिजर्व बैंक के अनुमोदन से निदेशित करे।

(7) नए बैंक की पुरोधृत पूंजी में कोई वृद्धि या कमी ऐसी रीति में नहीं की जाएगी कि स्टेट बैंक किसी भी समय नए बैंक के साधारण शेयरों वाली पुरोधृत पूंजी के इक्यावन प्रतिशत से कम धारण करे।

(8) नया बैंक पुरोधृत पूंजी में वृद्धि के संबंध में जारी शेयरों के संबंध में किस्तों में धन स्वीकार कर सकेगा, उसके लिए मांग कर सकेगा और असमादत्त शेयरों का समपहरण कर सकेगा और विहित रीति में उन्हें पुनः जारी कर सकेगा।"।

8. भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम की धारा 18 की, उपधारा (2) में, "पुरोधृत पूंजी का पचपन प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर, "साधारण शेयरों वाली पुरोधृत पूंजी का इक्यावन प्रतिशत" शब्द रखे जाएंगे। धारा 18 का संशोधन।

9. भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम की धारा 18 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:— धारा 18क का अंतःस्थापन।

"18क. (1) किसी समनुषंगी बैंक का रजिस्ट्रीकृत शेयरधारक प्रत्येक व्यक्ति, किसी भी समय, किसी विहित रीति में ऐसे व्यक्ति को नामनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिसे उसकी मृत्यु की दशा में शेयरों में के उसके सभी अधिकार निहित होंगे। रजिस्ट्रीकृत शेयर धारकों का नामनिर्देशित करने का अधिकार।

(2) जहां शेयर एक से अधिक व्यक्तियों के नाम में संयुक्त रूप से रजिस्ट्रीकृत हों, वहां संयुक्त धारक, विहित रीति में, एक साथ ऐसे व्यक्ति को नामनिर्देशित कर सकेंगे, जिसे सभी संयुक्त धारकों की मृत्यु की दशा में शेयरों में के उनके सभी अधिकार निहित होंगे।

(3) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि या ऐसे शेयरों की बाबत किसी व्ययन में, चाहे वसीयती हो या अन्यथा, किसी बात के होते हुए भी, जहां विहित रीति में किया गया नामनिर्देशन शेयरों को निहित करने का अधिकार किसी व्यक्ति को प्रदत्त करने के लिए तात्पर्यित है, वहां नामनिर्देशिती, यथास्थिति, शेयर धारक की मृत्यु पर या सभी संयुक्त धारकों की मृत्यु पर, जब तक कि नामनिर्देशन में विहित रीति में परिवर्तन या उसका निरसन न कर दिया गया हो, सभी अन्य व्यक्तियों को छोड़ते हुए ऐसे शेयरों के संबंध में, यथास्थिति, धारक या सभी संयुक्त धारकों के सभी अधिकारों के लिए हकदार होगा।

(4) जहां कोई नामनिर्देशिती अवयस्क है, वहां शेयरधारक के रूप में रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह नामनिर्देशिती की अवयस्कता के दौरान, अपनी मृत्यु होने की दशा में शेयरों का हकदार होने के लिए किसी व्यक्ति को, विहित रीति में, नियुक्त करने के लिए नामनिर्देशन करे ।"।

धारा 19 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

10. भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम की धारा 19 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

मताधिकार पर निर्बंधन।

"19. स्टेट बैंक से भिन्न, कोई शेयरधारक, संबद्ध समनुषंगी बैंक की पुरोधृत पूंजी के दस प्रतिशत के आधिक्य में उसके द्वारा धारित किन्हीं शेयरों के संबंध में मताधिकार का प्रयोग करने का हकदार नहीं होगा:

परन्तु समनुषंगी बैंक में कोई अधिमानी शेयरपूंजी धारण करने वाले शेयरधारक को, केवल ऐसी पूंजी के संबंध में, ऐसे समनुषंगी बैंक के समक्ष रखे गए संकल्पों के संबंध में ही मत देने का अधिकार होगा, जो उसके अधिमानी शेयरों से संबंधित अधिकारों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं:

परन्तु यह और कि कोई अधिमानी शेयरधारक, केवल अधिमानी शेयरपूंजी धारण करने वाले सभी शेयरधारकों के कुल मताधिकारों के दस प्रतिशत से आधिक्य में उसके द्वारा धारित अधिमानी शेयरों के संबंध में मताधिकार का प्रयोग करने का हकदार नहीं होगा।"।

धारा 21 का संशोधन।

11. भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम की धारा 21 को उसकी उपधारा (1) के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

"(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, किसी समनुषंगी बैंक के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह ऐसे रक्षोपायों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, कंप्यूटर फ्लापियों या डिस्केटों या अन्य इलेक्ट्रानिक रीति में शेयरधारकों का रजिस्टर रखे।

(3) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में किसी बात के होते हुए भी, शेयरधारक रजिस्टर की एक प्रति या उसके उद्धरण, जो प्राधिकृत समनुषंगी बैंक के इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा प्रमाणित किए गए हों, सभी विधिक कार्यवाहियों में साक्ष्य में ग्राह्य होंगे।"। 1872 का 1

धारा 22 का संशोधन।

12. भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम की धारा 22 में "धारा 19 में किसी बात के होते हुए भी, किसी न्यास की कोई अभिव्यक्त, विवक्षित या आन्वयिक सूचना" शब्दों और अंकों के स्थान पर "किसी न्यास की कोई अभिव्यक्त, विवक्षित या आन्वयिक सूचना" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 25 का संशोधन।

13. भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम की धारा 25 में—

(i) उपधारा (1) में,—

(क) खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(क) भारतीय स्टेट बैंक का तत्समय अध्यक्ष, पदेन या उसके द्वारा रिजर्व बैंक के अनुमोदन से, अध्यक्ष के रूप में नामनिर्देशित स्टेट बैंक का या समनुषंगी बैंक का कोई पदधारी;";

(ख) खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(ख) एक ऐसा निदेशक, जिसके पास वाणिज्यिक बैंकों के विनियमन या पर्यवेक्षण से संबंधित मामलों में आवश्यक विशेषज्ञता और अनुभव हो, जिसे रिजर्व बैंक द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा;";

(ग) खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(घ) तीन से अनधिक निदेशक निम्नलिखित रीति से निर्वाचित किए जाएंगे, अर्थात्:—

(i) यदि किसी समनुषंगी बैंक के शेयरधारकों (स्टेट बैंक से भिन्न) की धृति की कुल रकम, कुल पुरोधृत पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक है और ऐसी पूंजी के सोलह प्रतिशत के बराबर या उससे कम है तो एक निदेशक ऐसे शेयरधारकों द्वारा विहित रीति में निर्वाचित किया जाएगा और दो निदेशक स्टेट बैंक द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे; या

(ii) यदि किसी समनुषंगी बैंक के शेयरधारकों (स्टेट बैंक से भिन्न) की धृति की कुल रकम, कुल पुरोधृत पूंजी के सोलह प्रतिशत से अधिक है और ऐसी पूंजी के बत्तीस प्रतिशत के बराबर या उससे कम है तो दो निदेशक ऐसे शेयरधारकों द्वारा विहित रीति में निर्वाचित किए जाएंगे और एक निदेशक स्टेट बैंक द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा; या

(iii) यदि किसी समनुषंगी बैंक के शेयरधारकों (स्टेट बैंक से भिन्न) की धृति की कुल रकम, कुल पुरोधृत पूंजी के बत्तीस प्रतिशत से अधिक है तो सभी तीनों निदेशक ऐसे शेयरधारकों द्वारा विहित रीति में निर्वाचित किए जाएंगे:

परंतु यदि किसी समनुषंगी बैंक (स्टेट बैंक से भिन्न) के शेयरधारकों की धृति की कुल रकम कुल पुरोधृत पूंजी से अधिक नहीं है तो सभी तीनों निदेशक स्टेट बैंक द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे, और ऐसे निदेशक इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए इस खंड के अधीन निर्वाचित किए गए निदेशक समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, ऐसे शेयरधारकों की (स्टेट बैंक से भिन्न), जिनके नाम निदेशकों के निर्वाचन के लिए नियत की गई तारीख के तीन मास पूर्व समनुषंगी बैंक के शेयरधारकों के रजिस्टर पर हैं, धृति की कुल रकम गणना में ली जाएगी।";

(ii) उपधारा (3) का लोप किया जाएगा;

(iii) उपधारा (4) में, "रिजर्व बैंक या" शब्दों का लोप किया जाएगा।

14. भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम की धारा 25 के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:— नई धारा 25क और धारा 25ख का अंतःस्थापन।

"25क. (1) धारा 25 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन निर्वाचित किए जाने वाले निदेशकों के पास— किसी निर्वाचित निदेशक की ठीक और उचित प्रास्थिति।

(अ) निम्नलिखित एक या अधिक विषयों की बाबत विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव होगा, अर्थात्:—

(i) कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था,

(ii) बैंककारी,

(iii) सहकारिता,

(iv) अर्थशास्त्र,

(v) वित्त,

(vi) विधि,

(vii) लघु उद्योग,

(viii) कोई अन्य ऐसा विषय, जिसका विशेष ज्ञान और जिसमें व्यावहारिक अनुभव, रिजर्व बैंक की राय में समनुषंगी बैंक के लिए उपयोगी होंगे;

(आ) जमाकर्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करेंगे; या

(इ) किसानों, कर्मकारों और शिल्पियों के हितों का प्रतिनिधित्व करेंगे।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति, धारा 25 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन निदेशक के रूप में निर्वाचित किए जाने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा, जब तक कि वह ट्रेक रिकार्ड, सत्यनिष्ठा और ऐसे अन्य मापदंड के, जो इस संबंध में रिजर्व बैंक, समय-समय पर, अधिसूचित करे, ठीक और उचित प्रास्थिति वाला व्यक्ति न हो।

(3) रिजर्व बैंक, उपधारा (2) के अधीन जारी अधिसूचना में, ठीक और उचित प्रास्थिति का अवधारण करने वाला प्राधिकारी, ऐसे अवधारण की रीति, ऐसे अवधारण के लिए अनुपालन की जाने वाली प्रक्रिया और ऐसे अन्य विषयों को, जो आवश्यक और उससे आनुषंगिक समझे जाएं, भी विनिर्दिष्ट कर सकेगा।

(4) जहां रिजर्व बैंक की यह राय है कि धारा 25 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन निर्वाचित समनुषंगी बैंक का कोई निदेशक, उपधारा (1) और उपधारा (2) की अपेक्षाएं पूरी नहीं करता है, वहां वह ऐसे निदेशक और समनुषंगी बैंक को सुनवाई का अवसर दिए जाने के पश्चात्, आदेश द्वारा, उस निदेशक को हटा सकेगा और ऐसे हटाए जाने पर, निदेशक बोर्ड, उक्त धाराओं की अपेक्षाओं को पूरा करने वाले व्यक्ति को, अगले वार्षिक साधारण अधिवेशन में समनुषंगी बैंक के शेयरधारकों द्वारा किसी निदेशक के सम्यक् रूप से निर्वाचित किए जाने तक, इस प्रकार हटाए गए व्यक्ति के स्थान पर निदेशक के रूप में सहयोजित करेगा और इस प्रकार सहयोजित व्यक्ति समनुषंगी बैंक के शेयरधारकों द्वारा निदेशक के रूप में सम्यक् रूप से निर्वाचित किया गया समझा जाएगा।

रिजर्व बैंक की अतिरिक्त निदेशक नियुक्त करने की शक्ति।

25ख. (1) यदि रिजर्व बैंक की यह राय है कि बैंककारी नीति के हित में या लोकहित में या समनुषंगी बैंक या उसके निक्षेपकर्ताओं के हित में ऐसा करना आवश्यक है तो वह, समय-समय पर और लिखित आदेश द्वारा, ऐसी तारीख से, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, एक या अधिक व्यक्तियों को, समनुषंगी बैंक के अतिरिक्त निदेशकों के रूप में पद धारण करने के लिए नियुक्त कर सकेगा।

(2) इस धारा के अनुसरण में अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति—

(क) रिजर्व बैंक के प्रसादपर्यन्त और उसके अधीन रहते हुए, तीन वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए या ऐसी और अवधि के लिए पद धारण करेगा, जो एक बार में तीन वर्ष से अधिक न हो, जो रिजर्व बैंक विनिर्दिष्ट करे;

(ख) स्वयं निदेशक होने के कारण ही या अपने पद के कर्तव्यों के निष्पादन में या उसके संबंध में सद्भावपूर्वक की गई किसी बात के किए जाने या करने से रह गई किसी बात के कारण कोई बाध्यता या उत्तरदायित्व उपगत नहीं करेगा;

(ग) उससे समनुषंगी बैंक में अर्हता शेयर धारण करना अपेक्षित नहीं होगा।

(3) समनुषंगी बैंक के निदेशकों की कुल संख्या के किसी अनुपात की संगणना करने के प्रयोजन के लिए इस धारा के अधीन नियुक्त किसी अतिरिक्त निदेशक को हिसाब में नहीं लिया जाएगा।" ।

15. भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम की धारा 27 की उपधारा (5) के खंड (क) में, "बैंककारी कंपनी अधिनियम, 1949" शब्दों और अंकों के स्थान पर "बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949" शब्द और अंक रखे जाएंगे। धारा 27 का संशोधन।

1949 का 10
1949 का 10

16. भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम की धारा 34 में,— धारा 34 का संशोधन।

(क) उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(1) समनुषंगी बैंक के निदेशक बोर्ड का अधिवेशन, ऐसे समय और स्थान पर होगा, और वह अपने अधिवेशनों में कामकाज के संव्यवहार के संबंध में प्रक्रिया के ऐसे नियमों का अनुपालन करेगा, जो विहित किए जाएं; और निदेशक बोर्ड के अधिवेशन, वीडियो-कान्फ्रेंसिंग या ऐसे अन्य इलेक्ट्रानिक साधनों के, जो विहित किए जाएं, माध्यम से, बोर्ड के निदेशकों की सहभागिता द्वारा आयोजित किए जा सकेंगे, जो निदेशकों की सहभागिता को रिकार्ड और स्वीकार करने में सक्षम हों और ऐसे अधिवेशनों की कार्यवाहियां अभिलिखित और भंडारित किए जाने के योग्य हों:

परन्तु केन्द्रीय सरकार, रिजर्व बैंक से परामर्श करके, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उन शक्तियों को विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिनका वीडियो-कान्फ्रेंसिंग या ऐसे अन्य इलेक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से किए गए निदेशक बोर्ड के अधिवेशन में प्रयोग नहीं किया जाएगा।";

(ख) उपधारा (2) में "स्टेट बैंक का अध्यक्ष", शब्दों के स्थान पर "किसी समनुषंगी बैंक के निदेशक बोर्ड का अध्यक्ष" शब्द रखे जाएंगे;

(ग) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(3) समनुषंगी बैंक के निदेशक बोर्ड के अधिवेशन में सभी प्रश्न, अधिवेशन में उपस्थित या वीडियो-कान्फ्रेंसिंग या ऐसे अन्य इलेक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से निदेशकों के बहुमत द्वारा विनिश्चित किए जाएंगे तथा मतों के बराबर होने की दशा में; समनुषंगी बैंक के निदेशक बोर्ड के अध्यक्ष का या उसकी अनुपस्थिति में अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का दूसरा या निर्णायक मत होगा।";

(घ) उपधारा (5) के परन्तुक के खंड (ii) में "खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन नामनिर्देशित रिजर्व बैंक या स्टेट बैंक" शब्दों, कोष्ठकों और अक्षरों के स्थान पर, "खंड (ग) के अधीन नामनिर्देशित स्टेट बैंक" शब्द, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ङ) उपधारा (6) में "और रिजर्व बैंक" शब्दों का लोप किया जाएगा।

17. भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम की धारा 35 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:— नई धारा 35क का अंतःस्थापन।

"35क. (1) जहां रिजर्व बैंक का, स्टेट बैंक की सिफारिश पर, यह समाधान हो जाता है कि लोकहित में या किसी समनुषंगी बैंक के कार्यों का संचालन ऐसी रीति में, जो निक्षेपकर्ताओं या समनुषंगी बैंक के हित के लिए हानिकारक है, किए जाने से रोकने के लिए या किसी नए बैंक के उचित प्रबंध को सुनिश्चित करने के लिए ऐसा करना आवश्यक है, वहां रिजर्व बैंक, ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएंगे, आदेश द्वारा, ऐसे समनुषंगी बैंक के निदेशक बोर्ड को, छह मास से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, अधिक्रांत कर सकेगा : कतिपय मामलों में निदेशक बोर्ड का अधिक्रमण।

परंतु यह कि निदेशक बोर्ड के अधिक्रमण की अवधि, समय-समय पर, बढ़ाई जा सकेगी, किन्तु फिर भी कुल अवधि बारह मास से अधिक नहीं होगी।

(2) रिजर्व बैंक, उपधारा (1) के अधीन समनुषंगी बैंक के निदेशक बोर्ड के अधिक्रमण पर, ऐसी अवधि के लिए, जो वह अवधारित करे, एक ऐसे प्रशासक की, जो केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार का अधिकारी न हो, नियुक्ति कर सकेगी, जिसके पास विधि, बैंककारी, अर्थशास्त्र या लेखाकर्म में अनुभव हो।

(3) रिजर्व बैंक, प्रशासक को ऐसे निदेश जारी कर सकेगा, जो वह समुचित समझे और प्रशासक ऐसे निदेशों का पालन करने के लिए बाध्य होगा।

(4) समनुषंगी बैंक के निदेशक बोर्ड के अधिक्रमण का आदेश करने पर, इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी—

(क) अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक और अन्य निदेशक, अधिक्रमण की तारीख से उस रूप में अपने पद रिक्त कर देंगे;

(ख) ऐसी सभी शक्तियों, कृत्यों और कर्तव्यों का, जिनका इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों द्वारा या उनके अधीन ऐसे समनुषंगी बैंक के निदेशक बोर्ड द्वारा या उसकी ओर से या समनुषंगी बैंक के साधारण अधिवेशन में पारित संकल्प द्वारा प्रयोग या निर्वहन किया जा सकेगा, ऐसे समनुषंगी बैंक के निदेशक बोर्ड का पुनर्गठन किए जाने तक, उपधारा (2) के अधीन रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त प्रशासक द्वारा प्रयोग और निर्वहन किया जाएगा:

परंतु प्रशासक द्वारा प्रयोग की गई शक्ति, इस बात के होते हुए भी विधिमान्य होगी कि ऐसी शक्ति समनुषंगी बैंक के साधारण अधिवेशन में पारित संकल्प द्वारा प्रयोक्तव्य है।

(5) रिजर्व बैंक, प्रशासक की, उसके कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए, तीन या अधिक ऐसे व्यक्तियों की समिति का गठन कर सकेगा, जिनके पास विधि, वित्त, बैंककारी, अर्थशास्त्र या लेखाकर्म में अनुभव हो।

(6) उपधारा (5) में निर्दिष्ट समिति ऐसे समयों और स्थानों पर अधिवेशन करेगी और प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगी, जो रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(7) प्रशासक और रिजर्व बैंक द्वारा उपधारा (5) के अधीन गठित समिति के सदस्यों के वेतन और भत्ते ऐसे होंगे, जो रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं और वे संबंधित समनुषंगी बैंक द्वारा संदेय होंगे।

(8) उपधारा (1) के अधीन जारी किए गए आदेश में यथा विनिर्दिष्ट निदेशक बोर्ड के अधिक्रमण की अवधि की समाप्ति से पूर्व दो मास के अवसान पर और उसके पूर्व समनुषंगी बैंक का प्रशासक नए निदेशकों का निर्वाचन करने और उसके निदेशक बोर्ड का पुनर्गठन करने के लिए समनुषंगी बैंक का साधारण अधिवेशन बुलाएगा।

(9) किसी अन्य विधि में या किसी संविदा, ज्ञापन या संगम-अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति अपने पद की हानि या पर्यवसान के लिए किसी प्रतिकर का दावा करने का हकदार नहीं होगा।

(10) उपधारा (2) के अधीन नियुक्त प्रशासक, समनुषंगी बैंक के निदेशक बोर्ड के पुनर्गठित किए जाने के पश्चात् तुरन्त अपना पद रिक्त कर देगा।"।

धारा 38 का संशोधन। **18.** भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (10) के खंड (क) में "बैंककारी कंपनी अधिनियम, 1949" शब्दों और अंकों के स्थान पर "बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949" शब्द और अंक रखे जाएंगे। 1949 का 10 1949 का 10

19. भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम की धारा 39 में, ''दिसम्बर'' शब्द के स्थान पर, ''मार्च'' शब्द रखा जाएगा। धारा 39 का संशोधन।

20. भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम की धारा 40 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:— नई धारा 40क का अंतःस्थापन।

'40क. (1) जहां, भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक विधियां) संशोधन अधिनियम, 2007 के प्रारंभ के पश्चात्, समनुषंगी बैंक द्वारा कोई लाभांश घोषित किया गया है, किन्तु घोषणा की तारीख से तीस दिन के भीतर ऐसे किसी शेयरधारी को, जो लाभांश के संदाय का हकदार है, उसका संदाय नहीं किया गया है या उसके द्वारा दावा नहीं किया गया है, वहां समनुषंगी बैंक तीस दिन की ऐसी अवधि की समाप्ति की तारीख से सात दिन के भीतर, ऐसे लाभांश की कुल रकम, जो उक्त तीस दिन की अवधि के भीतर असंदत्त या अदावाकृत रह जाती है, एक विशेष लेखा में, "जो...का (समनुषंगी बैंक का नाम) असदंत्त लाभांश लेखा" अंतरित करेगा। असंदत्त या अदावाकृत लाभांश का असंदत्त लाभांश लेखा में अंतरण।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा में, "लाभांश, जो असदंत्त" पंद से ऐसा लाभांश अभिप्रेत है, जिसकी बाबत अधिपत्र भुनाया नहीं गया है या जिसका अन्यथा संदाय या दावा नहीं किया गया है।

(2) जहां भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक विधियां) संशोधन अधिनियम, 2007 के प्रारंभ के पूर्व, समनुषंगी बैंक द्वारा घोषित कोई संपूर्ण लाभांश या उसका कोई भाग ऐसे प्रारंभ पर असंदत्त रहता है, वहां समनुषंगी बैंक, ऐसे प्रारंभ से छह मास की अवधि के भीतर, ऐसी असंदत्त रकम को उपधारा (1) में निर्दिष्ट लेखा में अंतरित कर देगा।

(3) इस धारा के अनुसरण में समनुषंगी बैंक के असंदत्त लाभांश लेखा में अंतरित कोई ऐसा धन, जो ऐसे अंतरण की तारीख से सात वर्ष की अवधि तक असंदत्त या अदावाकृत रहता है, समनुषंगी बैंक द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205ग की उपधारा (1) के अधीन स्थापित विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित कर दिया जाएगा। 1956 का 1

(4) उपधारा (3) के अधीन विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित धन का, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205ग में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए और रीति से उपयोग किया जाएगा।'। 1956 का 1

21. भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम की धारा 43 में,— धारा 43 का संशोधन।

(क) उपधारा (1) के खंड (क) में, "दिसंबर" शब्द के स्थान पर, "मार्च" शब्द रखा जाएगा;

(ख) उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(2) समनुषंगी बैंक के तुलनपत्र और लाभ और हानि लेखा पर समनुषंगी बैंक के कार्यालय में अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक के पद धारण करने वाले व्यक्तियों और अन्य निदेशकों की बहुसंख्या द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।" ।

22. भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम की धारा 44 में,— धारा 44 का संशोधन।

(क) उपधारा (2) में,—

(i) "तुलनपत्र और लेखाओं की बाबत संपरीक्षकों की रिपोर्ट पर, चर्चा करने के हकदार होंगे" शब्दों के स्थान पर "तुलनपत्र और लेखाओं की बाबत संपरीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा करने और उसे अंगीकार करने के हकदार होंगे" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) "दिसंबर", शब्द के स्थान पर "मार्च", शब्द रखा जाएगा;

(ख) उपधारा (3) में "दिसंबर" शब्द के स्थान पर "मार्च" शब्द रखा जाएगा।

धारा 48 का संशोधन। **23.** भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम की धारा 48 की उपधारा (2) में, "भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922", शब्दों और अंकों के स्थान पर, "आय-कर 1922 का 11 अधिनियम, 1961" शब्द और अंक रखे जाएंगे। 1961 का 43

धारा 50 का संशोधन। **24.** भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम की धारा 50 की उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(1क) संबंधित समनुषंगी बैंक के अधिकारी, सलाहकार और कर्मचारी, व्यक्तिगत रूप से या संयुक्त रूप से या किसी समिति में अन्य अधिकारियों, सलाहकारों और कर्मचारियों के साथ, ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे, जो निदेशक बोर्ड या उसकी कार्यपालिका समिति द्वारा उनको सौंपे जाएं या प्रत्यायोजित किए जाएं।"।

धारा 55 का संशोधन। **25.** भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम की धारा 55 में "बैंककारी कंपनी अधिनियम", शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, "बैंककारी विनियमन अधिनियम" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 63 का संशोधन। **26.** भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम की धारा 63 में,—

(क) उपधारा (1) स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(1) किसी समनुषंगी बैंक का निदेशक बोर्ड, स्टेट बैंक से परामर्श करने के पश्चात् और रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन से, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे सभी विषयों का उपबंध करने के लिए, जिनके लिए इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए उपबंध करना आवश्यक या समीचीन है, ऐसे विनियम बना सकेगा, जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों से असंगत न हो";

(ख) उपधारा (2) में,—

(i) खंड (च) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

"(चक) शेयर प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्रक्रिया;

(चख) साधारण या अधिमानी शेयर जारी करके, चाहे लोक निर्गमन द्वारा या अधिमानी आबंटन या प्राइवेट स्थापन द्वारा, पुरोधृत पूंजी को बढ़ाने के संबंध में प्रक्रिया;

(चग) किस्तों में शेयर धनराशि स्वीकार करने की रीति, उसके लिए मांग करने की रीति और असंदत्त शेयरों के समपहरण और उनको पुनः जारी करने की रीति;";

(ii) खंड (छ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"(छ) शेयर रजिस्टरों का रखा जाना और धारा 21 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अतिरिक्त ऐसे रजिस्टरों में प्रविष्ट की जाने वाली विशिष्टियां, कम्प्यूटर फ्लॉपियों या डिस्केटों पर या किसी अन्य इलेक्ट्रानिक रूप में शेयरधारकों के रजिस्टर के रखे जाने में अनुपालन किए जाने वाले रक्षोपाय, रजिस्टरों का निरीक्षण और उनका बंद किया जाना और उससे संबद्ध अन्य सभी विषय;

(छक) वह रीति, जिसमें प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत शेयरधारी व्यष्टि ऐसे विहित व्यष्टि को नामनिर्देशित करता है, जिसको धारा 18क की उपधारा (1) के अधीन उसकी मृत्यु की दशा में शेयरों में के उनके सभी अधिकार निहित होंगे;

(छख) वह रीति, जिसमें संयुक्त धारक, ऐसे व्यष्टि को नामनिर्देशित कर सकेंगे, जिसको धारा 18क की उपधारा (2) के अधीन सभी संयुक्त धारकों की मृत्यु की दशा में शेयरों में के उनके सभी अधिकार निहित होंगे;

(छग) वह रीति, जिसमें धारा 18क की उपधारा (3) के अधीन नामनिर्देशन में परिवर्तन किया जाता है या उसे रद्द किया जाता है;

(छघ) वह रीति, जिसमें शेयरधारक के रूप में रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक व्यक्ति, जहां नामनिर्देशिती अवयस्क है धारा 18क की उपधारा (4) के अधीन नामनिर्देशिती की अवयस्कता के दौरान अपनी मृत्यु की दशा में, शेयरों के लिए हकदार बनने वाले किसी व्यक्ति को नियुक्त करने के लिए नामनिर्देशन कर सकेगा;";

(ग) उपधारा (4) में, ''इस अधिनियम के अधीन स्टेट बैंक द्वारा बनाया गया'' शब्दों के स्थान पर, ''इस धारा के अधीन स्टेट बैंक द्वारा बनाया गया'' शब्द रखे जाएंगे।

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2007

(2007 का अधिनियम संख्यांक 31)

[29 अगस्त, 2007]

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950
का और संशोधन
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के अठावनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2007 है। संक्षिप्त नाम।

संविधान आदेश 19 2. संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 की अनुसूची में, — अनुसूची का संशोधन।

(क) भाग 5. — हरियाणा में, —

(i) प्रविष्टि 5 के स्थान पर निम्नलिखित रखें, —

"5. बटवाल, बरवाला";

(ii) प्रविष्टि 24 के स्थान पर निम्नलिखित रखें,—

"24. मेघ, मेघवाल";

(ख) भाग 8. — केरल में, प्रविष्टि 61 के स्थान पर निम्नलिखित रखें,—

"61. तण्डान (उन ईयूवास और तियास को छोड़कर जो तत्कालीन कोचीन और मालावार क्षेत्रों में तण्डान के नाम से ज्ञात हैं) और (बढ़ई जो तत्कालीन कोचीन और ट्रावनकोर राज्य में तच्चन के नाम से ज्ञात हैं);"

(ग) भाग 9. — मध्य प्रदेश में, प्रविष्टि 2 के स्थान पर निम्नलिखित रखें,—

"2. बागरी, बागड़ी (बागरी, बागड़ी में राजपूत, ठाकुर उपजातियों को छोड़कर)";

(घ) भाग 10. — महाराष्ट्र में,—

(i) प्रविष्टि 8 के स्थान पर निम्नलिखित रखें,—

"8. बसोर, बुरूड, बांसोर, बांसोडी, बासोड";

(ii) प्रविष्टि 11 और प्रविष्टि 12 के स्थान पर निम्नलिखित रखें,—

"11, भांबी, भंभी, असादरू, असोदी, चमाड़िया, चमार, चमारी, चंभार, चामगार, हरलय्या, हरली, खलपा, मचीगार, मोचीगार, मादर, मादिग, मोची, तेलगु मोची, कामाटी मोची, राणीगार, रोहिदास, नोना, रामनामी, रोहित, समगर, सामगार, सतनामी, सूर्यवंशी, सूर्य रामनामी, चर्मकार, परदेशी चमार;

12. भंगी, मेहतर, ओलगना, रूखी, मलकाना, हलालखोर, लालबेगी, बाल्मिकी, कोरार, झाड माली, हेला";

(ङ) भाग 13. — उड़ीसा में,—

(i) प्रविष्टि 19 के स्थान पर निम्नलिखित रखें,—

"19. चमार, चमारा, चमार-रविदास, चमार-रोहिदास, मोची, मुची, सतनामी";

(ii) प्रविष्टि 42 के स्थान पर निम्नलिखित रखें,—

"42. कंडरा, कंडारा, कदम, कुडुमा, कोडमा, कोडामा";

(च) भाग 14. — पंजाब में, प्रविष्टि 38 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित करें,—

"39. महातम, राय सिख";

(छ) भाग 23. — छत्तीसगढ़ में, प्रविष्टि 43 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित करें,—

"44. तुरी"।

भारतीय स्टेट बैंक (संशोधन) अधिनियम, 2007

(2007 का अधिनियम संख्यांक 32)

[3 सितम्बर, 2007]

भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955
का और संशोधन
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के अठावनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय स्टेट बैंक (संशोधन) अधिनियम, 2007 है। संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

(2) यह 29 जून, 2007 को प्रवृत्त हुआ माना जाएगा।

1955 का 23 **2.** भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (2) में "रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक नाम से एक निगमित निकाय गठित करेगा" शब्दों के स्थान पर "केन्द्रीय सरकार, भारतीय स्टेट बैंक नाम से एक निगमित निकाय गठित करेगी" शब्द रखे जाएंगे। धारा 3 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) में "रिजर्व बैंक" शब्दों के स्थान पर "केन्द्रीय सरकार" शब्द रखे जाएंगे। धारा 5 का संशोधन।

धारा 10 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(2) स्टेट बैंक के जिन अंशों (शेयरों) को केन्द्रीय सरकार धारण किए हुए है यदि उनमें से किन्हीं अंशों (शेयरों) के अंतरण के परिणामस्वरूप उन अंशों (शेयरों) की संख्या, जिन्हें वह धारण किए हुए है, स्टेट बैंक को पुरोधृत पूंजी के पचपन प्रतिशत से कम हो जाती है, तो केन्द्रीय सरकार अपने द्वारा धारित ऐसे किन्हीं अंशों (शेयरों) का अंतरण करने के लिए हकदार उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात से न हो जाएगी ।"।

धारा 11 का संशोधन।

5. मूल अधिनियम की धारा 11 में "रिजर्व बैंक" शब्दों के स्थान पर "केन्द्रीय सरकार" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 18 का संशोधन।

6. मूल अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (2) में "केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए गए सभी निदेश रिजर्व बैंक की मार्फत दिए जाएंगे" शब्दों के स्थान पर "सभी निदेश केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए जाएंगे" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 19 का संशोधन।

7. मूल अधिनियम की धारा 19 के खंड (ग) में "रिजर्व बैंक" शब्दों के स्थान पर "केन्द्रीय सरकार" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 24 का संशोधन।

8. मूल अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (4) में "रिजर्व बैंक" शब्दों के स्थान पर "केन्द्रीय सरकार" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 36 का संशोधन।

9. मूल अधिनियम की धारा 36 में,—

(1) उपधारा (1) में,—

(क) खंड (क) में "रिजर्व बैंक" शब्दों के स्थान पर "केन्द्रीय सरकार" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) खंड (ख) में,—

(i) "रिजर्व बैंक या" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ii) परन्तुक में,—

(अ) "रिजर्व बैंक" शब्दों के स्थान पर, उन दोनों स्थानों पर जहां वे आते हैं "केन्द्रीय सरकार" शब्द रखे जाएंगे ;

(आ) "उस बैंक को दिया जाएगा" शब्दों के स्थान पर "उस सरकार को दिया जाएगा" शब्द रखे जाएंगे ;

(2) उपधारा (2) के खंड (क) और खंड (कक) तथा उपधारा (3) में, "रिजर्व बैंक" शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं "केन्द्रीय सरकार" शब्द रखे जाएंगे ।

निरसन और व्यावृत्ति।

10. (1) भारतीय स्टेट बैंक (संशोधन) अध्यादेश, 2007 इसके द्वारा निरसित किया जाता है। 2007 का अध्यादेश 5

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गई समझी जाएगी ।

अन्तर्देशीय जलयान (संशोधन) अधिनियम, 2007

(2007 का अधिनियम संख्यांक 35)

[17 सितम्बर, 2007]

अन्तर्देशीय जलयान अधिनियम, 1917
का और संशोधन
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के अठावनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम अन्तर्देशीय जलयान (संशोधन) अधिनियम, 2007 है। संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

1917 का 1 2. अन्तर्देशीय जलयान अधिनियम, 1917 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 1 की उपधारा (2) के परन्तुक का लोप किया जाएगा। धारा 1 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) में,— धारा 2 का संशोधन।

(i) खंड (क), खंड (ख) और खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड क्रमश: रखे जाएंगे, अर्थात्:—

'(क) "अन्तर्देशीय जलयान" या "अन्तर्देशीय यंत्रचालित जलयान" से ऐसा यंत्रचालित जलयान अभिप्रेत है जो मामूली तौर पर किसी अन्तर्देशीय जल पर चलता है

किन्तु इसके अंतर्गत मछली पकड़ने का जलयान और वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 के अधीन रजिस्ट्रीकृत पोत सम्मिलित नहीं हैं; 1958 का 44

(ख) "अन्तर्देशीय जल" से अभिप्रेत है—

(i) किसी राज्य के भीतर कोई नहर, नदी, झील या अन्य नाव्य जल,

(ii) धारा 70 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा यथापरिभाषित अन्तर्देशीय जल समझे गए किसी ज्वारीय जल का कोई क्षेत्र;

(iii) केन्द्रीय सरकार द्वारा वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 3 के खंड (41) के अधीन शांत या अंशत: शांत सागर खंड के रूप में घोषित सागर खंड; 1958 का 44

(ग) "यंत्रचालित जलयान" से प्रत्येक वर्णन का ऐसा जलयान अभिप्रेत है जो पूर्णत: या भागत: विद्युत्, वाष्प या अन्य यांत्रिक शक्ति द्वारा चालित होता है, जिसके अंतर्गत ऐसे बिना पाल के जलयान भी हैं जो यंत्रचालित जलयान और बाहरी मोटर चालित जलयान द्वारा खींचे जाते हैं;';

(ii) खंड (छ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(छक) "ज्वारीय जल" का वही अर्थ है जो वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 3 के खंड (49) में है;'। 1958 का 44

धारा 3 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) में,—

(i) "जो प्रवृत्त है और ऐसी जलयात्रा या सेवा को लागू हो" शब्दों के स्थान पर "जो चालन के लिए आशयित परिक्षेत्र में प्रवृत्त है और ऐसे परिक्षेत्र में ऐसी जलयात्रा या सेवा को लागू हो" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत में अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए "परिक्षेत्र" से ऐसा कोई अन्तर्देशीय जलक्षेत्र अभिप्रेत है, जिसे राज्य सरकार, अधिकतम प्रभावी लहर ऊंचाई मानदंड पर निर्भर रहते हुए इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे।"।

नई धारा 9क का अन्त:स्थापन।

5. मूल अधिनियम की धारा 9 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

अस्थायी परमिट।

"9क. सर्वेक्षक, जिसने सर्वेक्षण किया है, धारा 9 में अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण किए बिना, सर्वेक्षण प्रमाणपत्र ज़ारी किए जाने के लंबित रहने तक अन्तर्देशीय यंत्रचालित जलयान को, जल यात्रा पर जाने या सेवा में उपयोग के लिए प्राधिकृत करने के लिए ऐसी अवधि तक, जो किसी भी दशा में पैंतालीस दिन से अधिक की नहीं होगी, प्रभावी रहने वाला परमिट अस्थायी रूप से अनुदत्त कर सकेगा।"।

धारा 19झ का संशोधन।

6. मूल अधिनियम की धारा 19झ की उपधारा (3) में "बारह मास" शब्दों के स्थान पर "छत्तीस मास" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 22 का संशोधन।

7. मूल अधिनियम की धारा 22 में,—

(i) उपधारा (1) में "नवंबर, 1956 के प्रथम दिन से पूर्व तीन वर्ष की अवधि के लिए अन्तर्देशीय यंत्रचालित जलयान" शब्दों और अंकों के स्थान पर "राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त यथाविहित अवधि के लिए तटरक्षक, भारतीय नौसेना या नियमित सेना के किसी जलयान" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत में अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

1978 का 30 (क) "तटरक्षक" पद का वही अर्थ होगा जो तटरक्षक अधिनियम, 1978 की धारा 2 के खंड (घ) में है;

1957 का 62 (ख) "भारतीय नौसेना" पद का वही अर्थ होगा जो नौसेना अधिनियम, 1957 की धारा 3 के खंड (10) में है;

1950 का 46 (ग) "नियमित सेना" पद का वही अर्थ होगा जो सेना अधिनियम, 1950 की धारा 3 के खंड (xxi) में है।'।

धारा 30 का संशोधन।

8. मूल अधिनियम की धारा 30 के खंड (क) को खंड (कक) के रूप में पुन: अक्षरांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुन:अक्षरांकित खंड (कक) से पहले निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(क) तटरक्षक, भारतीय नौसेना या नियमित सेना में सेवा की अवधि, जो धारा 22 के अधीन परीक्षा के बिना प्रमाणपत्र दिए जाने के लिए किसी व्यक्ति के लिए अपेक्षित है।"।

धारा 31 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

9. मूल अधिनियम की धारा 31 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

सक्षमता प्रमाणपत्र या सेवा प्रमाणपत्र और अनुज्ञप्तियों का प्रभाव।

"31. इस अध्याय के अधीन अनुदत्त सक्षमता प्रमाणपत्र या सेवा प्रमाणपत्र और अनुज्ञप्ति संपूर्ण भारत में प्रभावी होगी।"।

धारा 52 का संशोधन।

10. मूल अधिनियम की धारा 52 की उपधारा (2) में,—

(क) खंड (झ) के अंत में आने वाले "और" शब्द का लोप किया जाएगा;

(ख) खंड (ञ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

'(ट) वे अपेक्षाएं विहित कर सकेंगे जिनके अनुरूप अन्तर्देशीय यंत्रचालित जलयान के हल, उपस्कर और मशीनरी होंगे;

(ठ) जीवन रक्षक साधित्रों की अपेक्षा विहित कर सकेंगे; और

(ड) संचार और नौ परिवहन के लिए अपेक्षित उपकरणों को विहित कर सकेंगे।'।

धारा 54ग के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

11. मूल अधिनियम की धारा 54ग के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 134, अध्याय 10, 11 और 12 का यंत्रचालित जलयान के संबंध में लागू होना।

1988 का 59 '54ग. मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 134, अध्याय 10, अध्याय 11 और अध्याय 12 के उपबंध यंत्रचालित जलयानों के संबंध में यथाशक्य, निम्नलिखित उपांतरणों के अधीन रहते हुए, वैसे ही लागू होंगे जैसे वे मोटरयानों के संबंध में लागू होते हैं, अर्थात्:—

(क) धारा 134 में और संपूर्ण अध्याय 10, अध्याय 11 और अध्याय 12 में,—

(i) "मोटर" या "मोटरयान" या "यान" के प्रतिनिर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे "यंत्रचालित जलयान" के प्रतिनिर्देश हैं;

(ii) "सार्वजनिक स्थान" के प्रतिनिर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे "अन्तर्देशीय जल" के प्रतिनिर्देश हैं;

(iii) "सार्वजनिक सेवा यान" के प्रतिनिर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे "सार्वजनिक सेवा जलयान" के प्रतिनिर्देश हैं;

(iv) "माल यान" के प्रतिनिर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे "माल सेवा जलयान" के प्रतिनिर्देश हैं;

(v) ''राज्य परिवहन'' के प्रतिनिर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे ''राज्य जल परिवहन'' के प्रतिनिर्देश हैं;

(vi) ''ड्राइवर'' या ''किसी यान के ड्राइवर'' के प्रतिनिर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे ''किसी जलयान के मास्टर'' के प्रतिनिर्देश हैं;

(vii) ''चालन अनुज्ञप्ति'' के प्रतिनिर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे ''अन्तर्देशीय जलयान अधिनियम, 1917 के अध्याय 3 के अधीन अनुदत्त प्रमाणपत्र'' 1917 का 1 के प्रतिनिर्देश हैं;

(viii) ''परमिट'' के प्रतिनिर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे ''अन्तर्देशीय जलयान अधिनियम, 1917 की धारा 19च के अधीन अनुदत्त 1917 का 1 रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र'' के प्रतिनिर्देश हैं।

और ऐसे अन्य पारिणामिक संशोधन भी जो व्याकरण के नियमों की दृष्टि से अपेक्षित हों, किए जाएंगे;

(ख) धारा 145 में,—

(i) खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(कक) ''माल सेवा जलयान'' से ऐसा कोई यंत्रचालित जलयान अभिप्रेत है जिसका उपयोग भाड़े या पारिश्रमिक स्थोरा का वहन करने के लिए किया जाता है या जिसे उपयोग के लिए अनुकूल बना लिया गया है;';

(ii) खंड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(घक) ''सार्वजनिक सेवा जलयान'' से ऐसा कोई यंत्रचालित जलयान अभिप्रेत है जिसका उपयोग भाड़े या पारिश्रमिक पर यात्रियों का वहन करने के लिए किया जाता है या जिसे उपयोग के लिए अनुकूल बना लिया गया है;';

(iii) खंड (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

'(ङ) ''संपत्ति'' के अंतर्गत अन्तर्देशीय जलयान में ले जाया जा रहा माल, पुल, उतराई सुविधाएं, नौ चालन चिह्न और अवसंरचना भी हैं;';

(iv) खंड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(चक) ''मार्ग'' से यात्रा का वह पथ अभिप्रेत है जिसकी बाबत यह विनिर्दिष्ट है कि वह ऐसा जलमार्ग है जिसमें एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक यंत्रचालित जलयान आ जा सकता है;';

(ग) धारा 149 की उपधारा (2) के खंड (क) में,—

(i) उपखंड (i) में,—

(अ) मद (ग) में ''परिवहन यान'' शब्दों के स्थान पर ''सार्वजनिक सेवा जलयान या माल सेवा जलयान'' शब्द रखे जाएंगे;

(आ) मद (घ) का लोप किया जाएगा;

(ii) उपखंड (ii) में, ''जो सम्यक् रूप से अनुज्ञप्त नहीं हैं'' शब्दों के स्थान पर ''जो अन्तर्देशीय जलयान अधिनियम, 1917 के अध्याय 3 के अधीन अनुदत्त प्रमाणपत्र 1917 का 1 धारण नहीं करता है'' शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(घ) धारा 158 में,—

(i) ''परिवहन यान'' शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं ''सार्वजनिक सेवा जलयान या माल सेवा जलयान'' शब्द रखे जाएंगे और ऐसे अन्य पारिणामिक संशोधन भी, जो व्याकरण के नियमों की दृष्टि से अपेक्षित हों, किए जाएंगे;

(ii) उपधारा (1) के खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

1917 का 1 ''(घ) अन्तर्देशीय जलयान अधिनियम, 1917 की धारा 9 के अधीन अनुदत्त सर्वेक्षण प्रमाणपत्र;'';

(ङ) धारा 161 की उपधारा (3) में,—

(i) खंड (क) में, ''पच्चीस हजार रुपए'' शब्दों के स्थान पर ''पचास हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे;

(ii) खंड (ख) में ''बारह हजार पांच सौ रुपए'' शब्दों के स्थान पर ''पच्चीस हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे;

(च) धारा 165 की उपधारा (1) में, ''मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण'' शब्दों के स्थान पर, ''अन्तर्देशीय जलयान दुर्घटना दावा अधिकरण'' शब्द रखे जाएंगे।'।

12. मूल अधिनियम के अध्याय 6क के पश्चात् निम्नलिखित अध्याय अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:— नए अध्याय 6कख का अंत:स्थापन।

'अध्याय 6कख

प्रदूषण निवारण और नियंत्रण तथा अंतर्देशीय जल संरक्षण

54घ. इस अध्याय में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— परिभाषाएं।

(क) ''परिसंकटमय रसायन'' या ''घृणाजनक पदार्थ'' से, यथास्थिति, कोई ऐसा रसायन या पदार्थ अभिप्रेत है जो इस अध्याय के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा उस रूप में अभिहित किया गया है;

(ख) ''तेल'' से कच्चे तेल, भारी डीजल तेल, स्नेहक तेल और सफेद तेल जैसा चिरस्थायी तेल अभिप्रेत है चाहे वह स्थोरा या ईंधन के रूप में किसी टैंकर के फलक पर वहन किया जाता है, या नहीं;

(ग) ''तैलीय मिश्रण'' से कोई तेल अंतर्वस्तु वाला कोई मिश्रण अभिप्रेत है।

54ङ. किसी यंत्रचालित जलयान से कोई तेल या तैलीय मिश्रण या परिसंकटमय रसायन या घृणाजनक पदार्थ का अंतर्देशीय जल में निस्सारण नहीं किया जाएगा: अंतर्देशीय जल में तेल, तैलीय मिश्रण, आदि के निस्सारण के संबंध में प्रतिषेध।

परंतु इस धारा की कोई बात किसी यंत्रचालित जलयान की सुरक्षा को सुनिश्चित करने, किसी यंत्रचालित जलयान, स्थोरा की क्षति को निवारित करने, या अंतर्देशीय जल में जीवन बचाने के प्रयोजन के लिए किसी यंत्रचालित जलयान से ऐसे तेल या तैलीय मिश्रण, परिसंकटमय रसायन या घृणाजनक पदार्थ के निस्सारण को लागू नहीं होगी।

54च. (1) यथास्थिति, किसी अंतर्देशीय पत्तन स्थोरा या यात्री टर्मिनल का स्वामी या प्रचालक ऐसे अंतर्देशीय पत्तन, स्थोरा या यात्री टर्मिनल पर तेल, तैलीय मिश्रण, परिसंकटमय रसायन या घृणाजनक पदार्थ का निस्सारण करने के लिए ग्रहण सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। अन्तर्देशीय पत्तन पर ग्रहण सुविधाएं, आदि।

(2) किसी अंतर्देशीय पत्तन, किसी स्थोरा या यात्री टर्मिनल पर ग्रहण सुविधाएं उपलब्ध कराने वाला, यथास्थिति, अंतर्देशीय पत्तन, स्थोरा या यात्री टर्मिनल का स्वामी या प्रचालक सुविधाओं के उपयोग के लिए ऐसी दरों पर प्रभार ले सकेगा और उनके उपयोग के संबंध में ऐसी शर्तें अधिरोपित कर सकेगा जो अंतर्देशीय पत्तन, स्थोरा या यात्री टर्मिनल के संबंध में राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अनुमोदित की जाए।

(3) राज्य सरकार, पहले से कारित प्रदूषण को कम करने के प्रयोजनों के लिए, या कारित किए जाने वाले आशंकित प्रदूषण को निवारित करने के लिए लिखित आदेश द्वारा ऐसे अंतर्देशीय पत्तन, स्थोरा और यात्री टर्मिनल पर ऐसे प्रदूषण संशोधन उपस्करों और प्रदूषण हटाने वाली सामग्रियों के, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, उपबंध के लिए व्यवस्था और इंतजाम करने के लिए किसी अंतर्देशीय पत्तन, स्थोरा या यात्री टर्मिनल के स्वामी या प्रचालक को निदेश दे सकेगी।

प्रवेश, निरीक्षण, आदि की शक्ति।

54छ. (1) कोई सर्वेक्षक या इस अधिनियम के अधीन इस निमित्त प्राधिकृत कोई व्यक्ति किसी युक्तियुक्त समय पर निम्नलिखित के प्रयोजनों के लिए अंतर्देशीय पत्तन, स्थोरा या यात्री टर्मिनल में प्रवेश कर सकेगा और उसका निरीक्षण कर सकेगा,—

(क) यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या इस अध्याय के उपबंधों का अनुपालन किया जाता है;

(ख) यह सत्यापित करने के लिए कि क्या ऐसे अंतर्देशीय पत्तन, स्थोरा या यात्री टर्मिनल पर राज्य सरकार के आदेश या इस अध्याय के अधीन बनाए गए नियमों के अनुरूप प्रदूषण संशोधन, उपस्कर और प्रदूषण हटाने वाली सामग्री उपलब्ध कराई गई हैं; और

(ग) प्रदूषण निवारण के लिए किए गए उपायों की पर्याप्तता के बारे में अपना समाधान करने के लिए।

(2) यदि सर्वेक्षण यह पाता है कि अंतर्देशीय पत्तन, स्थोरा या यात्री टर्मिनल पर पूर्वोक्त उपस्कर और सामग्री उपलब्ध नहीं कराई गई हैं तो वह, यथास्थिति, ऐसे अंतर्देशीय पत्तन, स्थोरा या यात्री टर्मिनल के स्वामी या प्रचालक को उस कमी का उल्लेख करते हुए और उसकी राय में उक्त कमी को दूर करने के लिए जो अपेक्षित हैं उसे भी उपदर्शित करते हुए लिखित में सूचना देगा।

(3) यथास्थिति, ऐसे अंतर्देशीय पत्तन, स्थोरा या यात्री टर्मिनल का कोई स्वामी या प्रचालक, जिस पर उपधारा (2) के अधीन सूचना की तामील की गई है, यथास्थिति, ऐसे अंतर्देशीय पत्तन, स्थोरा या यात्री टर्मिनल पर तब तक आगे कोई कार्य नहीं करेगा, जब तक कि सर्वेक्षक द्वारा हस्ताक्षरित इस आशय का प्रमाणपत्र अभिप्राप्त नहीं कर लेता है कि, यथास्थिति, अंतर्देशीय पत्तन, स्थोरा या यात्री टर्मिनल पर इस अध्याय के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार पूर्वोक्त उपस्कर और सामग्री समुचित रूप से उपलब्ध करा दी गई है।

केन्द्रीय सरकार की प्रदूषण निवारण और नियंत्रण के लिए नियम बनाने की शक्ति।

54ज. (1) केन्द्रीय सरकार, इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम,—

(क) धारा 54घ के खंड (क) के अधीन अभिहित परिसंकटमय रसायन और घृणाजनक पदार्थ विहित कर सकेंगे;

(ख) कतिपय दशाओं में तट पर और फलक पर तैलीय मिश्रण उपचार उपस्कर की फिटिंग विहित कर सकेंगे;

(ग) अंतर्देशीय पत्तन, स्थोरा या यात्री टर्मिनल पर ग्रहण सुविधाओं के ब्यौरे विहित कर सकेंगे;

(घ) अंतर्देशीय पत्तन, स्थोरा या यात्री टर्मिनल के लिए प्ररूप या अभिलेख पुस्तकें और वह रीति जिसमें ऐसी पुस्तकें रखी जाएंगी, उनमें की जाने वाली प्रविष्टियों की प्रकृति, वह समय और परिस्थितियां, जिनमें ऐसी प्रविष्टियां की जाएंगी, उनकी अभिरक्षा और व्ययन और उससे संबंधित सभी अन्य बातें विहित कर सकेंगे;

(ङ) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाना है या विहित किया जाए।'।

नई धारा 62घ और धारा 62ङ का अंत:स्थापन।

13. मूल अधिनियम की धारा 62ग के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

'62घ. जो कोई अध्याय 6कख के किसी उपबंध का या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम का उल्लंघन करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए तक हो सकेगा, या दोनों से दंडनीय होगा। प्रदूषण से संबंधित अपराधों के लिए दंड।

62ङ (1) जहां अध्याय 6कख के अधीन कोई अपराध, किसी कंपनी द्वारा किया गया है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो उस अपराध के किए जाने के समय कंपनी के कारबार के संचालन के लिए उस कम्पनी का और उसके प्रति उत्तरदायी कंपनी भी ऐसे उल्लंघन की दोषी समझे जाएंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दण्डित किए जाने के भागी होंगे: कंपनियों द्वारा अपराध।

परंतु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम में उपबंधित किसी दंड का भागी नहीं बनाएगी, यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां अध्याय 6कख के अधीन कोई अपराध, किसी कंपनी द्वारा किया गया है, और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया था, या उस अपराध का किया जाना उसकी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "कंपनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत कोई फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम भी है; और

(ख) किसी फर्म के संबंध में, "निदेशक" से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है।'।

14. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम या इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, और जो उस कठिनाई को दूर करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत होते हों: कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।

परंतु इस धारा के अधीन कोई आदेश उस तारीख से, जिसको यह अधिनियम प्रवर्तन में आता है, दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

शिक्षु (संशोधन) अधिनियम, 2007

(2007 का अधिनियम संख्यांक 36)

[19 सितम्बर, 2007]

शिक्षु अधिनियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के अठावनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:–

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम शिक्षु (संशोधन) अधिनियम, 2007 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

नई धारा 3ख का अंत:स्थापन।

1961 का 52

2. शिक्षु अधिनियम, 1961 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

अभिहित व्यवसायों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए प्रशिक्षण स्थानों का आरक्षण।

"3ख. (1) प्रत्येक अभिहित व्यवसाय में नियोजक द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए प्रशिक्षण स्थान आरक्षित किए जाएंगे और जहां किसी स्थापन में एक से अधिक अभिहित व्यवसाय हैं वहां ऐसे प्रशिक्षण स्थान भी, ऐसे स्थापन में सभी अभिहित व्यवसायों में शिक्षुओं की कुल संख्या के आधार पर आरक्षित किए जाएंगे।

(2) उपधारा (1) के अधीन अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किए जाने वाले प्रशिक्षण स्थानों की संख्या उतनी होगी, जितनी संबद्ध राज्य में अन्य पिछड़े वर्गों की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए विहित की जाए।"।

धारा 8 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (3) में दूसरे परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्:–

"परंतु यह और कि शिक्षुता सलाहकार, किसी नियोजक द्वारा उसे अभ्यावेदन किए जाने पर और अति वास्तविक नियोजन की संभावना, प्रशिक्षण सुविधाओं और अन्य सुसंगत बातों को ध्यान में रखते हुए, किसी अभिहित व्यवसाय के लिए उतनी संख्या में, जितनी उस व्यवसाय के लिए अनुपात द्वारा परिकल्पित संख्या से कम है किन्तु इस प्रकार परिकल्पित संख्या के पचास प्रतिशत से कम नहीं है, शिक्षु रखने की अनुज्ञा इस शर्त के अधीन रहते हुए दे सकेगा कि नियोजक अन्य व्यवसायों में उस संख्या से, जो ऐसी कमी के समतुल्य हो, अधिक शिक्षु रखेगा।"।

धारा 10 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(2) संबंधित शिक्षण नियोजक के खर्च पर दिया जाएगा और नियोजक ऐसी अपेक्षा किए जाने पर, ऐसा शिक्षण देने के लिए सभी सुविधाएं देगा।"।

सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2007

(2007 का अधिनियम संख्यांक 38)

[24 सितम्बर, 2007]

सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 का संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के अठावनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2007 है। संक्षिप्त नाम।

2. सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 की धारा 7 की उपधारा (1) में, ''विनिर्दिष्ट चेतावनी नहीं है, जिसके अंतर्गत खोपड़ी और हड्डियों के क्रास का तस्वीर चित्रण और ऐसी अन्य चेतावनियां भी हैं, जो विहित की जाएं।'' शब्दों के स्थान पर ''ऐसी विनिर्दिष्ट चेतावनी नहीं है जिसके अंतर्गत सचित्र चेतावनी भी है, जो विहित की जाए।'' शब्द रखे जाएंगे। 2003 के अधिनियम 34 की धारा 7 का संशोधन।

प्रतिस्पर्धा (संशोधन) अधिनियम, 2007

(2007 का अधिनियम संख्यांक 39)

[24 सितंबर, 2007]

प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 का संशोधन करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के अठावनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम प्रतिस्पर्धा (संशोधन) अधिनियम, 2007 है। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो, केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे :

परन्तु इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबन्धों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का,

यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रतिनिर्देश है ।

धारा 2 का संशोधन। 2. प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में, खण्ड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— 2003 का 12

'(खक) "अपील अधिकरण" से धारा 53क की उपधारा (1) के अधीन स्थापित प्रतिस्पर्धा अपील अधिकरण अभिप्रेत है ।' ।

धारा 4 का संशोधन। 3. मूल अधिनियम की धारा 4 में,—

(i) उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(1) कोई उद्यम या समूह अपनी प्रधानस्थिति का दुरुपयोग नहीं करेगा।" ;

(ii) उपधारा (2) में, —

(क) "उपधारा (1) के अधीन प्रधानस्थिति का दुरुपयोग होगा, यदि कोई उद्यम—" शब्दों, कोष्ठकों और अंक के स्थान पर, "उपधारा (1) के अधीन प्रधानस्थिति का दुरुपयोग होगा, यदि कोई उद्यम या कोई समूह—" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ;

(ख) खंड (ग) में, "पहुंच" शब्द के पश्चात्, "किसी रीति में" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(iii) उपधारा (2) के पश्चात्, स्पष्टीकरण में खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(ग) "समूह" का वही अर्थ है जो धारा 5 के स्पष्टीकरण के खंड (ख) में है ।' ।

धारा 5 का संशोधन। 4. मूल अधिनियम की धारा 5 में,—

(i) खंड (क) में,—

(क) उपखंड (i) में, मद (आ) के स्थान पर, निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(आ) भारत में या भारत के बाहर कुल मिलाकर पांच सौ मिलियन अमेरिकी डालर मूल्य से अधिक की आस्तियां जिनके अंतर्गत भारत में कम से कम पांच सौ करोड़ रुपए मूल्य की आस्तियां हैं या पंद्रह सौ मिलियन अमेरिकी डालर से अधिक के आवर्त हैं, जिनके अंतर्गत भारत में कम से कम पन्द्रह सौ करोड़ रुपए मूल्य के आवर्त हैं; या" ;

(ख) उपखंड (ii) में, मद (आ) के स्थान पर, निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(आ) भारत में या भारत के बाहर कुल मिलाकर दो बिलियन अमेरिकी डालर मूल्य से अधिक की आस्तियां हैं, जिनके अंतर्गत भारत में कम से कम पांच सौ करोड़ रुपए मूल्य की आस्तियां हैं या छह बिलियन अमेरिकी डालर से अधिक के आवर्त हैं, जिनके अंतर्गत भारत में कम से कम पन्द्रह सौ करोड़ रुपए मूल्य के आवर्त हैं; या";

(ii) खंड (ख) में,–

(क) उपखंड (i) में, मद (आ) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(आ) भारत में, या भारत के बाहर कुल मिलाकर पांच सौ मिलियन अमेरिकी डालर मूल्य से अधिक की आस्तियां हैं जिनके अन्तर्गत भारत में कम से कम पांच सौ करोड़ रुपए मूल्य की आस्तियां हैं या पंद्रह सौ मिलियन अमेरिकी डालर से अधिक के आवर्त हैं, जिनके अन्तर्गत भारत में कम से कम पंद्रह सौ करोड़ रुपए मूल्य के आवर्त हैं; या";

(ख) उपखंड (ii) में, मद (आ) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(आ) भारत में, या भारत के बाहर कुल मिलाकर दो बिलियन अमेरिकी डालर मूल्य से अधिक की आस्तियां हैं जिनके अन्तर्गत भारत में कम से कम पांच सौ करोड़ रुपए मूल्य की आस्तियां हैं या छह बिलियन अमेरिकी डालर से अधिक के आवर्त हैं, जिसके अन्तर्गत भारत में कम से कम पंद्रह सौ करोड़ रुपए मूल्य के आवर्त हैं; या";

(iii) खंड (ग) में,—

(क) उपखंड (i) में, मद (आ) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(आ) भारत में, या भारत के बाहर कुल मिलाकर पांच सौ मिलियन अमेरिकी डालर मूल्य से अधिक की आस्तियां हैं जिनके अन्तर्गत भारत में कम से कम पांच सौ करोड़ रुपए मूल्य की आस्तियां हैं या पंद्रह सौ मिलियन अमेरिकी डालर से अधिक के आवर्त हैं, जिसके अन्तर्गत भारत में कम से कम पंद्रह सौ करोड़ रुपए मूल्य के आवर्त हैं; या";

(ख) उपखंड (ii) में, मद (आ) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(आ) भारत में, या भारत के बाहर कुल मिलाकर दो बिलियन अमेरिकी डालर मूल्य से अधिक की आस्तियां हैं जिनके अन्तर्गत भारत में कम से कम पांच सौ करोड़ रुपए मूल्य की आस्तियां हैं या छह बिलियन अमेरिकी डालर से अधिक के आवर्त हैं, जिसके अन्तर्गत भारत में कम से कम पंद्रह सौ करोड़ रुपए मूल्य के आवर्त हैं।"।

5. मूल अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2) में,— धारा 6 का संशोधन।

(क) प्रारंभिक भाग में "अपने या उसके विकल्प पर", शब्दों का लोप किया जाएगा और अंतिम भाग में "सूचना दे सकेगा" शब्दों के स्थान पर, "सूचना देगा" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) "सात दिन", शब्दों के स्थान पर, "तीस दिन" शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(2क) कोई भी समुच्चय तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि उस तारीख से, जिसको उपधारा (2) के अधीन आयोग को सूचना दी गई है, दो सौ दस दिन बीत न गए हों या आयोग ने धारा 31 के अधीन आदेश पारित न कर दिया हो, इनमें से जो भी पूर्वतर हो।"।

धारा 8 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

6. मूल अधिनियम की धारा 8 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

आयोग की संरचना।

"8. (1) आयोग एक अध्यक्ष और दो से अन्यून तथा छह से अनधिक ऐसे अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे ।

(2) अध्यक्ष और प्रत्येक अन्य सदस्य योग्यता, सत्यनिष्ठा और प्रतिष्ठा वाला ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार, अर्थशास्त्र, कारबार, वाणिज्य, विधि, वित्त, लेखाकर्म, प्रबंध, उद्योग, लोक कार्य या प्रतिस्पर्धा संबंधी विषयों में, जिनके अंतर्गत प्रतिस्पर्धा विधि और नीति भी हैं, जो केन्द्रीय सरकार की राय में आयोग के लिए उपयोगी हों, कम से कम पन्द्रह वर्ष का विशेष ज्ञान और वृत्तिक अनुभव है ।

(3) अध्यक्ष और अन्य सदस्य पूर्णकालिक सदस्य होंगे ।"।

धारा 9 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

7. मूल अधिनियम की धारा 9 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के लिए चयन समिति।

"9. (1) आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसी चयन समिति द्वारा सिफारिश किए गए नामों के पैनल से की जाएगी, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:—

(क) भारत का मुख्य न्यायमूर्ति या उसका नामनिर्देशिती - अध्यक्ष ;

(ख) सचिव, कार्पोरेट कार्य मंत्रालय - सदस्य ;

(ग) सचिव, विधि और न्याय मंत्रालय - सदस्य ;

(घ) दो ख्यातिप्राप्त विशेषज्ञ, जिनके पास अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अर्थशास्त्र, कारबार, वाणिज्य, विधि, वित्त, लेखाकर्म, प्रबंध, उद्योग, लोक कार्य या प्रतिस्पर्धा संबंधी विषयों में, जिनके अंतर्गत प्रतिस्पर्धा विधि और नीति भी हैं, विशेष ज्ञान और वृत्तिक अनुभव है - सदस्य ।

(2) चयन समिति की अवधि और नामों के पैनल के चयन की रीति वह होगी जो विहित की जाए ।"।

धारा 10 का संशोधन।

8. मूल अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) में, परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु अध्यक्ष या अन्य सदस्य उस रूप में पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् पद धारण नहीं करेगा ।"।

धारा 12 का संशोधन।

9. मूल अधिनियम की धारा 12 में, "एक वर्ष" शब्दों के स्थान पर "दो वर्ष" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 13 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

10. मूल अधिनियम की धारा 13 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

अध्यक्ष की प्रशासनिक शक्तियां।

"13. अध्यक्ष को आयोग के सभी प्रशासनिक मामलों के संबंध में साधारण अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण की शक्तियां होंगी :

परन्तु अध्यक्ष आयोग के प्रशासनिक मामलों से संबंधित अपनी शक्तियों में से ऐसी शक्तियां जिन्हें वह ठीक समझे किसी अन्य सदस्य या आयोग के अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकेगा।"।

11. मूल अधिनियम की धारा 16 में,— धारा 16 का संशोधन।

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:—

"(1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के किसी भी उपबन्ध के उल्लंघन की जांच करने में आयोग की सहायता करने के प्रयोजन के लिए और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करने के लिए, जो इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उपबंधित किए गए हैं या उपबंधित किए जाएं, महानिदेशक नियुक्त कर सकेगी ।

(1क) महानिदेशक के कार्यालय में अन्य अपर, संयुक्त, उप या सहायक महानिदेशकों या अन्य ऐसे अधिकारियों या कर्मचारियों की संख्या और ऐसे अपर, संयुक्त, उप या सहायक महानिदेशकों या ऐसे अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति की रीति वह होगी, जो विहित की जाए।";

(ख) उपधारा (2) में, "ऐसे अन्य सलाहकार, परामर्शी या अधिकारी" शब्दों के स्थान पर "ऐसे अधिकारी या अन्य कर्मचारी" शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) उपधारा (3) और उपधारा (4) में, "ऐसे अन्य सलाहकार, परामर्शी या अधिकारी" शब्दों के स्थान पर, "ऐसे अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों" शब्द रखे जाएंगे।

12. मूल अधिनियम की धारा 17 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :— धारा 17 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

"17. (1) आयोग एक सचिव और ऐसे अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को नियुक्त कर सकेगा जो वह इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के दक्षतापूर्ण पालन के लिए आवश्यक समझे । आयोग के सचिव, विशेषज्ञों, वृत्तिकों और अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति ।

(2) आयोग के सचिव और अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबन्धन और शर्तें और ऐसे अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की संख्या वे होंगी जो विहित की जाएं ।

(3) आयोग, विनिर्यमों द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार उतनी संख्या में सत्यनिष्ठा और उत्कृष्ट योग्यता वाले ऐसे विशेषज्ञों और वृत्तिकों को, जो अर्थशास्त्र, विधि, कारबार या प्रतिस्पर्धा से संबंधित ऐसी अन्य विद्या विधाओं में विशेष ज्ञान और अनुभव रखते हैं, नियुक्त कर सकेगा जो आयोग अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन में आयोग की सहायता करने के लिए आवश्यक समझे।"।

13. मूल अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) के खण्ड (क) में, "प्राप्त किसी ऐसे परिवाद पर, जिसके साथ ऐसी फीस संलग्न हो जो विनियमों द्वारा अवधारित की जाए;" शब्दों के स्थान पर "ऐसी रीति में और ऐसी फीस के साथ, जो विनियमों द्वारा अवधारित की जाए, प्राप्त किसी जानकारी पर" शब्द रखे जाएंगे । धारा 19 का संशोधन।

धारा 20 का संशोधन।

14. मूल अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) में, "या धारा 21 की उपधारा (1) के अधीन निर्देश की प्राप्ति पर" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों का लोप किया जाएगा ।

धारा 21 का संशोधन।

15. मूल अधिनियम की धारा 21 में,—

(क) उपधारा (1) में निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु कोई कानूनी प्राधिकारी स्वप्रेरणा से आयोग को ऐसा निर्देश कर सकेगा।";

(ख) उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(2) आयोग, उपधारा (1) के अधीन निर्देश की प्राप्ति पर, ऐसे निर्देश की प्राप्ति से साठ दिन के भीतर ऐसे कानूनी प्राधिकारी को अपनी राय देगा जो आयोग की राय पर विचार करेगा और तत्पश्चात् उक्त राय में निर्दिष्ट विवाद्यकों पर अपने निष्कर्ष, उनके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करते हुए, देगा ।"।

नई धारा 21क का अंतःस्थापन।

16. मूल अधिनियम की धारा 21 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

आयोग द्वारा निर्देश।

"21क. (1) जहां आयोग के समक्ष किसी कार्यवाही के दौरान किसी पक्षकार द्वारा यह विवाद्यक उठाया जाता है कि ऐसा कोई विनिश्चय, जो आयोग ने ऐसी कार्यवाही के दौरान लिया है या विनिश्चय लेने का प्रस्ताव करता है, इस अधिनियम के किसी उपबंध के प्रतिकूल है या होगा जिसका कार्यान्वयन किसी कानूनी प्राधिकारी को सौंपा जाता है वहां आयोग ऐसे विवाद्यक के संबंध में कानूनी प्राधिकारी को निर्देश कर सकेगा:

परंतु आयोग स्वःप्रेरणा से कानूनी प्राधिकारी को ऐसा निर्देश कर सकेगा ।

(2) कानूनी प्राधिकारी, उपधारा (1) के अधीन निर्देश की प्राप्ति पर, ऐसे निर्देश की प्राप्ति से साठ दिन के भीतर आयोग को अपनी राय देगा, जो कानूनी प्राधिकारी की राय पर विचार करेगा और तत्पश्चात् उक्त राय में निर्दिष्ट विवाद्यकों पर अपने निष्कर्ष, उनके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करते हुए, अपना निष्कर्ष देगा ।"।

धारा 22 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

17. मूल अधिनियम की धारा 22 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

आयोग की बैठकें।

"22. (1) आयोग ऐसे समयों और ऐसे स्थानों पर बैठक करेगा और अपनी बैठकों में कारबार के संव्यवहार के संबंध में प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगा जो विनियमों द्वारा उपबन्धित किए जाएं ।

(2) यदि अध्यक्ष, किसी कारण से, आयोग की बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ है तो, बैठक में उपस्थित ज्येष्ठतम सदस्य, बैठक की अध्यक्षता करेगा ।

(3) ऐसे सभी प्रश्नों का, जो आयोग की किसी बैठक के समक्ष आते हैं, विनिश्चय उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा किया जाएगा और मतों के बराबर होने की दशा में, अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्षता करने वाले सदस्य का द्वितीय या निर्णायक मत होगा :

परन्तु ऐसी बैठक के लिए गणपूर्ति तीन सदस्यों से होगी ।"।

18. मूल अधिनियम की धारा 23, धारा 24 और धारा 25 का लोप किया जाएगा। धारा 23, धारा 24 और धारा 25 का लोप।

19. मूल अधिनियम की धारा 26 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :— धारा 26 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

"26. (1) धारा 19 के अधीन केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी कानूनी प्राधिकारी से निर्देश की प्राप्ति पर, या स्वयं की जानकारी पर या प्राप्त सूचना पर, यदि आयोग की यह राय है कि प्रथमदृष्ट्या मामला बनता है, तो वह महानिदेशक को निदेश देगा कि मामले में अन्वेषण करवाए : धारा 19 के अधीन जांच के लिए प्रक्रिया।

परंतु यदि प्राप्त जानकारी की विषयवस्तु, आयोग की राय में, सारवान् रूप से वही है, जो किसी पूर्व प्राप्त जानकारी की थी या उसके अंतर्गत आती है तो नई जानकारी को पूर्व जानकारी के साथ सम्मिलित किया जा सकेगा ।

(2) जहां धारा 19 के अधीन केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी कानूनी प्राधिकारी से किसी निर्देश की प्राप्ति पर या जानकारी के प्राप्त होने पर आयोग की यह राय हो कि प्रथमदृष्ट्या मामला नहीं बनता है तो वह तुरन्त मामले को बंद करेगा और ऐसा आदेश पारित करेगा जो वह ठीक समझे और अपने आदेश की एक प्रति, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या कानूनी प्राधिकारी या संबद्ध पक्षकारों को भेजेगा।

(3) महानिदेशक, उपधारा (1) के अधीन निदेश की प्राप्ति पर, अपने निष्कर्षों की रिपोर्ट ऐसी अवधि के भीतर प्रस्तुत करेगा जो आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

(4) आयोग उपधारा (3) में निर्दिष्ट रिपोर्ट की एक प्रति संबद्ध पक्षकारों को भेज सकेगा :

परंतु यदि अन्वेषण केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या कानूनी प्राधिकारी से प्राप्त निर्देश के आधार पर कराया जाता है तो आयोग उपधारा (3) में निर्दिष्ट रिपोर्ट की एक प्रति, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या कानूनी प्राधिकारी को भेजेगा।

(5) यदि, उपधारा (3) में निर्दिष्ट महानिदेशक की रिपोर्ट यह सिफारिश करती है कि इस अधिनियम के उपबन्धों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है तो आयोग, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या कानूनी प्राधिकारी या सम्बद्ध पक्षकारों से महानिदेशक की ऐसी रिपोर्ट पर आक्षेप या सुझाव आमंत्रित करेगा ।

(6) यदि, उपधारा (5) में निर्दिष्ट आक्षेपों या सुझावों, यदि कोई हों, पर विचार करने के पश्चात्, आयोग महानिदेशक की सिफारिशों से सहमत होता है तो वह तुरन्त मामले को बंद करेगा और ऐसे आदेश पारित करेगा जो वह ठीक समझे और अपने आदेश को, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या कानूनी प्राधिकारी या संबद्ध पक्षकारों को संसूचित करेगा ।

(7) यदि, उपधारा (5) में निर्दिष्ट आक्षेपों और सुझावों, यदि कोई हों, पर विचार करने के पश्चात् आयोग की यह राय है कि आगे और अन्वेषण कराया जाना चाहिए तो वह उस मामले में महानिदेशक द्वारा और अन्वेषण कराने के लिए निर्देश दे सकेगा या उस मामले में और जांच करा सकेगा या स्वयं इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार उस मामले में और जांच कर सकेगा ।

(8) यदि उपधारा (3) में निर्दिष्ट महानिदेशक की रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई है कि इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन हुआ है और आयोग की यह राय है कि और जांच कराई जानी चाहिए तो वह इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार ऐसे उल्लंघन की जांच करेगा ।"।

धारा 27 का संशोधन।

20. मूल अधिनियम की धारा 27 में,—

(i) खंड (ख) में, परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु किसी उत्पादक संघ के साथ धारा 3 में निर्दिष्ट कोई करार किए जाने की दशा में, आयोग, उस उत्पादक संघ में सम्मिलित प्रत्येक उत्पादक, विक्रेता, वितरक, व्यापारी या सेवा प्रदाता पर ऐसे करार के जारी रहने के प्रत्येक वर्ष के लिए उसके लाभ के तीन गुणा तक या ऐसे करार के जारी रहने के प्रत्येक वर्ष के लिए उसके आवर्त के दस प्रतिशत तक की, इनमें से जो भी अधिक हो, शास्ति अधिरोपित कर सकेगा ;";

(ii) खण्ड (ग) और खण्ड (च) का लोप किया जाएगा ;

(iii) खण्ड (छ) में "आदेश पारित करना" शब्दों के स्थान पर, "आदेश पारित करना या ऐसे निदेश जारी करना" शब्द रखे जाएंगे ;

(iv) खंड (छ) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु इस धारा के अधीन आदेश पारित करते समय, यदि आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि कोई उद्यम अधिनियम की धारा 3 या धारा 4 के उल्लंघन में अधिनियम की धारा 5 के स्पष्टीकरण के खंड (ख) में यथापरिभाषित समूह का सदस्य है और ऐसे समूह के अन्य सदस्य भी ऐसे उल्लंघन के लिए उत्तरदायी हैं या उन्होंने ऐसे उल्लंघन में सहयोग किया है तो वह, इस धारा के अधीन, समूह के ऐसे सदस्यों के विरुद्ध आदेश पारित कर सकेगा ।"।

धारा 28 का संशोधन।

21. मूल अधिनियम की धारा 28 में,—

(क) उपधारा (1) में, "केन्द्रीय सरकार, धारा 27 के खंड (च) के अधीन सिफारिशों पर" शब्दों, अंकों, कोष्ठकों और अक्षर के स्थान पर "आयोग" शब्द रखा जाएगा ;

(ख) उपधारा (2) के खंड (घ) का लोप किया जाएगा ।

धारा 29 का संशोधन।

22. मूल अधिनियम की धारा 29 में,—

(क) उपधारा (1) में "जहां आयोग की" शब्दों के पश्चात् "प्रथमदृष्ट्या" शब्द अंतःस्थापित किया जाएगा;

(ख) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(1क) आयोग, उपधारा (1) के अधीन समुच्चय के पक्षकारों के उत्तर प्राप्त होने के पश्चात्, महानिदेशक से रिपोर्ट मांग सकेगा, और ऐसी रिपोर्ट महानिदेशक द्वारा ऐसे समय के भीतर, जो आयोग निदेशित करे, प्रस्तुत की जाएगी ।";

(ग) उपधारा (2) में "समुच्चय के पक्षकारों के उत्तर की प्राप्ति के सात कार्य दिवस के भीतर" शब्दों के पश्चात् "या महानिदेशक से उपधारा (1क) के अधीन मांगी गई रिपोर्ट की प्राप्ति, इनमें से जो भी बाद में हो," शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।

23. मूल अधिनियम की धारा 30 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :— धारा 30 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

"30. जहां किसी व्यक्ति या उद्यम ने धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन सूचना दी है वहां आयोग ऐसी सूचना की जांच करेगा और धारा 29 की उपधारा (1) के अधीन उपबंधित रूप में अपनी प्रथमदृष्ट्या राय बनाएगा और उस धारा के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही करेगा ।"। धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन सूचना की दशा में प्रक्रिया।

24. मूल अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (11) में,— धारा 31 का संशोधन।

(क) "धारा 29 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रकाशन की तारीख से नब्बे कार्य दिवसों" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर, "धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन आयोग को दी गई सूचना की तारीख से दो सौ दस दिवसों" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(ख) स्पष्टीकरण में, "नब्बे कार्य दिवसों" शब्दों के स्थान पर, "दो सौ दस दिवसों" शब्द रखे जाएंगे ।

25. मूल अधिनियम की धारा 32 के खण्ड (च) के पश्चात्,— धारा 32 का संशोधन।

(क) "जांच करने की शक्तियां होंगी" शब्दों से पूर्व "अधिनियम की धारा 19, धारा 20, धारा 26, धारा 29 और धारा 30 के उपबंधों के अनुसार" शब्द और अंक अंत:-स्थापित किए जाएंगे ;

(ख) अंतिम पैरा में आने वाले शब्दों "पड़ने की संभावना है" के पश्चात् "और इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार ऐसे आदेश पारित करने की, जिन्हें वह ठीक समझे, शक्तियां होंगी" शब्द अंत: स्थापित किए जाएंगे ।

26. मूल अधिनियम की धारा 33 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :— धारा 33 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

"33. जहां जांच के दौरान आयोग का यह समाधान हो जाता है कि धारा 3 की उपधारा (1) या धारा 4 की उपधारा (1) या धारा 6 के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है और उसका किया जाना जारी है या ऐसा कार्य किया जाने वाला है, वहां आयोग, आदेश द्वारा किसी पक्षकार को ऐसा कोई कार्य करने से, जहां वह इसे आवश्यक समझे, ऐसे पक्षकार को सूचना दिए बिना, ऐसी जांच के पूरा होने तक या आगे आदेशों तक, अस्थायी रूप से रोक सकेगा ।"। अन्तरिम आदेश जारी करने की शक्ति ।

27. मूल अधिनियम की धारा 34 का लोप किया जाएगा । धारा 34 का लोप।

28. मूल अधिनियम की धारा 35 में, "परिवादी या प्रतिवादी" शब्दों के स्थान पर "व्यक्ति या उद्यम" शब्द रखे जाएंगे । धारा 35 का संशोधन।

29. मूल अधिनियम की धारा 36 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :— धारा 36 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

आयोग की अपनी स्वयं की प्रक्रिया विनियमित करने की शक्ति ।

"36. (1) आयोग अपने कृत्यों के निर्वहन में, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत से मार्गदर्शित होगा और इस अधिनियम के अन्य उपबंधों और केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए किन्हीं नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, आयोग को अपनी स्वयं की प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्तियां होंगी ।

(2) आयोग को, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए, वही शक्तियां होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय निम्नलिखित विषयों की बाबत किसी सिविल न्यायालय में निहित हैं, अर्थात् :— 1908 का 5

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और उसको हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना ;

(ख) दस्तावेजों की खोज और उनको प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना;

(ग) शपथपत्रों पर साक्ष्य लेना ;

(घ) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना ;

(ङ) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 123 और धारा 124 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी कार्यालय से कोई लोक अभिलेख या दस्तावेज या ऐसे अभिलेख या दस्तावेज की प्रति अध्यपेक्षित करना । 1872 का 1

(3) आयोग, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, लेखाकर्म, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र से या किसी अन्य विद्या से ऐसे विशेषज्ञ बुला सकेगा, जो उसके द्वारा किसी जांच के संचालन में आयोग की सहायता के लिए वह आवश्यक समझे ।

(4) आयोग किसी व्यक्ति को यह निदेश दे सकेगा कि वह—

(क) इस प्रकार निदेशित ऐसे किसी व्यक्ति की अभिरक्षा में की या उसके नियंत्रण के अधीन की ऐसी बहियां या अन्य दस्तावेजें, जो निदेश में विनिर्दिष्ट या वर्णित हों और जो किसी व्यापार से संबंधित दस्तावेज हों जिनका परीक्षण इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित हो, महानिदेशक या सचिव या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के समक्ष पेश करे ;

(ख) महानिदेशक या सचिव या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को व्यापार के संबंध में या ऐसे व्यक्ति द्वारा किए जा रहे व्यापार के संबंध में उसके कब्जे में की ऐसी जानकारी दे जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित हो ।"।

धारा 37 का लोप ।

30. मूल अधिनियम की धारा 37 का लोप किया जाएगा ।

धारा 39 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

31. मूल अधिनियम की धारा 39 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

धनीय शास्ति अधिरोपित करने वाले आयोग के आदेशों का निष्पादन।

"39. (1) यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन उस पर अधिरोपित किसी धनीय शास्ति का संदाय करने में असफल रहता है तो आयोग ऐसी शास्ति की वसूली करने के लिए ऐसी रीति में जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, कार्यवाही करेगा ।

(2) उस दशा में जहां आयोग की यह राय है कि यह समीचीन होगा कि इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित शास्ति की वसूली आय-कर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार की जाए, वहां वह उक्त अधिनियम के अधीन देय कर के रूप में 1961 का 43

शास्ति की वसूली के लिए उस अधिनियम के अधीन संबद्ध आय-कर प्राधिकारी को इस आशय का निर्देश कर सकेगा ।

(3) जहां शास्ति की वसूली के लिए उपधारा (2) के अधीन आयोग द्वारा कोई निर्देश किया गया है वहां वह व्यक्ति, जिस पर शास्ति अधिरोपित की गई है,
1961 का 43 आय-कर अधिनियम, 1961 के अधीन व्यतिक्रमी निर्धारिती समझा जाएगा, और उक्त अधिनियम की धारा 221 से धारा 227, धारा 228क, धारा 229, धारा 231 और धारा 232 और उस अधिनियम की दूसरी अनुसूची तथा उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों में अंतर्विष्ट उपबंध जहां तक हो सके वे इस प्रकार लागू होंगे मानो उक्त उपबंध इस अधिनियम के उपबंध हों और आय-कर अधिनियम के स्थान पर इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित शास्ति के रूप में राशियों और आय-कर अधिनियम, 1961 के अधीन शास्ति, जुर्माने और ब्याज के रूप में अधिरोपित राशियों तथा निर्धारण अधिकारी के स्थान पर आयोग के प्रतिनिर्देश किया गया हो।

स्पष्टीकरण 1—उस अधिनियम के उक्त उपबंधों में या उसके अधीन बनाए
1961 का 43 गए नियमों में आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 220 की उपधारा (2) या उपधारा (6) के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह इस अधिनियम की धारा 43 से धारा 45 के प्रतिनिर्देश है ।

1961 का 43 **स्पष्टीकरण 2**—आय-कर अधिनियम, 1961 में निर्दिष्ट कर वसूली आयुक्त और कर वसूली अधिकारी इस अधिनियम के अधीन शास्ति के रूप में अधिरोपित राशियों की वसूली के प्रयोजनों के लिए कर वसूली आयुक्त और कर वसूली अधिकारी समझे जाएंगे और उपधारा (2) के अधीन आयोग द्वारा किया गया निर्देश जहां तक इस अधिनियम के अधीन शास्ति से संबंधित मांग का संबंध है, कर वसूली अधिकारी द्वारा प्रमाणपत्र तैयार की कोटि में आएगा।

1961 का 43 **स्पष्टीकरण 3**—आय-कर अधिनियम, 1961 के अध्याय 17घ और दूसरी अनुसूची में अपील के प्रति किसी निर्देश का, यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह इस अधिनियम की धारा 53ख के अधीन प्रतिस्पर्धा अपील अधिकरण के समक्ष अपील के प्रतिनिर्देश है।" ।

32. मूल अधिनियम की धारा 40 का लोप किया जाएगा । धारा 40 का लोप।

33. मूल अधिनियम की धारा 41 में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— धारा 41 का संशोधन।

'**स्पष्टीकरण**—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

1956 का 1 (क) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 240 के अधीन "केंद्रीय सरकार" शब्दों का अर्थ "आयोग" के रूप में लगाया जाएगा ;

1956 का 1 (ख) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 240क के अधीन "मजिस्ट्रेट" शब्द का अर्थ "मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, दिल्ली" के रूप में लगाया जाएगा ।'।

34. मूल अधिनियम की धारा 42 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :— धारा 42 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

"42. (1) आयोग, अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए किए गए अपने आदेशों या निदेशों के अनुपालन की जांच करा सकेगा । आयोग के आदेशों का उल्लंघन।

(2) यदि कोई व्यक्ति, किसी युक्तियुक्त कारण के बिना, अधिनियम की धारा 27, धारा 28, धारा 31, धारा 32, धारा 33, धारा 42क, और धारा 43क के अधीन निकाले गए आयोग के आदेशों या निदेशों का अनुपालन करने में असफल रहेगा

तो वह जुर्माने से, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसा अननुपालन होता है, दस करोड़ रुपए की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए, जैसा आयोग अवधारित करे, एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

(3) यदि कोई व्यक्ति निकाले गए आदेशों या निदेशों का अनुपालन नहीं करेगा या उपधारा (2) के अधीन अधिरोपित जुर्माने का संदाय करने में असफल रहेगा तो वह, धारा 39 के अधीन किसी कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 25 करोड़ रुपए तक हो सकेगा या दोनों से, जैसा मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, दिल्ली, उपयुक्त समझे, दंडनीय होगाः

परन्तु मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, दिल्ली, आयोग या उसके द्वारा प्राधिकृत उसके किसी अधिकारी द्वारा फाइल किए गए किसी परिवाद पर के सिवाय, इस धारा के अधीन किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा ।" ।

नई धारा 42क का अंतःस्थापन ।

35. मूल अधिनियम की धारा 42 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

आयोग के आदेशों के उल्लंघन की दशा में प्रतिकर।

"42क. इस अधिनियम के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कोई व्यक्ति, आयोग द्वारा जारी किए गए निदेशों का उक्त उद्यम द्वारा अतिक्रमण किए जाने या धारा 27, धारा 28, धारा 31, धारा 32 और धारा 33 के अधीन निकाले गए आयोग के किसी विनिश्चय या आदेश का या किसी शर्त या निर्बंधन का जिसके अध्यधीन इस अधिनियम के अधीन किसी विषय के संबंध में कोई अनुमोदन किया गया है, मंजूरी दी गई है, निदेश किया गया है या छूट अनुदत्त की गई है , किसी युक्तियुक्त आधार के बिना, उल्लंघन किए जाने या आयोग के ऐसे आदेशों या निदेशों को कार्यान्वित करने में विलंब किए जाने के फलस्वरूप ऐसे व्यक्ति को हुई किसी दर्शित हानि या नुकसान के लिए उक्त उद्यम से प्रतिकर की वसूली के लिए किसी आदेश के लिए अपील अधिकरण को आवेदन कर सकेगा ।"।

धारा 43 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

36. मूल अधिनियम की धारा 43 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

आयोग और महा-निदेशक के निदेशों का अनुपालन करने में असफलता के लिए शास्ति।

"43. यदि कोई व्यक्ति,—

(क) धारा 36 की उपधारा (2) या उपधारा (4) के अधीन आयोग द्वारा; या

(ख) महानिदेशक द्वारा, जब वह धारा 41 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग कर रहा हो,

दिए गए निदेश का किसी युक्तियुक्त कारण के बिना, पालन करने में असफल रहता है तो ऐसा व्यक्ति जुर्माने से, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान असफलता जारी रहती है, एक करोड़ रुपए की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए, जैसा आयोग द्वारा अवधारित किया जाए, एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।"।

नई धारा 43क का अंतःस्थापन।

37. मूल अधिनियम की धारा 43 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

समुच्चयों के संबंध में जानकारी न देने के लिए शास्ति अधिरोपित करने की शक्ति।

"43क. यदि कोई व्यक्ति या उद्यम, धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन आयोग को सूचना देने में असफल रहता है, तो आयोग ऐसे व्यक्ति या उद्यम पर, ऐसी शास्ति, जो ऐसे समुच्चय के कुल आवर्त या उसकी आस्तियों के, इनमें से जो भी अधिक हो, एक प्रतिशत तक की हो सकेगी, अधिरोपित करेगा ।"।

38. मूल अधिनियम की धारा 45 में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :— धारा 45 का संशोधन।

"(1) धारा 44 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन किन्हीं विशिष्टियों, दस्तावेजों या किसी जानकारी को प्रस्तुत करता है; या प्रस्तुत किए जाने की जिससे अपेक्षा की जाती है,—

(क) कोई ऐसा कथन करता है, या कोई ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत करता है जिसको वह जानता है या उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि किन्हीं तात्विक विशिष्टियों में वह मिथ्या है ; या

(ख) किसी तात्विक तथ्य का, यह जानते हुए कि वह तात्विक है; कथन करने में लोप करता है; या

(ग) किसी दस्तावेज में जिसको पूर्वोक्त के अनुसार प्रस्तुत करना अपेक्षित है जानबूझकर फेरबदल करता है, छिपाता है या उसे नष्ट करता है;

तो ऐसा व्यक्ति, जुर्माने से जो एक करोड़ रुपए तक का हो सकेगा, जैसा आयोग द्वारा अवधारित किया जाए, दंडनीय होगा।"।

39. मूल अधिनियम की धारा 46 में,— धारा 46 का संशोधन।

(क) पहले परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु आयोग द्वारा ऐसे मामलों में कम शास्ति अधिरोपित नहीं की जाएगी जिनमें ऐसा प्रकटन करने से पूर्व धारा 26 के अधीन निदेशित अन्वेषण की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है:";

(ख) दूसरे परंतुक में "जो" शब्द के स्थान पर "जिसने" शब्द और "करता है" शब्दों के स्थान पर "किया है" शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) दूसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह भी कि आयोग द्वारा कम शास्ति अधिरोपित नहीं की जाएगी यदि प्रकटन करने वाला व्यक्ति आयोग के समक्ष कार्यवाहियों के पूरा होने तक आयोग का सहयोग करना जारी नहीं रखता है।"।

40. मूल अधिनियम की धारा 49 में,— धारा 49 का संशोधन।

(क) उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(1) केंद्रीय सरकार, प्रतिस्पर्धा (प्रतिस्पर्धा से संबंधित विधियों के पुनर्विलोकन सहित) या किसी अन्य विषय के संबंध में कोई नीति विरचित करते समय और राज्य सरकार, यथास्थिति, प्रतिस्पर्धा संबंधी या किसी अन्य विषय संबंधी कोई नीति विरचित करते समय, प्रतिस्पर्धा संबंधी ऐसी नीति के संभावित प्रभाव के संबंध में आयोग को उसकी राय लेने के लिए निर्देश कर सकेगी और ऐसे निर्देश की प्राप्ति पर, आयोग ऐसा निर्देश करने के साठ दिन के भीतर, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार को अपनी राय देगा, जो तत्पश्चात् आगे ऐसी कार्रवाई कर सकेगी, जो वह ठीक समझे।";

(ख) उपधारा (2) में, "केन्द्रीय सरकार" शब्दों के स्थान पर, "यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार" शब्द रखे जाएंगे;

(ग) उपधारा (3) में लोप करने की आवश्यकता नहीं है ।

धारा 51 का संशोधन।

41. मूल अधिनियम की धारा 51 की उपधारा (1) में,—

(i) खंड (ख) का लोप किया जाएगा ;

(ii) खंड (घ) में "खंड (क) से (ग)" शब्दों, कोष्ठकों और अक्षरों के स्थान पर "खंड (क) और (ग)" शब्द, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ।

धारा 52 का संशोधन।

42. मूल अधिनियम की धारा 52 की उपधारा (2) के स्पष्टीकरण में "उच्चतम न्यायालय" शब्दों के स्थान पर "अपील अधिकरण या उच्चतम न्यायालय" शब्द रखे जाएंगे।

नए अध्याय 8क का अंतःस्थापन।

43. मूल अधिनियम के अध्याय 8 के पश्चात् निम्नलिखित अध्याय अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'अध्याय 8क

प्रतिस्पर्धा अपील अधिकरण

अपील अधिकरण की स्थापना।

53क. (1) केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित के लिए अधिसूचना द्वारा प्रतिस्पर्धा अपील अधिकरण के नाम से ज्ञात एक अपील अधिकरण की स्थापना करेगी—

(क) आयोग द्वारा इस अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (2) और उपधारा (6), धारा 27, धारा 28, धारा 31, धारा 32, धारा 33, धारा 38, धारा 39, धारा 43, धारा 43क, धारा 44, धारा 45 या धारा 46 के अधीन जारी किए गए किसी निदेश या किए गए विनिश्चय या पारित किए गए आदेश के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करना और उनका निपटारा करना ;

(ख) प्रतिकर के लिए उन दावों के संबंध में न्यायनिर्णयन करना, जो आयोग के निष्कर्षों से या आयोग के किसी निष्कर्ष के विरुद्ध किसी अपील में अपील अधिकरण के आदेशों से या इस अधिनियम की धारा 42क के अधीन या धारा 53थ की उपधारा (2) के अधीन उद्भूत हो, और इस अधिनियम की धारा 53ढ के अधीन प्रतिकर की वसूली के लिए आदेश पारित करना ।

(2) अपील अधिकरण का मुख्यालय ऐसे स्थान पर होगा, जो केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे ।

अपील अधिकरण को अपील।

53ख. (1) धारा 53क के खंड (क) में निर्दिष्ट किसी निदेश, विनिश्चय या आदेश से व्यथित केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या कोई स्थानीय प्राधिकारी या उद्यम या कोई व्यक्ति अपील अधिकरण को अपील कर सकेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक अपील उस तारीख से, जिसको आयोग द्वारा दिए गए निदेश या किए गए विनिश्चय या पारित आदेश की प्रति केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी या उद्यम या उस उपधारा में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति को प्राप्त होती है, साठ दिन की अवधि के भीतर फाइल की जाएगी और वह ऐसे प्ररूप में होगी और उसके साथ ऐसी फीस होगी, जो विहित की जाए :

परंतु अपील अधिकरण साठ दिन की उक्त अवधि के अवसान के पश्चात् भी किसी अपील को ग्रहण कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि उस अवधि के भीतर उसके फाइल न किए जाने के पर्याप्त कारण थे ।

(3) अपील अधिकरण, उपधारा (1) के अधीन किसी अपील के प्राप्त होने पर, अपील के पक्षकारों को सुने जाने का अवसर दिए जाने के पश्चात्, उस पर ऐसे निदेश, विनिश्चय या आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई है, की पुष्टि करते हुए, उसे उपांतरित करते हुए या, अपास्त करते हुए ऐसे आदेश पारित कर सकेगा, जो वह ठीक समझे।

(4) अपील अधिकरण उसके द्वारा किए गए प्रत्येक आदेश की प्रति आयोग और अपील के पक्षकारों को भेजेगा ।

(5) अपील अधिकरण के समक्ष उपधारा (1) के अधीन फाइल की गई अपील पर उसके द्वारा यथासंभव शीघ्रता से कार्रवाई की जाएगी और उसके द्वारा अपील की प्राप्ति की तारीख से छह मास के भीतर अपील का निपटारा किए जाने का प्रयास किया जाएगा ।

अपील अधिकरण की संरचना।

53ग. अपील अधिकरण एक अध्यक्ष और दो से अनधिक ऐसे अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे ।

अपील अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हताएं।

53घ. (1) अपील अधिकरण का अध्यक्ष वह व्यक्ति होगा, जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति है या रहा है ।

(2) अपील अधिकरण का सदस्य योग्यता, सत्यनिष्ठा और प्रतिष्ठा वाला ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास प्रतिस्पर्धा संबंधी विषयों का, जिनके अंतर्गत प्रतिस्पर्धा विधि और नीति, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अर्थशास्त्र, कारबार, वाणिज्य, विधि, वित्त, लेखाकर्म, प्रबंध, उद्योग, लोक कार्य, प्रशासन भी हैं या किसी ऐसे अन्य विषय का जो केन्द्रीय सरकार की राय में अपील अधिकरण के लिए उपयोगी हो, कम-से-कम पच्चीस वर्ष का विशेष ज्ञान और उनमें वृत्तिक अनुभव है ।

चयन समिति।

53ङ. (1) अपील अधिकरण का अध्यक्ष और सदस्य, केंद्रीय सरकार द्वारा, ऐसी चयन समिति द्वारा सिफारिश किए गए नामों के पैनल से नियुक्त किए जाएंगे, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी,—

(क) भारत का मुख्य न्यायमूर्ति या उसका नामनिर्देशिती — अध्यक्ष ;

(ख) सचिव, कार्पोरेट कार्य मंत्रालय — सदस्य ;

(ग) सचिव, विधि और न्याय मंत्रालय — सदस्य ।

(2) चयन समिति की अवधि और नामों के पैनल के चयन की रीति वह होगी जो विहित की जाए ।

अपील अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि।

53च. अपील अधिकरण का अध्यक्ष या सदस्य उस तारीख से जिसको वह पद भार ग्रहण करता है, पांच वर्ष की अवधि तक उस रूप में पद धारण करेगा और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा :

परंतु अपील अधिकरण का कोई अध्यक्ष या अन्य सदस्य,—

(क) अध्यक्ष की दशा में, अड़सठ वर्ष की आयु;

(ख) अपील अधिकरण के किसी अन्य सदस्य की दशा में, पैंसठ वर्ष की आयु,

प्राप्त करने के पश्चात् उस रूप में पद धारण नहीं करेगा ।

अपील अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें।

53छ. (1) अपील अधिकरण के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो विहित की जाएं ।

(2) अपील अधिकरण के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा

उनकी सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों में उनकी नियुक्ति के पश्चात् उनके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किए जाएंगे।

रिक्तियां।

53ज. यदि, अस्थायी अनुपस्थिति से भिन्न किसी कारण से, अपील अधिकरण के अध्यक्ष या किसी सदस्य के पद में कोई रिक्ति उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार रिक्ति को भरने के लिए इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त करेगी और अपील अधिकरण के समक्ष कार्यवाहियां उस प्रक्रम से जिस पर रिक्ति भरी गई हैं, जारी रखी जा सकेगी।

अपील अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों का पदत्याग।

53झ. अपील अधिकरण का अध्यक्ष या सदस्य, केन्द्रीय सरकार को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लिखित सूचना द्वारा अपना पद त्याग सकेगा:

परंतु अपील अधिकरण का अध्यक्ष या कोई सदस्य, जब तक कि उसे केन्द्रीय सरकार द्वारा अपना पद उससे पहले छोड़ने की अनुज्ञा न दे दी गई हो, ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीन मास की समाप्ति तक या उसके पद उत्तरवर्ती के रूप में सम्यक् रूप से नियुक्त व्यक्ति द्वारा पद ग्रहण करने तक या उसकी पदावधि समाप्त होने तक, इनमें से जो भी पूर्वतम हो, पद धारण करता रहेगा।

कतिपय मामलों में सदस्य का अपील अधिकरण के अध्यक्ष के रूप में कार्य करना।

53ञ. (1) अपील अधिकरण के अध्यक्ष का पद, उसकी मृत्यु या पद त्याग के कारण, रिक्त होने की दशा में, अपील अधिकरण का ज्येष्ठतम सदस्य अपील अधिकरण के अध्यक्ष के रूप में उस तारीख तक कार्य करेगा, जिसको ऐसी रिक्ति को भरने के लिए अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नया अध्यक्ष नियुक्त कर दिया जाता और वह अपना पदभार ग्रहण कर लेता है।

(2) जब अपील अधिकरण का अध्यक्ष अनुपस्थिति, रुग्णता या किसी अन्य कारण से अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है तब, यथास्थिति, ज्येष्ठतम सदस्य या अपील अधिकरण का ऐसा कोई सदस्य जिसे केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत करे, अध्यक्ष के कृत्यों का उस तारीख तक निर्वहन करेगा जिसको अध्यक्ष अपने कर्तव्यों को फिर से नहीं संभाल लेता है।

अपील अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों का हटाया जाना और निलंबन।

53ट. (1) केन्द्रीय सरकार, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, अपील अधिकरण के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को पद से हटा सकेगी जो,—

(क) दिवालिया न्यायनिर्णीत कर दिया गया है; या

(ख) अपनी पदावधि के दौरान किसी समय किसी संवेतन नियोजन में रहा है; या

(ग) किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है जिसमें, केन्द्रीय सरकार की राय में, नैतिक अधमता अन्तर्वलित है; या

(घ) अपील अधिकरण के अध्यक्ष या अन्य सदस्य के रूप में कार्य करने में शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से असमर्थ हो गया है; या

(ङ) जिसने ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिया है जिससे अपील अधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; या

(च) जिसने अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया है जिससे उसके पद पर बने रहने से लोकहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

(2) उपधारा (1) में, किसी बात के होते हुए भी, अपील अधिकरण का अध्यक्ष या कोई सदस्य, उपधारा (1) के खण्ड (ङ) या खण्ड (च) में विनिर्दिष्ट आधार पर

अपने पद से, सिवाय केन्द्रीय सरकार के किसी ऐसे आदेश से जो इस निमित्त उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा की गई किसी जांच के पश्चात् किया गया हो, जिसमें ऐसे अध्यक्ष या सदस्य को उसके विरुद्ध आरोपों की सूचना दी गई हो और उन आरोपों की बाबत उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया गया हो, नहीं हटाया जाएगा।

कतिपय मामलों में अपील अधिकरण के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के नियोजन पर निर्बन्धन।

53ठ. अपील अधिकरण का अध्यक्ष और अन्य सदस्य, उस तारीख से जिसको वे पद पर नहीं रहते हैं, दो वर्ष की अवधि के लिए ऐसे किसी उद्यम में जो इस अधिनियम के अधीन अपील अधिकरण के समक्ष कार्यवाही में पक्षकार रहा है: या उसके प्रबन्ध, या प्रशासन से संबंधित कोई नियोजन स्वीकार नहीं करेंगे:

परन्तु इस धारा की कोई बात केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन या किसी केन्द्रीय, राज्य या प्रादेशिक अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित स्थानीय प्राधिकारी या किसी कानूनी प्राधिकारी या किसी निगम या कम्पनी अधिनियम,
1956 का 1 1956 की धारा 617 में यथापरिभाषित किसी सरकारी कम्पनी में किसी नियोजन को लागू नहीं होगी।

अपील अधिकरण के कर्मचारिवृन्द।

53ड. (1) केन्द्रीय सरकार, अपील अधिकरण को उतने अधिकारी और अन्य कर्मचारी उपलब्ध कराएगी जो वह ठीक समझे।

(2) अपील अधिकरण के अधिकारी और अन्य कर्मचारी अपने कृत्यों का निर्वहन अपील अधिकरण के अध्यक्ष के साधारण अधीक्षण और नियंत्रण के अधीन करेंगे।

(3) अपील अधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा की अन्य शर्तें वे होंगी जो विहित की जाएं।

प्रतिकर का दिया जाना।

53ढ. (1) इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंध पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी या कोई उद्यम या कोई व्यक्ति अपील अधिकरण को ऐसे प्रतिकर के दावे का न्यायनिर्णयन करने के लिए, जो आयोग के निष्कर्षों या आयोग के किसी निष्कर्ष के विरुद्ध किसी अपील में अपील अधिकरण के आदेशों या अधिनियम की धारा 42क के अधीन या धारा 53थ की उपधारा (2) के अधीन उद्भूत होता है, और किसी उद्यम द्वारा किए गए अध्याय 2 के उपबंधों के किसी उल्लंघन के परिणामस्वरूप केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी या किसी उद्यम या किसी व्यक्ति को हुई किसी हानि या नुकसानी के लिए उस उद्यम से प्रतिकर की वसूली के लिए आदेश पारित करने के लिए आवेदन कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किए गए प्रत्येक आवेदन के साथ आयोग के निष्कर्ष, यदि कोई हों, होंगे और ऐसी फीस भी होगी जो विहित की जाए।

(3) अपील अधिकरण, उपधारा (1) के अधीन किए गए आवेदन में वर्णित अभिकथनों की, जांच करने के पश्चात्, ऐसे उद्यम द्वारा किए गए अध्याय 2 के उपबंधों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप आवेदक को हुई हानि या नुकसान के लिए प्रतिकर के रूप में उद्यम से वसूलनीय उसके द्वारा अवधारित रकम का आवेदक को संदाय करने के लिए उद्यम को निदेश देते हुए आदेश पारित कर सकेगा:

परंतु अपील अधिकरण प्रतिकर का कोई आदेश पारित करने से पूर्व आयोग की सिफारिश अभिप्राप्त कर सकेगा।

(4) जहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई हानि या नुकसान वैसा ही हित रखने वाले अनेक व्यक्तियों को होता है वहां ऐसे व्यक्तियों में से एक या अधिक व्यक्ति,

अपील अधिकरण की अनुज्ञा से, उस उपधारा के अधीन इस प्रकार हितबद्ध व्यक्तियों के लिए और उनकी ओर से या उनके लाभ के लिए आवेदन कर सकेंगे और तदुपरि पर सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की पहली अनुसूची के आदेश 1 के नियम 8 के उपबंध इस उपांतरण के अधीन रहते हुए लागू होंगे कि उनमें किसी वाद या डिक्री के प्रति प्रत्येक निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह अपील अधिकरण के समक्ष आवेदन और उस अपील अधिकरण के आदेश के प्रति निर्देश है। 1908 का 5

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि,—

(क) अपील अधिकरण के समक्ष प्रतिकर के लिए आवेदन केवल अधिनियम की धारा 53क की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन या तो आयोग या अपील अधिकरण द्वारा उसके समक्ष कार्यवाही में यह अवधारित किए जाने के पश्चात् ही किया जा सकेगा कि अधिनियम के उपबंधों का अतिक्रमण हुआ है या यदि धारा 42क या धारा 53थ की उपधारा (2) के उपबंध लागू होते हैं;

(ख) उपधारा (3) के अधीन की जाने वाली जांच, प्रतिकर के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति की पात्रता और उसको शोध्य प्रतिकर की मात्रा का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिए होगी और न कि आयोग या अपील अधिकरण के निष्कर्षों की इस बारे में नए सिरे से जांच करने के लिए कि क्या अधिनियम का कोई अतिक्रमण हुआ है।

अपील अधिकरण की प्रक्रिया और शक्तियां।

53ण. (1) अपील अधिकरण, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में अधिकथित प्रक्रिया से आबद्ध नहीं होगा, किन्तु नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा मार्गदर्शित होगा और इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों और केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए, अपील अधिकरण को, अपनी प्रक्रिया को जिसके अंतर्गत वे स्थान भी हैं जहां वह अपनी बैठकें करेगा, विनियमित करने की शक्ति होगी। 1908 का 5

(2) अपील अधिकरण इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन के प्रयोजनों के लिए वही शक्तियां होंगी जो, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय निम्नलिखित विषयों की बाबत सिविल न्यायालय में निहित होती हैं, अर्थात्:— 1908 का 5

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और उसको हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(ख) दस्तावेजों की खोज और उनको प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना;

(ग) शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना;

(घ) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 123 और धारा 124 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी कार्यालय से कोई लोक अभिलेख या दस्तावेज या ऐसे अभिलेख या दस्तावेज की प्रति की अध्यपेक्षा करना; 1872 का 1

(ङ) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना;

(च) अपने विनिश्चयों का पुनर्विलोकन करना;

(छ) व्यतिक्रम के कारण किसी अभ्यावेदन को खारिज करना या उसका एकपक्षीय रूप से विनिश्चय करना;

(ज) व्यतिक्रम के कारण किसी अभ्यावेदन को खारिज करने के किसी आदेश या उसके द्वारा एकपक्षीय रूप से किसी आदेश को अपास्त करना;

(झ) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाए।

1860 का 45
1974 का 2

(3) अपील अधिकरण के समक्ष प्रत्येक कार्यवाही, भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और धारा 228 के अर्थान्तर्गत तथा धारा 196 के प्रयोजनों के लिए न्यायिक कार्यवाहियां समझी जाएंगी और अपील अधिकरण दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 195 और अध्याय 26 के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा।

अपील अधिकरण के आदेशों का निष्पादन।

53त. (1) अपील अधिकरण द्वारा किया गया प्रत्येक आदेश उसके द्वारा उसी रीति में प्रवृत्त किया जाएगा मानो वह न्यायालय द्वारा उसके समक्ष लंबित वाद में दी गई कोई डिक्री हो, और अपील अधिकरण के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि यदि वह ऐसे आदेश का निष्पादन करने में असमर्थ है, तो वह उसे उस न्यायालय को भेजे, जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर,—

(क) किसी कंपनी के विरुद्ध किसी आदेश की दशा में, कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय अवस्थित है; या

(ख) किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध किसी आदेश की दशा में, वह स्थान जहां संबंधित व्यक्ति स्वैच्छिक रूप से निवास करता है या कारबार करता है या लाभ के लिए व्यक्तिगत रूप से कार्य करता है, स्थित है।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, अपील अधिकरण उसके द्वारा किए गए किसी आदेश को स्थानीय अधिकारिता रखने वाले सिविल न्यायालय को प्रेषित कर सकेगा और ऐसा सिविल न्यायालय आदेश का इस प्रकार निष्पादन करेगा मानो वह उस न्यायालय द्वारा दी गई डिक्री हो।

अपील अधिकरण के आदेशों का उल्लंघन।

53थ. (1) इस अधिनियम के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि कोई व्यक्ति किसी युक्तियुक्त आधार के बिना, अपील अधिकरण के किसी आदेश का उल्लंघन करेगा तो वह शास्ति से, जो एक करोड़ रुपए से अधिक की नहीं होगी या कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या दोनों का, जैसा मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट दिल्ली, ठीक समझे, भागी होगा :

परंतु मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, दिल्ली, इस उपधारा के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान, अपील अधिकरण द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किए गए परिवाद के सिवाय, नहीं करेगा।

(2) इस अधिनियम के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कोई व्यक्ति अपील अधिकरण के किसी आदेश का उक्त उद्यम द्वारा युक्तियुक्त आधार के बिना, उल्लंघन किए जाने या अपील अधिकरण के ऐसे आदेशों को कार्यान्वित करने में विलंब किए जाने के परिणामस्वरूप ऐसे व्यक्ति को हुई दर्शित किसी हानि या नुकसानी के लिए उक्त उद्यम से प्रतिकर की वसूली के आदेश के लिए अपील अधिकरण को आवेदन कर सकेगा।

अपील अधिकरण में रिक्ति से कार्यों या कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना।

53द. अपील अधिकरण का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी या अविधिमान्य नहीं होगी कि अपील अधिकरण में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है।

विधिक प्रतिनिधित्व का अधिकार।

53ध. (1) अपील अधिकरण को अपील करने वाला व्यक्ति अपील अधिकरण के समक्ष अपना पक्षकथन प्रस्तुत करने के लिए या तो वह व्यक्तिगत रूप से उपसंजात हो सकेगा या एक या अधिक चार्टर्ड अकाउंटेंटों या कंपनी सचिवों या लागत

लेखापालों या विधि व्यवसायियों या अपने किसी अधिकारी को प्राधिकृत कर सकेगा।

(2) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी या अपील अधिकरण को अपील करने वाला कोई उद्यम एक या अधिक चार्टर्ड अकाउंटेंटों या कंपनी सचिवों या लागत लेखापालों या विधिक व्यवसायियों या अपने किसी अधिकारी को प्रस्तुत करने वाले अधिकारी के रूप में कृत्य करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा और इस प्रकार प्राधिकृत प्रत्येक व्यक्ति अपील अधिकरण के समक्ष किसी अपील के संबंध में पक्ष कथन प्रस्तुत कर सकेगा।

(3) आयोग, एक या अधिक चार्टर्ड अकांउटेंटों या कंपनी सचिवों या लागत लेखापालों या विधि व्यवसायियों या अपने किसी अधिकारी को प्रस्तुत करने वाले अधिकारी के रूप में प्राधिकृत कर सकेगा और इस प्रकार प्राधिकृत प्रत्येक व्यक्ति अपील अधिकरण के समक्ष किसी अपील के संबंध में पक्षकथन प्रस्तुत कर सकेगा।

स्पष्टीकरण—"चार्टर्ड अकाउंटेंट" या "कंपनी सचिव" या "लागत लेखापाल" या "विधि व्यवसायी" पदों के वही अर्थ हैं, जो धारा 35 के स्पष्टीकरण में हैं।

उच्चतम न्यायालय को अपील।

53न. अपील अधिकरण के किसी विनिश्चय या आदेश से व्यथित केन्द्रीय सरकार या कोई राज्य सरकार या आयोग या कोई कानूनी प्राधिकारी या कोई स्थानीय प्राधिकारी अथवा कोई उद्यम या कोई व्यक्ति अपील अधिकरण के उस विनिश्चय या आदेश की उन्हें संसूचना प्राप्त होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकेगा:

परंतु उच्चतम न्यायालय, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि आवेदक, उक्त अवधि के भीतर अपील फाइल करने से पर्याप्त कारणों से निवारित हुआ था उक्त साठ दिन की अवधि के अवसान के पश्चात् अपील फाइल करने के लिए उसे अनुज्ञात कर सकेगा।

अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति।

53प. अपील अधिकरण को स्वयं की अवमानना के संबंध में वही अधिकारिता, शक्तियां और प्राधिकार होंगे और वह उनका प्रयोग करेगा जो किसी उच्च न्यायालय को है और वह उनका प्रयोग कर सकेगा तथा इस प्रयोजन के लिए न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 के उपबंध निम्नलिखित उपांतरणों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे, अर्थातः— 1971 का 70

(क) उनमें उच्च न्यायालय के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसके अंतर्गत अपील अधिकरण के प्रति निर्देश भी है;

(ख) उक्त अधिनियम की धारा 15 में महाधिवक्ता के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह ऐसे विधि अधिकारी के प्रतिनिर्देश हैं जिसे केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे।'।

धारा 57 का संशोधन।

44. मूल अधिनियम की धारा 57 में "आयोग" शब्द के स्थान पर, "आयोग या अपील अधिकरण" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 58 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

45. मूल अधिनियम की धारा 58 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

अध्यक्ष, सदस्यों, महानिदेशक, सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों, आदि का लोक सेवक होना।

"58. आयोग का अध्यक्ष और अन्य सदस्य तथा महानिदेशक, अपर, संयुक्त, उप या सहायक महानिदेशक और सचिव तथा अधिकारी और अन्य कर्मचारी और अपील अधिकरण का अध्यक्ष, सदस्यों, अधिकारी और अन्य कर्मचारी, जब वे इस

1860 का 45 अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों के अनुसरण में कार्य कर रहे हैं या उसका कार्य का तात्पर्यित है, भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझे जाएंगे।"।

46. मूल अधिनियम की धारा 59 में "रजिस्ट्रार या अधिकारियों या अन्य कर्मचारी" शब्दों के स्थान पर "सचिव या अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों या अपील अधिकरण के अध्यक्ष, सदस्यों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों" शब्द रखे जाएंगे। धारा 59 का संशोधन।

47. मूल अधिनियम की धारा 61 में "आयोग" शब्द के स्थान पर "आयोग या अपील अधिकरण" शब्द रखे जाएंगे। धारा 61 का संशोधन।

48. मूल अधिनियम की धारा 63 की उपधारा (2) में,— धारा 63 का संशोधन।

(i) खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(क) चयन समिति की अवधि और धारा 9 की उपधारा (2) के अधीन नामों के पैनल के चयन की रीति;";

(ii) खंड (ग) का लोप किया जाएगा;

(iii) खंड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(घक) महानिदेशक कार्यालय में अपर, संयुक्त, उप या सहायक महानिदेशकों या ऐसे अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों की संख्या और वह रीति जिसमें, ऐसे अपर, संयुक्त, उप या सहायक महानिदेशकों या ऐसे अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों की धारा 16 की उपधारा (1क) के अधीन नियुक्ति की जा सकेगी;";

(iv) खंड (ङ) और खंड (च) में, "ऐसे अन्य सलाहकारों, परामर्शियों या अधिकारियों" शब्दों के स्थान पर, "ऐसे अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों" शब्द रखे जाएंगे;

(v) खंड (छ) में "रजिस्ट्रार" शब्द के स्थान पर "सचिव" शब्द रखा जाएगा;

(vi) खंड (ज), खंड (झ) और खंड (ञ) का लोप किया जाएगा;

(vii) खंड (ड) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

"(डक) वह प्ररूप जिसमें धारा 53ख की उपधारा (2) के अधीन अपील अधिकरण के समक्ष अपील फाइल की जा सकेगी और ऐसी अपील के संबंध में संदेय फीस;

(डख) चयन समिति की अवधि और धारा 53ङ की उपधारा (2) के अधीन नामों के पैनल के चयन की रीति;

(डग) धारा 53छ की उपधारा (1) के अधीन अपील अधिकरण के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें;

(डघ) धारा 53ङ की उपधारा (3) के अधीन अपील अधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें;

(डङ) धारा 53ढ की उपधारा (2) के अधीन किए जाने वाले प्रत्येक आवेदन के साथ दी जाने वाली फीस;

(डच) धारा 53ण की उपधारा (2) के खंड (i) के अधीन वे अन्य विषय जिनकी बाबत अपील अधिकरण को वाद का विचारण करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन शक्तियां होंगी;"; 1908 का 5

(viii) खंड (ढ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ढ) वह रीति, जिसमें भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग या अपील अंधिकरण को अंतरित धनराशि के संबंध में धारा 66 की उपधारा (2) के चौथे परंतुक के अधीन, यथास्थिति, आयोग या अपील अधिकरण द्वारा कार्रवाई की जाएगी।"।

धारा 64 का संशोधन। **49.** मूल अधिनियम की धारा 64 की उपधारा (2) के खंड (घ) और खंड (ङ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात्:—

"(घ) धारा 17 की उपधारा (3) के अधीन विशेषज्ञों और वृत्तिकों को नियुक्त करने के लिए अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया;

(ङ) वह फीस जो धारा 19 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन अवधारित की जाए;

(च) धारा 22 की उपधारा (1) के अधीन आयोग की बैठकों में कारबार संव्यवहार के संबंध में प्रक्रिया के नियम;

(छ) वह रीति जिसमें धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन शास्ति वसूल की जाएगी;

(ज) कोई अन्य विषय जिसकी बाबत विनियमों द्वारा उपबंध किया जाना है या किया जाए।"।

धारा 66 का संशोधन। **50.** मूल अधिनियम की धारा 66 में,—

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"(1) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 इसके द्वारा निरसित किया जाता है और उक्त अधिनियम की (जिसे इसमें इसके पश्चात् निरसित अधिनियम कहा गया है) धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग, विघटित हो जाएगा: 1969 का 54

परंतु इस उपधारा में किसी बात के होते हुए भी, निरसित अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक, इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व फाइल किए गए सभी मामलों या कार्यवाहियों (इसके द्वारा प्राप्त परिवादों या उसको किए गए निर्देशों या आवेदनों सहित) के संबंध में निरसित अधिनियम के अधीन अधिकारिता और शक्ति का प्रयोग इस प्रकार करता रहेगा मानो एकाधिकर तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 निरसित न हुआ हो और इस प्रकार निरसित उक्त अधिनियम के सभी उपबंध आवश्यक परिवर्तनों सहित ऐसे मामलों या कार्रवाइयों या परिवादों या निर्देशों या आवेदनों और सभी अन्य विषयों को लागू होंगे। 1969 का 54

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि इस परन्तुक की कोई बात, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 के प्रारंभ को या उसके पश्चात् इस अधिनियम के अधीन उद्भूत किसी मामले या कार्यवाही का विनिश्चय या न्यायनिर्णयन 1969 का 54

करने के लिए एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग को कोई अधिकारिता या शक्ति प्रदत्त नहीं करेगी।

1969 का 54

(1क) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 के निरसन का, निम्नलिखित पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा,—

(क) इस प्रकार निरसित इस अधिनियम का पूर्व प्रवर्तन या तद्धीन सम्यक् रूप से की गई या हुई कोई बात; या

(ख) इस प्रकार निरसित अधिनियम के अधीन अर्जित, उद्भूत या उपगत कोई अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व; या

(ग) इस प्रकार निरसित अधिनियम के अधीन किसी उल्लंघन के संबंध में उपगत कोई शास्ति, अधिहरण या दंड; या

(घ) यथा पूर्वोक्त ऐसे किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व, शास्ति, अधिहरण या दंड के संबंध में कोई कार्यवाही या उपचार और ऐसी कोई कार्यवाही या उपचार संस्थित किया जा सकेगा, जारी रखा जा सकेगा या प्रवृत्त किया जा सकेगा तथा ऐसी कोई शास्ति, अधिहरण या दंड इस प्रकार अधिरोपित किया जा सकेगा, दिया जा सकेगा मानो वह अधिनियम निरसित न हुआ हो।";

(ख) उपधारा (2) में,—

(i) दूसरे परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु यह और कि महानिदेशक, अन्वेषण और रजिस्ट्रीकरण, अपर, संयुक्त, उप या सहायक महानिदेशक, अन्वेषण और रजिस्ट्रीकरण या ऐसा अधिकारी या अन्य कर्मचारी, जो एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग के विघटन के ठीक पूर्व एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग द्वारा नियमित आधार पर नियोजित किया गया है, ऐसे विघटन से ही, क्रमशः भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग या अपील अधिकरण का अधिकारी या कर्मचारी ऐसी रीति में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए पेंशन, उपदान और अन्य ऐसे ही मामलों से संबंधित अधिकारों और विशेषाधिकारों सहित हो जाएगा और उसे अधिकार और विशेषाधिकार तब अनुज्ञेय होते जब एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग के संबंध में अधिकार, यथास्थिति, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग या अपील अधिकरण को अंतरित और निहित न हुए होते और ऐसा तब तक जारी रहेगा जब तक, यथास्थिति, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग या अपील अधिकरण में उसका नियोजन सम्यक् रूप से समाप्त नहीं हो जाता या नियोजन में उसकी परिलब्धियां, निबंधन और शर्तें, यथास्थिति, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग या अपील अधिकरण द्वारा सम्यक् रूप से परिवर्तित नहीं कर दी जातीं ;";

(ii) तीसरे परंतुक में "केन्द्रीय सरकार" शब्दों के स्थान पर, "यथास्थिति, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग या अपील अधिकरण" शब्द रखे जाएंगे;

(iii) चौथे परंतुक में,—

(अ) "केन्द्रीय सरकार को अंतरित हो गई हैं" शब्दों के स्थान पर, "यथास्थिति, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग या अपील अधिकरण को अंतरित हो गई हैं" शब्द रखे जाएंगे;

(आ) "केन्द्रीय सरकार को अंतरित और उसमें निहित होगा तथा ऐसे धन का जो इस प्रकार अंतरित हो गया है ऐसी रीति में सरकार द्वारा व्ययन किया जाएगा जो विहित की जाए।" शब्दों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"यथास्थिति, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग या अपील अधिकरण को अंतरित और उसमें निहित होगा तथा ऐसे धन का, जो इस प्रकार अंतरित हो गया है, ऐसी रीति में, यथास्थिति, उक्त आयोग या अधिकरण द्वारा व्ययन किया जाएगा, जो विहित की जाए।";

(ग) उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(3) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग के समक्ष लंबित एकाधिकार व्यापारिक व्यवहार या अवरोधक व्यापारिक व्यवहार से संबंधित सभी मामले, (जिनके अंतर्गत ऐसे मामले भी हैं, जिनमें किसी अनुचित व्यापारिक व्यवहार का भी अभिकथन किया गया है) उपधारा (1) के परंतुक में निर्दिष्ट दो वर्ष के अवसान के पश्चात् अपील अधिकरण को अंतरित हो जाएंगे और अपील अधिकरण द्वारा निरसित अधिनियम के उपबंधों के अनुसार इस प्रकार न्यायनिर्णीत किए जाएंगे मानो वह अधिनियम निरसित न हुआ हो।";

(घ) उपधारा (4) में "इस अधिनियम के प्रारंभ पर या उससे पूर्व" शब्दों के स्थान पर, "उपधारा (1) के परंतुक में निर्दिष्ट दो वर्ष के अवसान पर या उससे पूर्व" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे तथा "ऐसे प्रारंभ पर" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ङ) उपधारा (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(5) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 1969 का 54 की धारा 36क की उपधारा (1) के खंड (भ) में निर्दिष्ट अनुचित व्यापारिक व्यवहार से संबंधित और एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग के समक्ष लंबित सभी मामले, उपधारा (1) के परंतुक में निर्दिष्ट दो वर्ष के अवसान के पश्चात् अपील अधिकरण को अंतरित हो जाएंगे और अपील अधिकरण ऐसे मामलों का इस प्रकार निपटारा करेगा मानो वे मामले इस अधिनियम के अधीन फाइल किए गए थे।"।

वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) अधिनियम, 2007

(2007 का अधिनियम संख्यांक 40)

[24 सितंबर, 2007]

वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 और
भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908
का और संशोधन
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के अठावनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) अधिनियम, 2007 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी।

अध्याय 2

वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 का संशोधन

वृहत्त नाम का संशोधन। 2. वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) के वृहत्त नाम में, ''रजिस्ट्रीकरण'' शब्द के स्थान पर ''रजिस्ट्रीकरण, प्रमाणन, संरक्षा और सुरक्षा'' शब्द रखे जाएंगे। 1958 का 44

धारा 3 का संशोधन। 3. मूल अधिनियम की धारा 3 में, खंड (44) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(44क) ''सुरक्षा'' से समुद्रीय सुरक्षा अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत जलयानों के स्वामियों या प्रचालकों या पत्तन सुविधाओं, अपतट प्रतिष्ठापनों और अन्य समुद्रीय संगठनों या स्थापनों के प्रबंध तंत्र के भारसाधक व्यक्तियों द्वारा लगाए गए पत्तनों या पोतों या समुद्री नौचालन से प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: संबंधित किसी व्यक्ति या वस्तु की,—

(i) आतंकवाद, अंतर्ध्वंस, छिपकर जहाज में यात्रा करने, अवैध उत्प्रवासियों, शरण चाहने वाले अपराधियों, जलदस्युता, सशस्त्र डकैती, अभिग्रहण या मूषण से;

(ii) किसी अन्य शत्रु के ऐसे कार्य या प्रभाव से, जिससे समुद्री परिवहन सेक्टर की सुरक्षा को खतरा होता है,

सुरक्षा के लिए कोई उपाय भी हैं;'।

धारा 31 का संशोधन। 4. मूल अधिनियम की धारा 31 के खंड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''(कक) पोत पहचान संख्यांक;''।

नई धारा 99क का अंत:स्थापन। 5. मूल अधिनियम की धारा 99 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

समुद्रयात्रा वृत्तिक पहचान दस्तावेज के बिना समुद्र-यात्रा वृत्तिक के नियोजन का प्रतिषेध। '99क. (1) कोई भी व्यक्ति किसी पोत में किसी समुद्रयात्रा वृत्तिक को तब तक नियोजित नहीं करेगा या समुद्र में नहीं ले जाएगा, जब तक कि समुद्रयात्रा वृत्तिक के पास समुद्रयात्रा वृत्तिक पहचान दस्तावेज न हों।

(2) उपधारा (1) के अधीन समुद्रयात्रा वृत्तिक का पहचान दस्तावेज, ऐसे प्ररूप और रीति से तथा ऐसी फीस का संदाय करने पर, जो विहित की जाए, जारी किया जाएगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, ''समुद्रयात्रा वृत्तिक'' से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो ऐसे किसी समुद्रगामी पोत के फलक पर किसी भी हैसियत में नियोजित है या लगा हुआ है या काम करता है, जो साधारणतया युद्धपोत से भिन्न समुद्रीय नौचालन में लगा हुआ है।'।

नए भाग 9ख का अंत:स्थापन। 6. मूल अधिनियम के भाग 9क के पश्चात्, निम्नलिखित भाग अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'भाग 9ख

पोतों और पत्तन सुविधाओं की सुरक्षा

लागू होना। 344ञ. (1) यह भाग, उपधारा (2) के अधीन रहते हुए,—

(क) अंतरराष्ट्रीय समुद्री यात्राओं में लगे हुए निम्नलिखित प्रकार के पोतों को लागू होगा, अर्थात्:—

(i) यात्री पोत, जिसके अंतर्गत तीव्र गति यात्रीयान भी हैं;

(ii) स्थोरा पोत, जिसके अंतर्गत पांच सौ और अधिक सकल टनभार वाला तीव्रगति यान भी है;

(iii) चलत अपतट ड्रिल यूनिट :

परंतु केंद्रीय सरकार, इस भाग के लागू होने का, उन पोतों तक विस्तार कर सकेगी, जो अनन्य रूप से तटीय समुद्री यात्राओं पर लगाए गए हैं;

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट पोतों की व्यवस्था करने वाली पत्तन सुविधाओं को लागू होगा :

परंतु केंद्रीय सरकार, विनिश्चय करने के पश्चात्, इस भाग के अधीन कराए गए पत्तन सुविधा सुरक्षा निर्धारण के आधार पर, इस भाग के लागू होने को, उन पत्तन सुविधाओं पर विस्तारित कर सकेगी, जो यद्यपि, मुख्यत: अंतरराष्ट्रीय समुद्री यात्राओं पर नहीं लगाए गए पोतों द्वारा उपयोग की जाती हैं, यदाकदा अंतरराष्ट्रीय समुद्री यात्राओं पर आने वाले या प्रस्थान करने वाले पोतों की व्यवस्था के लिए अपेक्षित होती हैं।

(2) यह भाग, केंद्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा प्रचालित और उस सरकार द्वारा केवल गैर-वाणिज्यिक सेवा के लिए प्रयुक्त युद्धपोतों, नौसेना सहायक सेनाओं या अन्य पोतों को लागू नहीं होगा।

344ट. इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— परिभाषाएं।

(क) "कंपनी" से पोत का स्वामी या ऐसा कोई संगठन अभिप्रेत है, जिसने ऐसे पोत के स्वामी से पोत के प्रचालन का उत्तरदायित्व ग्रहण किया है और जिसने अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंध कोड द्वारा अधिरोपित सभी कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों को ग्रहण करने की सहमति दी है;

(ख) "सुरक्षा की घोषणा" से पोतों या किसी पोत और पत्तन सुविधा के बीच अनुपालन किए जाने वाले सुरक्षा उपायों को विनिर्दिष्ट करने वाला करार अभिप्रेत है;

(ग) "अभिहित प्राधिकारी" से ऐसा प्राधिकारी अभिप्रेत है, जिसे केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे;

(घ) "अंतरराष्ट्रीय पोत और पत्तन सुविधा सुरक्षा कोड" से सुरक्षा अभिसमय में उपबंधित पोतों और पत्तन सुविधाओं की सुरक्षा का कोड अभिप्रेत है;

(ङ) "पत्तन सुविधा" से ऐसा कोई अवस्थान या क्षेत्र अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत लंगर स्थान या प्रतीक्षा घाट या समुद्र की ओर से ऐसे पहुंच स्थान भी हैं और जो, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या अभिहित प्राधिकारी द्वारा अवधारित किए गए हैं, जहां किन्हीं पोतों या किसी पोत और पत्तन के बीच अंतरापृष्ठ होता है;

(च) "मान्यताप्राप्त सुरक्षा संगठन" से कोई ऐसा संगठन, कंपनी, फर्म या व्यष्टि-निकाय अभिप्रेत है, जिसे सुरक्षा से संबंधित विषयों में विशेषज्ञता प्राप्त है और पोत तथा पत्तन संक्रियाओं का ज्ञान है, जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस भाग या अंतरराष्ट्रीय पोत और पत्तन सुविधा कोड द्वारा अपेक्षित निर्धारण या सत्यापन या अनुमोदन या प्रमाणन के लिए प्राधिकृत किया गया है;

(छ) "सुरक्षा स्तर" से किसी पोत या पत्तन सुविधा या उससे संबद्ध किसी अन्य क्षेत्र के संबंध में आशंका या किसी विधिविरुद्ध क्रियाकलाप से सहबद्ध जोखिम की मात्रा की सीमा अभिप्रेत है;

(ज) उन शब्दों और पदों के, जो इस भाग में प्रयुक्त किए गए हैं, किंतु इस भाग में परिभाषित नहीं किए गए हैं, वही अर्थ होंगे, जो सुरक्षा अभिसमय में हैं।

344ठ. (1) यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या अभिहित प्राधिकारी, प्रत्येक एक सौ और अधिक सकल टनभार के भारतीय पोत और प्रत्येक तीन सौ और अधिक सकल टनभार के भारतीय स्थोरा पोत को एक पोत पहचान संख्यांक प्रदान करेगा, जो अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा विरचित सुसंगत स्कीम के अनुरूप होगा। पोत पहचान संख्यांक।

(2) इस अधिनियम के अधीन जारी किए गए सभी प्रमाणपत्रों और उनकी सभी प्रमाणित प्रतियों पर पोत पहचान संख्यांक होगा।

सुरक्षा उपाय।

344ड. (1) यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या अभिहित प्राधिकारी, तट विदाई जैसे मानवीय तत्व को ध्यान में रखते हुए ऐसे सुरक्षा स्तर नियत करेगा, और उसकी सूचना सभी भारतीय पोतों को जो विहित किए जाएं, उपलब्ध कराएगा।

(2) यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या अभिहित प्राधिकारी, ऐसे सुरक्षा स्तर नियत करेगा, और भारत के भीतर पत्तन सुविधाओं और ऐसे प्रत्येक पोत को जो विहित किए जाएं भारत में प्रवेश करने से पूर्व या जब वह भारत के भीतर किसी पत्तन पर हो, उसकी सूचना उपलब्ध कराएगा:

परंतु केंद्रीय सरकार, किसी मान्यताप्राप्त सुरक्षा संगठन को उसकी ओर से, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, इस धारा के अधीन कोई सुरक्षा उपाय करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी।

पत्तन सुविधा का निर्धारण।

344ढ. केंद्रीय सरकार, पत्तन सुविधा का निर्धारण, ऐसी रीति में करेगी, जो विहित की जाए।

कंपनियों, आदि की बाध्यताएं।

344ण. प्रत्येक कंपनी, पोत या पत्तन सुविधा, सुरक्षा अभिसमय और अंतरराष्ट्रीय पोत और पत्तन सुविधा सुरक्षा कोड के अधीन सुसंगत अपेक्षाओं का अनुपालन करेगी।

पत्तन सुविधा की बाध्यताएं।

344त. भारत में प्रत्येक पत्तन सुविधा इस भाग या उसके अधीन बनाए गए नियमों की अपेक्षा का अनुपालन करेगी।

अंतरराष्ट्रीय पोत सुरक्षा प्रमाणपत्र।

344थ. यथास्थिति केन्द्रीय सरकार या अभिहित प्राधिकारी या प्राधिकृत व्यक्ति प्रत्येक ऐसे भारतीय पोत को, जिसे यह भाग लागू होता है, ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए, यथास्थिति, एक अंतरराष्ट्रीय पोत सुरक्षा प्रमाणपत्र या अंतरिम अंतरराष्ट्रीय पोत सुरक्षा प्रमाणपत्र जारी करेगा।

पोत सुरक्षा चेतावनी प्रणाली।

344द. प्रत्येक भारतीय पोत में ऐसी पोत सुरक्षा चेतावनी प्रणाली उपलब्ध कराई जाएगी, जो विहित की जाए।

नियंत्रण उपाय।

344ध. ऐसा प्रत्येक पोत, जिसे यह भाग लागू होता है, ऐसे नियंत्रण उपायों के अधीन होगा, जो विहित किए जाएं।

नियम बनाने की शक्ति।

344न. (1) केन्द्रीय सरकार, सुरक्षा अभिसमय के उपबंधों को ध्यान में रखकर इस भाग के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और उपधारा (1) के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित के लिए उपबंध किया जा सकेगा:—

(क) वैकल्पिक या समतुल्य सुरक्षा स्तर;

(ख) प्रदान की गई किसी सेवा के लिए उद्गृहीत की जाने वाली फीस;

(ग) कोई अन्य विषय, जो इस भाग द्वारा विहित किया जाना है या विहित किया जाए।'।

अध्याय 3

भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 का संशोधन

1908 के अधिनियम 15 की नई धारा 68घ का अंतःस्थापन।

7. भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 की धारा 68ग के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

1958 का 44 '68घ. भारत में कोई पत्तन सुविधा, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 के अध्याय 9ख या उसके अधीन बनाए गए नियमों में अंतर्विष्ट सभी अपेक्षाओं का, जहां तक वे इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, अनुपालन करेगी। समुद्रीय सुरक्षा।

1958 का 44 स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, ''पत्तन सुविधा'' पद का वही अर्थ है, जो वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 के भाग 9ख में है।'।

के॰ डी॰ सिंह,

सचिव, भारत सरकार।

भाग ४ (ग)

अन्तिम नियम

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग

चतुर्थ एवं पंचम तल, विट्ठल मार्केट, भोपाल—462016

भोपाल, दिनांक 13 अप्रैल 2010

क्र. 941-म.प्र.विनिआ-2010.—विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 181 सहपठित धारा 45 (3) (बी) तथा 46 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, एतद्द्वारा मध्यप्रदेश राज्य में विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदाय करने तथा उपयोग किये गये संयंत्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली हेतु दिनांक 7 सितम्बर 2009 को अधिसूचित मध्यप्रदेश नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किये गये संयंत्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) विनियम (पुनरीक्षण-प्रथम), 2009 में निम्न संशोधन/परिवर्धन करता है :—

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किये गये संयंत्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) विनियम (पुनरीक्षण प्रथम), 2009 में द्वितीय संशोधन

1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ.**—1.1 "ये विनियम मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किये गये संयंत्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) विनियम (पुनरीक्षण प्रथम), 2009 (द्वितीय संशोधन) [एआरजी-31(1)(ii), वर्ष 2010]" कहलायेंगे.

1.2 ये विनियम मध्यप्रदेश राज्य में समस्त वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को उनके तत्संबंधी अनुज्ञप्ति-प्राप्त क्षेत्रों में प्रयोज्य होंगे.

1.3 ये विनियम मध्यप्रदेश राजपत्र में अधिसूचित किये जाने की तिथि से प्रभावशील होंगे.

2. **अध्याय 4 में संशोधन.**—"**मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किये गये संयंत्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) विनियम (पुनरीक्षण प्रथम), 2009**" जिसे एतद् पश्चात् प्रधान विनियम कहा गया है, विनियम 4.3.2 के अन्तर्गत उपशीर्ष "**(स) अतिरिक्त उच्च दाब/उच्च दाब की समस्त श्रेणियों के उपभोक्ता**" के प्रथम वाक्य, अर्थात्, "उपरोक्त के अतिरिक्त, विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभार (Supply Affording Charges) संविदा मांग के रुपये 750 केवीए अथवा उसके किसी अंश की दर से भुगतान योग्य होंगे" के उपरान्त निम्न वाक्य जोड़ा जाएगा, अर्थात् :

"वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा 33 केवी तथा इससे अधिक वोल्टेज से संयोजित उपभोक्ताओं से प्राप्त विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभारों से प्राप्त राशि में से संविदा मांग की राशि रु. 650/- प्रति केवीए अथवा उसके किसी अंश का प्रेषण पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को प्रत्यक्ष रूप से अति उच्च उपकेन्द्र पर प्रणाली अधोसंरचना के विकास हेतु आंशिक वित्त व्यवस्था हेतु किया जाएगा."

3. **अध्याय 6 में संशोधन.**—प्रधान विनियम के अध्याय 6 के **शीर्ष "विविध"** के अन्तर्गत **विनियम 6.1.1 (स)** को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :

"इन विनियमों के अन्तर्गत, उपरोक्त दर्शाये गये भागों के अन्तर्गत अनुज्ञेय किये प्रभारों/लागतों को अनुज्ञप्तिधारी द्वारा लेखा-पुस्तकों में पृथक से दर्शाया जाए. इन्हें निक्षेप कार्यों (Deposit Works) हेतु वसूल की गई लागत के रूप में माना जाएगा तथा इनका लेखांकन संव्यवहार उसी प्रकार किया जाएगा जैसा कि वह उपभोक्ताओं के अंशदान के माध्यम से संपादित कार्यों के लिये किया जाता है. इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश **परिशिष्ट-2** में उल्लेखित हैं.

4. **अध्याय 5 में संशोधन.**—प्रधान विनियम के विनियम 5.1.1 के अन्तर्गत शब्द "परिशिष्ट" को शब्दों "परिशिष्ट-1" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा.

आयोग के आदेशानुसार,
पी. के. चतुर्वेदी, आयोग सचिव.

परिशिष्ट-2

"अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा निम्न लेखा प्रक्रिया अपनाई जाएगी :

(ए) यदि नवीन परिसम्पत्ति का सृजन किया जाना हो तो,

(i) उपभोक्ता के अंशदान की प्राप्ति होने पर, बैंक खाते को विकलित (Debited) किया जांएगा तथा **"उपभोक्ता अंशदान शीर्ष"** को **आकलित (credited)** किया जाएगा.

(ii) परिसम्पत्ति के [पूंजीकरण (Capitalization) के समय] क्रियाशील (Commissioning) होने पर, "उपभोक्ता अंशदान शीर्ष" को विकलित (debited) किया जाएगा तथा "विलंबित आय (उपभोक्ता अंशदान शीर्ष) [Deferred Income (Consumer Contribution) Head]" को उपभोक्ता के अंशदान की मात्रा के अध्यधीन सीमित रखा जाएगा. परिसम्पत्ति को स्थाई परिसम्पत्ति (वर्ग 10) के लेखा शीर्ष के अन्तर्गत पूंजीकृत किया जाएगा.

(बी) यदि किसी नवीन सम्पत्ति का सृजन नहीं किया जाना है तथा उपभोक्ता अंशदान विद्यमान परिसम्पत्ति के अनुसार है, तो बैंक लेखा को **विकलित (debited)** किया जाएगा तथा **"विलंबित आय (उपभोक्ता अंशदान) शीर्ष"** को **आकलित (credited)** किया जाएगा.

(सी) यदि उपभोक्ता द्वारा परिसम्पत्ति का सृजन विनियमों के अध्याय 3 के पैरा (ix) के अन्तर्गत किया जाता है तो इसके क्रियाशील होने पर स्थाई परिसम्पत्ति को विकलित (Debited) किया जाएगा तथा **"विलम्बित आय (उपभोक्ता अंशदान) शीर्ष"** को मय परिसम्पत्ति की वास्तविक कीमत के विकलित (credited) किया जाएगा.

(डी) वार्षिक लेखा विवरण-पत्रों को तैयार करते समय, उपभोक्ता अंशदान से सृजित परिसम्पत्ति को अवमूल्यन लागत के प्रभाव को निष्प्रभावी (offset) किये जाने की दृष्टि से, **"विलम्बित आय (उपभोक्ता अंशदान) शीर्ष"** को **विकलित (Debited)** किया जाएगा तथा **"विलम्बित आय (उपभोक्ता अंशदान) शीर्ष के प्रत्युत्सर्जन (amortisation) से आय"** को ऐसी परिसम्पत्ति के विरुद्ध भारित अवमूल्यन की सीमा के अंतर्गत **आकलित (Credited)** किया जाएगा.

(ई) अनुज्ञप्तिधारी को **"उपभोक्ता अंशदान प्राप्ति शीर्ष (Consumer Contribution Received Head)" "विलम्बित आय (उपभोक्ता अंशदान) शीर्ष [Deferred Income (Consumer Contribution Head)]"** तथा **"विलम्बित आय (उपभोक्ता अंशदान)" के प्रत्युत्सर्जन से आय "(Income from amortisation of deferred income) (Consumer Contribution) Head"** को उनके वार्षिक लेखों में निम्नानुसार दर्शाया जाएगा :

(i) तुलन पत्र (बैलेंस शीट)

उपभोक्ता अंशदान प्राप्ति शीर्ष को पृथक से निधि के स्रोत के अन्तर्गत दर्शाया जाएगा.

(ii) लाभ तथा हानि लेखा (Profit & Loss Account)

अवमूल्यन	.........A
घटायें : विलम्बित आय (उपभोक्ता अंशदान) (प्रत्युत्सर्जन से आय) (प्रतिवर्ष 10% की दर से)	.....B
विलम्बित आय के उपरान्त अवमूल्यन (A-B)	C

(iii) तुलन पत्र (बैलेंस शीट)

सकल खण्ड (Gross Block)	.........G
घटायें : विलम्बित आय (उपभोक्ता अंशदान)	.......H
घटायें : संचित अवमूल्यन (Accumulated Depreciation)	C
शुद्ध खण्ड (Net Block) (G-H-C)	.......K

(एफ) उपभोक्ता अंशदान के माध्यम से पोषित कार्य को लेखा पुस्तकों में "निक्षेप कार्य (Deposit Work)" के रूप में अभिलिखित नहीं किया जाना चाहिए.

(जी) कम्पनियों को अन्तिम प्रारंभिक तुलन पत्र (Final Opening Balance Sheet) के माध्यम से आवंटित राशि को "उपभोक्ता अंशदान/पूंजी अनुदान (Capital grant) तथा सहायतानुदान (Subsidy) लेखा" को अविलंब "विलम्बित

आय (उपभोक्ता अंशदान/पूंजी अनुदान तथा सहायतानुदान लेखा)'' के अन्तर्गत अन्तरित किया जाएगा तथा इसे वित्तीय वर्ष 2010-11 से प्रभावशील 10 वर्षों की अवधि के अन्तर्गत 10 प्रतिवर्ष की दर से प्रत्युत्सर्जित किया जाएगा.

वित्तीय वर्ष 2005-06 (दिनांक 1-6-2005 के उपरान्त) से वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान प्राप्त किये गये उपभोक्ता अंशदान का लेखांकन उपरोक्त विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार केवल वित्तीय वर्ष 2010-11 में ही किया जाएगा.

कम्पनियों को वित्तीय वर्ष 2010-11 की सत्यापन याचिका के साथ उपरोक्त लेन-देन के सम्पूर्ण विवरण दाखिल करने होंगे.''

Bhopal, dated 13th April 2010

No. 941-MPERC-2010.—In exercise of powers conferred by Section 181 read with Section 45(3) (b) and 46 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission hereby makes the following amendment/addendum in Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Recovery of expenses and other charges for providing Electric Line or Plant used for the purpose of giving Supply) Regulations (Revisions-I) 2009, notified on 7th September, 2009.

Second Amendment to Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Recovery of expenses and other charges for providing Electric Line or Plant used for the purpose of giving Supply) (Revisions-I) Regulations, 2009 [RG-31(I) of 2009].

1. **Short Title and Commencement.—**

(i) These Regulations may be called the **"Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Recovery of expenses and other charges for providing Electric Line or Plant used for the purpose of giving Supply) Regulations (Revisions-I) (Second Amendment) [No. RG 31(I) (ii) of 2010]".**

(ii) These Regulations shall come into force with effect from the date of their Notification in the official gazette.

(iii) These Regulations shall extend to whole of the State of Madhya Pradesh.

2. **Amendment to Chapter IV.**—In the **Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Recovery of expenses and other charges for providing Electric Line or Plant used for the purpose of giving Supply) (Revisions-I) Regulations, 2009** hereinafter called the Principal Regulations, in the Regulation 4.3.2, under the Sub Head **(C) For all Categories of EHT/HT Consumers** the following sentence shall be added after the first sentence "In addition to above, Supply Affording Charges @ Rs. 750 per KVA or part thereof of Contract Demand Shall be payable.", i. e., "Out of the Supply Affording Charges received by Distribution Licensees from Consumers at 33 KV and above, an amount of Rs. 650/- per KVA or part thereof of Contract Demand shall be remitted by the Distribution Licensee to the Transmission Licensee directly to part finance the Transmission Licensees expenditure for system infrastructure development at EHT Sub-station."

3: **Amendment to Chapter VI.**—In the Principal Regulations, under the Head **'Miscellaneous'** of Regulations 6, **Regulation 6.1.1(c)** shall be substituted as under :

"The charges/cost recovered as allowed in above said Sections of these Regulations shall be separately captured by the Licensees in their books of Accounts. These shall be construed as cost recovered for the Deposit Works and shall have the same accounting treatment as that of works carried out with consumer contributions. Detailed instructions in this regards are mentioned in Annexure II of this Regulation."

4. **Amendment to Chapter V.**—In the Principal Regulations, under the Regulation 5.1.1 the word "Annexure" shall be substituted by the words "Annexure I".

By order of the Commission,
P. K. CHATURVEDI, Commission Secy.

ANNEXURE II

"The Licensees shall adopt the following accounting procedure :

(a) If new asset is required to be created then,

(i) On receipt of Consumer's contribution, **Bank A/c** shall be **debited** and **"Consumer Contribution Head"** shall be **credited.**

(ii) On Commissioning of the Asset (at the time of capitalization), **"Consumer contribution Head"** shall be **debited** and **"Deferred Income (Consumer contribution) Head"** shall be **credited** to the extent of Consumer's contribution. The asset shall be capitalized under Account Head of the Fixed Asset (Group 10).

(b) If no new asset is required to be created and the consumer contribution is against the existing asset, then **Bank A/c** shall be **debited** and **"Deferred Income (Consumer contribution)"** shall be **credited.**

(c) If the assest is created by the consumer under para (ix) of Chapter III of these Regulations, then on commissioning, **Fixed Assets** shall be **debited** and **"Deferred Income (Consumer contribution) Head"** shall be **credited** with the actual cost of the assest.

(d) At the time of preparation of Annual Account Statements, to offset the impact of Depreciation expenditure of asset created from the consumer contribution, the **"Deferred Income (Consumer contribution) Head"** shall be **debited** and **"Income from amortization of deferred income (Consumer contribution) Head"** shall be **credited** to the extent of the Depreciation charged against such asset.

(e) The Licensee must show the **"Consumer contribution received Head". "Deferred Income (Consumer contriution) Head"** and **"Income from amortization of deferred income (Consumer contribution) Head"** in their Annual Accounts as under :

(i) Balance Sheet :

Consumer contribution received Head shall be shown separately under sources of funds.

(ii) Profit & Loss Account :

Depreciation	A
Less : Income from amortization (10% per annum) of deferred income (Consumer contribution).	B
Depreciation after Deferred Income (A-B)	**C**

(iii) Balance Sheet

Gross Block	G
Less : Deferrred Income (Consumer contribution)	H
Less : Accumulated depreciation	C
Net Block (G-H-C)	**K**

(f) The work funded through Consumer contribution should not be recorded as Deposit work in the books of accounts.

(g) The amount allocated to the Companies through final Opening Balance sheet as "Consumer contribution/Capital Grant & subsidy" should be transferred to "Deferred income (Consumer contibution/Capital Grant & subsidy A/c)" immediately and same shall be amortized over 10 years in equal installments (10% p. a.) w.e.f. FY 2010-11.

The Consumer contribution received during FY 2005-06 (after 1-6-2005) to FY 2009-10 shall be accounted as per the procedure prescribed above in the FY 2010-11 only.

The Companies are required to file complete details of above transactions along with their true-up petition of FY 2010-11."

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.